

अखिल भारतीय भार्गव सभा के गत 25 वर्षों (1990-2014) की गतिविधियाँ



लेखन, संकलन एवं सम्पादन
श्री बाल कृष्ण भार्गव, दिल्ली



अखिल भारतीय भार्गव सभा (रजि.)

जी-197, सरिता विहार, नई दिल्ली-110076

दूरभाष: 011-41403536, 41085086

ई-मेल: abbs@airtelmail.in

वैबसाइट: www.bhargavasamajglobal.com


हमारे आराध्य



महर्षि भृगु



भगवान परशुराम




महर्षि च्यवन



सम्राट हेमचन्द्र विक्रमादित्य



संत चरणदास



सहजो बाई

अखिल भारतीय भार्गव सभा के गत 25 वर्षों (1990-2014) की गतिविधियाँ



लेखन, संकलन एवं सम्पादन
श्री बाल कृष्ण भार्गव, दिल्ली



अखिल भारतीय भार्गव सभा (रजि.)

जी-197, सरिता विहार, नई दिल्ली-110076

दूरभाष: 011-41403536, 41085086

ई-मेल: abbs@airtelmail.in

वैबसाइट: www.bhargavasamajglobal.com



सर्वाधिकर सुरक्षित: अखिल भारतीय भार्गव सभा (रजि.)

मूल्य : रु. 50/-

प्रथम मुद्रण : नवम्बर 2014

मुद्रक:

रैक्मो प्रेस प्राइवेट लिमिटेड

सी-59, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया फेज-1, नई दिल्ली-110020

दूरभाष : +91-11-26810424, 26814886

ई-मेल: rakmopress06@gmail.com

प्रकाशक:

अखिल भारतीय भार्गव सभा (रजि.)

जी-197, सरिता विहार, नई दिल्ली-110076

दूरभाष: 011-41403536, 41085086

ई-मेल: abbs@airtelmail.in

वेबसाइट: www.bhargavasamajglobal.com





अखिल भारतीय भार्गव सभा (रजि०)



125वाँ स्थापना वर्ष का प्रारम्भ (10 अक्टूबर, 2013)

श्रद्धाँजली एवं संकल्प

आइये, आज हम नमन करें।
अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन करें,
अपने उन श्रद्धेय पितामह एवं परम आत्माओं
के प्रति जिन्होंने हमको शिक्षित, सुस्कृत एवं
उन्नत समाज की धरोहर दी है।



आइये, आज हम संकल्प करें कि अपने उन
श्रद्धेय जनों के अनुसार ही हम सब भी
सम्मिलित रूप से अपने भार्गव समाज के
प्रति समर्पित होंगे।

प्रभु हमको इस हेतु विवेक, सद्बुद्धि एवं शक्ति दे।
जिस देश जाति में जन्म लिया,
बलिदान उसी पर हो जायें।





विषय सूची

क्रम सं. विवरण	पृष्ठ संख्या
1. हमारे आराध्य (रंगीन चित्र)	द्वितीय कवर पृष्ठ
2. श्रद्धाँजली एवं संकल्प तथा 125वाँ स्थापना दिवस	3
3. संस्थापक प्रधान व प्रधान सचिव तथा प्रधान कॉन्फ्रेंस	6-8
4. भूमिका	9
5. पूर्वाभ्यास	10-13
6. अखिल भारतीय भार्गव सभा के उद्देश्य (1.4.2014 से प्रभावी संविधान से उद्धृत)	14
7. समाज के चहुँमुखी विकास के लिये सम्पादित कार्य एवं योजनाएँ	15-16
8. सभा के 100 से 124वें वार्षिक अधिवेशनों की कार्यवाही का सारांश	17-36
विभिन्न समितियों के माध्यम से सभा कार्यो का सम्पादन	
9. समाज कल्याण समिति	37
10. शिक्षा समिति	37-39
11. तकनीकी शिक्षा प्रबन्धक समिति	40
12. हेरिटेज उपसमिति (ढोसी पर्वत/मन्दिर, डहरा, मन्दिर कौशल किशोर शिवजी महाराज, सम्राट हेम चन्द्र विक्रमादित्य)	40-44
13. वंशावली उपसमिति	44
14. भगवान परशुराम जी की मूर्ति स्थापना हेतु उपसमिति	44-45
15. संविधान संशोधन उपसमिति	45
16. जनगणना उपसमिति	45-46
17. अधिवेशन आयोजन एवं प्रबन्ध उपसमिति	46
18. विवाह परामर्श उपसमिति	46-47
19. खेलकूद एवं युवा कार्यक्रम उपसमिति	47
20. धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा उपसमिति	48
21. वेबसाइट www.bhargavasamajglobal.com	48
22. वरिष्ठ नागरिक पुनर्स्थापना समिति	48
23. कैरियर-डेवलपमेन्ट उपसमिति	49
24. सांस्कृतिक उपसमिति	49





क्रम सं. विवरण	पृष्ठ संख्या
25. स्वास्थ्य सहायता एवं सलाहकार उपसमिति	50
26. समन्वय उपसमिति	50-51
27. न्यायाधिकरण	51-53
28. भार्गव ग्लोबल कॉनक्लेव	53
29. नवीन एवं संशोधित प्रकाशन	54-55
30. भार्गव सभा का मुखपत्र 'भार्गव पत्रिका'	56-59
31. प्रधान एवं प्रधान सचिव का सचित्र विवरण (1989 से 2014 तक)	60-72
32. वर्ष 2014	73-74
33. मान-सम्मान एवं पुरस्कार	75-79
34. सभा में स्थापित निधियाँ	80
35. भार्गव आश्रम व गंगा आश्रम प्रबन्ध समिति	81-82
36. स्थानीय भार्गव सभाएँ	83
37. अखिल भारतीय भार्गव महिला सभा	84
38. अखिल भारतीय भार्गव युवा संघ	84
39. सभा की मुख्य-मुख्य तिथियों की एक झलक	85-86
40. ईश प्रार्थना	अन्तिम कवर पृष्ठ





मुंशी नवल किशोर जी, सी.आई.ई., लखनऊ

(प्रधान, अ.भा.भा. सभा 1894-95 जीवन पर्यन्त, प्रथम सभापति कॉन्फ्रेंस 1889, 90, 93)

आपका जन्म अपने ननिहाल मथुरा के रीढा नामक ग्राम में 3.1.1836 को हुआ। आपकी माताश्री यशोदा देवी जी तथा पिता श्री जमुना प्रसाद, अलीगढ़ के एक प्रतिष्ठित जमींदार थे। आपकी शिक्षा सासनी व आगरा में हुई। 1850 में आपका विवाह श्रीमती सरस्वती देवी (सुपुत्री श्री राम रतन, प्रयाग) के साथ हुआ।



आगरा, लाहौर आदि स्थानों पर रहकर उर्दू, अरबी, फारसी, हिन्दी, इंग्लिश, पत्रकारिता व छापेखाने का अनुभव तथा ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त 1858 में लखनऊ में 'नवल किशोर प्रेस' की स्थापना की और 26 नवम्बर 1858 से 'अवध अखबार' का प्रकाशन आरम्भ किया। आप मिरजा ग़ालिब के प्रथम प्रकाशक थे। 35 वर्ष के प्रकाशन जीवन में लगभग 5,000 से अधिक पुस्तकें (3.1.1836 - 19.2.1895) विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित कीं। कुरान व अन्य धार्मिक पुस्तकों की छपाई के समय उनकी पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाता था। मुंशी जी ने हिन्दी, उर्दू प्रेस को आधुनिकता प्रदान की। आप सच्चे देश भक्त व पत्रकार थे। 1875 में आपने प्रथम बार 'हमारी आजादी' नामक शीर्षक लेख में अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसी विचार को पं. लोकमान्य तिलक ने स्वाधीनता का मुख्य नारा बना लिया। अंग्रेज सरकार ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें दुर्लभ उपाधि (CIE) 'कम्पेनियन ऑफ दी मोस्ट एक्जालेण्टिड आर्डर आन दी इण्डियन एम्पायर', कैसर-ए-हिन्द मैडल (प्रथम श्रेणी) से सम्मानित किया जो राजा-महाराजाओं को भी दुर्लभ था।

31 मार्च 1887 में तत्कालीन वायसराय लार्ड डफरिन के राज दरबार में मुंशी जी को अन्य राजा महाराजाओं की अपेक्षा उच्च स्थान देने से सब चकित रह गए क्योंकि यह एक अनहोनी घटना थी। उनके व्यक्तित्व व नाम को देख व सुनकर उपस्थित अफगानिस्तान के बादशाह ने सिंहासन से खड़े होकर मुंशी जी को ससम्मान अपने पास बुलाकर बैठाया और अशर्फियों का थाल भेंट करते हुए उनकी प्रशंसा की।

मुंशी जी जाति के सच्चे सेवक व भार्गव सभा के संस्थापकों में से थे। अपने पुत्र पं. प्रयाग नारायण जी के विवाह अवसर पर रुपये 8,000/- भार्गव सभा को दान दिये। भार्गव सभा के कोष हेतु प्रथम दानदाता जिन्होंने रु. 50,000 दान दिये। भार्गव पत्रिका के प्रकाशन हेतु आगरे में छापाखाना, शिक्षा हेतु बोर्डिंग हाउस (सरकार से निःशुल्क जगह व दान), ढोसी पर्वत पर मन्दिर का निर्माण आप ही की देन है। आपने रु. 18,000/- में पनवाड़ी गाँव क्रय कर भार्गव सभा को दिया, जिसकी उस समय आय रु.500 मासिक थी। आपने वर्ष 1889, 92 और 93 में सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की। भार्गव कॉन्फ्रेंस (1889-आगरा) के प्रथम सभापति रहे। 1890-लखनऊ तथा 1893-आगरा सम्मेलनों के भी सभापति व 1894-95 से भार्गव सभा के जीवन पर्यन्त प्रधान रहे। उनकी महत्ता एवं महानता को सम्मानित करने हेतु भारत सरकार ने 19.2.1970 को उनकी स्मृति में 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया, जो जाति तथा देश के लिये गौरव की बात है। आपका निधन 19.2.1895 को हुआ।





मुंशी राम दयाल जी, हाकिम अपील, (संस्थापक प्रधान), अलवर (प्रधान, अखिल भारतीय भार्गव सभा 1889-1894)

आपका जन्म मुंशी बलदेव सहाय जी (तहसीलदार), सागर निवासी के यहाँ सन् 1815 में हुआ। सागर में शिक्षा ग्रहण करने के उपरान्त सन् 1836 में आपने सरकारी नौकरी (मोहरीर) से अपनी जीविका आरम्भ की। सन् 1844 में आपकी कार्यकुशलता से प्रभावित होकर निजामत सागर में नायब सररिश्तेदार और सन् 1846 में निजामत पिण्ड दादनखाँ (पंजाब) में सररिश्तेदार नियुक्त हुए। सन् 1846 में पंजाब, 1851-56 तक झेलम में विभिन्न पदों पर अत्यन्त कुशलता और ईमानदारी से कार्य करने के फलस्वरूप आपको लखनऊ में 10.3.1856 से तहसीलदार नियुक्त कर दिया। 30.5.1856 तक आप इस पद पर रहे।



(1815 - 17.11.1894)

झेलम नदी किनारे आपने एक धर्मशाला का निर्माण कराया।

गदर के समय में मुंशी जी को रसद सामग्री का काम सौंपा गया जो उन्होंने बखूबी निभाया, तब उन्हें कानपुर कैम्प का कोतवाल नियुक्त कर दिया और वह लखनऊ में बैली गार्ड की फौज में शामिल हो गए। आपकी सेवाओं से प्रभावित होकर सरकार ने आपको आधा गाँव और रु. 25,000/- प्रदान कर सम्मानित किया तथा लखनऊ में एक्सट्रा असिस्टेंट कमिशनर नियुक्त कर दिया।

सन् 1864 में पद से मुक्त होने के बाद सन् 1871 में जब आप अलवर आये तब आपको हाकिम-ए-अदालत दीवानी बना दिया। सन् 1875 से सन् 1887 तक हाकिम अपील व सेशन जज के पद पर कार्यरत रहे। सन् 1887 में आप रियासत अयोध्या के प्रबन्धक भी रहे। सन् 1891 में हाकिम अदालत अपील नियुक्त किया गया।

समाज में लगन व सेवा भावना से प्रेरित हो, सन् 1889 में जब भार्गव सभा पंजीकृत हुई तब आपको सभा का संस्थापक एवं आजीवन प्रधान चुना गया। तदोपरान्त आप लगातार सन् 1894 तक सभा के आजीवन प्रधान रहे। भार्गव सभा का वर्तमान स्वरूप उन्हीं की दूरदर्शिता का परिणाम है।

आपके पौत्र मुंशी राम चरण अलवर में, लघु पड़पौत्र श्री जानकी नन्दन अवकाश प्राप्त राजस्थान डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जज और बड़े प्रपौत्र श्री रेवती रमण इन्कम टैक्स कमिशनर रहे। पड़पौत्र श्री तरुण, कोटा में निवास करते हैं।

आपका निधन 17.11.1894 को हुआ।





मुंशी गिरधर लाल जी, वकील (संस्थापक प्रधान मन्त्री), आगरा (प्रधान मन्त्री, अखिल भारतीय भार्गव सभा 1889-95)

आपका जन्म 1837 में रिवाड़ी में हुआ। आपने अपनी शिक्षा रिवाड़ी व मथुरा से पूर्ण कर आगरा में वकालत आरम्भ की।

आगरा में आपने अपने नाम से एक साहूकारी प्रतिष्ठान स्थापित किया, जो कागज का भी व्यापार करता था। यही संस्थान आरम्भ में भार्गव सभा आगरा के खजांची के रूप में काम करती रही।

आप एक ख्याति प्राप्त वकील थे, जो सामाजिक व शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रुचि रखते थे। इसी कारण आप वर्षों तक किशोरी रमण ट्रस्ट मथुरा के ट्रस्टी रहे। सन् 1884 में आपको भार्गव बोर्डिंग हाउस की स्थापना का उत्तरदायित्व सौंपा गया। भार्गव बोर्डिंग हाउस के लिये नगर-नगर जाकर धन एकत्रित किया और स्वयं रु. 2,000/- भी दिये। उन्हीं के प्रयास से सन् 1887 में भार्गव बोर्डिंग हाउस की नींव तथा सन् 1889 में उद्घाटन किया गया।



(1837 - 1895)

आप ही की लगन व प्रयास से मुंशी नवल किशोर द्वारा दान व पनवाड़ी गाँव क्रय कर सभा को दिये गए। भार्गव सभा आगरा की नियमावली तैयार कर 10.10.1889 को पंजीकृत कराया। भार्गव बोर्डिंग हाउस की देख-रेख एक शिशु की भाँति करते थे। नित्य सायंकाल कचहरी से आते समय वहाँ की समस्याओं व सबका कुशल क्षेम पूछ कर आते थे।

आप सभा के उत्साही, सक्रिय, शुभचिन्तक तथा प्रगतिशील कार्यकर्ता रहे। आपकी निष्ठा एवं निःस्वार्थ सेवा भावना अत्यन्त प्रशंसनीय रही।

भार्गव सभा के संस्थापकों में आपका विशेष स्थान है। आपकी बहुमूल्य सेवाओं के कारण आप सन् 1889 से सन् 1895 तक आजीवन प्रधान मन्त्री पद पर आसीन रहे। इस प्रकार आप सभा के संस्थापक प्रधान मन्त्री रहे। आपका निधन सन् 1895 में हुआ। आपके पुत्र पं. गोपाल प्रसाद तथा पौत्र पं. कृष्ण प्रसाद, आगरा हुऐ।





भूमिका

यों तो अक्सर अनेकों सामाजिक संस्थाएँ/सभाएँ बनती, सवंरती, बिगड़ती, बीमार होती और सुप्त अवस्था में चली जाती हैं। उनमें से कुछ तो अपना आस्तित्व ही खो बैठती हैं। सम्भव है उनकी नींव व आस्था कमजोर रही होगी। किन्तु भार्गव सभा की नींव वास्तव में मामूली ईंट, गारे व पत्थर से नहीं बनी। वास्तव में हमारे समाज के कर्मठ, सच्चे निःस्वार्थ सेवा एवं उनकी श्रद्धा और दानवीरों के आत्म समर्पण की भावना व उनकी दूरदर्शिता जैसे आभूषणों से संजोई गई है। यही कारण है कि भार्गव सभा 1989 में अपना शताब्दी वर्ष भी मना चुकी है और अब 125वाँ वर्ष भी 2014 में मनाने जा रही है।

यह हम सबके लिये अत्यन्त सौभाग्य व गौरव की बात है कि हमने ऐसे समाज में जन्म लिया जिसकी सभा अपने जीवन के 125 बसन्त देखने के उपरान्त भी वृद्ध नहीं बल्कि उत्साह से भरपूर, युवा शक्ति के साथ समाज सेवा में रत है, जिसके अन्तर्गत लगभग 30 स्थानीय सभायें व महिला सभा व युवा संघ सम्बद्ध होती हैं। ईश्वर ऐसी ही शक्ति हमारी महिला सभा व युवा संघ को प्रदान करें ताकि वह भी अपने उच्चतर शिखर की ओर अग्रसर होते रहें।

शताब्दी वर्ष 1989 के शुभ अवसर पर हमारे आदरणीय डॉ. शान्ति प्रसाद जी पूर्व अतिरिक्त पुलिस इन्सपेक्टर जनरल, जयपुर द्वारा लिखित पुस्तक 'भार्गव सभा का इतिहास (1889- 1989) आज सभा की धरोहर है। 'भार्गव सभा का इतिहास' नामक पुस्तक में सभा के 100 वर्षों के सामाजिक, नैतिक, पर्दा प्रथा व शैक्षणिक विकास की कहानी, हम कहाँ थे, क्या थे, और किस ओर जा रहे हैं, विस्तार से वर्णन किया गया है। जिस प्रकार साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है, ठीक उसी प्रकार भार्गव सभा को भार्गव समाज का दर्पण कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसके बिना उसका जीवन बेकार है, उसका रहना दूभर है।

मैं कह नहीं सकता कि पुस्तक को इस रूप में लाने में मैं कहाँ तक आपकी भावनाओं में खरा उतरा हूँ? फिर भी इस पुस्तक को वर्तमान रूप देने में डॉ. ऋषि (चेयरमैन), श्री प्रकाश नारायण, श्री मनमोहन कुमार, श्री सुरेन्द्र नाथ (प्रधान), श्री हीरेन्द्र नाथ (प्रधान सचिव) एवं श्री विजय नारायण के सहयोग व मार्गदर्शन के लिये आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देता हूँ।

बाल कृष्ण भार्गव





पूर्वाभ्यास

सभा के 125वें वर्ष के शुभावसर पर सभा के छिपे चार 'क' के प्रश्नों के उत्तर क्यों-कैसे-कब-किस लिये जानना अनिवार्य हो जाता है। इससे पूर्व सभा के कर्णधारों को उनकी दूरदर्शिता व समाज के प्रति की गई निःस्वार्थ सेवा के लिये निम्न पंक्तियों के साथ उन्हें नमन कर आगे बढ़ेंगे:-

भृगुवंशी पूर्वजों के मुख हमने सुनी अमर कहानी
आज भी हमको याद दिलाती उनकी अमिट निशानी
शत शत करते नमन, आँखों में भर आता पानी
'बाल' कहें पद पर चलें उनके रचें नई कहानी

'बसुदेवम् कुटुम्बकम्' समस्त भार्गव समाज एक कुटुम्ब एवं एक परिवार है, इसी भावना से सम्भवतः अखिल भारतीय भार्गव सभा नाम पड़ा होगा। भार्गव सभा, भार्गव परिवारों की एकता एवं संगठन का प्रतीक है, तभी 125वें वर्ष में प्रवेश करते हुए अपने उद्देश्यों की ओर अग्रसर है। एक समय था जब समाज में विवाह आदि खुशी के अवसर पर अनावश्यक व्यय की बाहुलता थी, तब कुछ समाज हितेषी बन्धुओं में इस विषय पर चर्चा हुई और सभा के इतिहास में प्रथम बार वर्ष 1880 में अलीगढ़ के मुंशी लक्ष्मण प्रसाद जी के सुपुत्र व मुंशी फूल चन्द जी की सुपुत्री के विवाह अवसर पर लखनऊ में जाति के शुभ चिन्तक, धन एवं मन के धनी रायबहादुर सालिण राम जी (एक्स्ट्रा कमिश्नर) व मुंशी नवल किशोर जी (सी.आई.ई.) के उदार हृदय में समाज व जाति की उन्नति, असहाय व विधवा सहायता तथा शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु छिपी भावना जाग उठी और निर्णय लिया कि शादी-विवाह के अवसर पर नाच-गाने, आडम्बर व अन्य फालतू खर्चों में कमी कर, बचत को जाति के उत्थान हेतु स्थाई फण्ड में दान दिया जाये। फलस्वरूप रायबहादुर सालिण राम जी ने अपने भ्राता पं. मनोहर लाल जी (सुपुत्र पं. रघुवर दयाल जी) के विवाह के अवसर पर जितने रुपये न्यातगुरी में दिये, उतने ही रुपये स्थाई फण्ड में दान देकर सदैव के लिये विवाह अवसर पर वर पक्ष द्वारा न्यातगुरी में दान देने की नींव रख समाज में एक नई प्रथा का चलन आरम्भ किया। इस प्रकार से भार्गव स्थाई फण्ड का गठन हुआ। किन्तु अब हम सब आज न्यातगुरी में दान देना भूल गए हैं।

समाज में कुछ व्यक्तिगत झगड़ों व समस्याओं को सुलझाने हेतु 6.8.1881 को समस्त बिरादरी (Community) का अधिवेशन एवं पंचायत को बुलाने का रायबहादुर सालिण राम जी का प्रस्ताव पारित हुआ। मुंशी नवल किशोर जी के प्रस्तावानुसार तथा मुंशी देवकी नन्दन जी (ऑनरेरी मजिस्ट्रेट) के समर्थानुसार प्रस्ताव संख्या 11 द्वारा पारित कर जातीय पंचायत का गठन किया गया। सर्वसम्मति से इसका नाम भार्गव सभा रखा गया, किन्तु व्यक्तिगत झगड़ों व उलझनों से यह न चल सकी। 1881 में भार्गवी सभा जयपुर, मथुरा व रेवाड़ी भी बनाई जा चुकी थी। 12.6.1884 को निश्चय किया गया कि एक संस्था भार्गव सभा के नाम से स्थापित की जाये जो समाज हित में सहायक हो। इस कार्य का उत्तरदायित्व मुंशी गिरधर लाल जी (आगरा) को सौंपा गया। उस समय यही सभा भार्गव सभा आगरा कहलाई जिसका मुख्यालय फिनले



 भार्गव होस्टल, आगरा बनाया गया। 1932 में प्रस्ताव संख्या 24 द्वारा आगरा भार्गव सभा में से आगरा शब्द निकाल दिया गया।

30.12.1887 को पुनः भार्गव सभा की स्थापना पर जोर देते हुए, समाज के उत्थान के लिये धन की आवश्यकता को पहचानते हुए स्थाई फण्ड में बढ़ोत्तरी के लिये मुंशी नवल किशोर जी ने अपने सुपुत्र पं. प्रयाग नारायण के विवाह अवसर पर रेवाड़ी में बड़हार के समय रु. आठ हजार जाति की उन्नति के लिये स्थाई फण्ड हेतु दान दिये। उस समय जाति उत्थान हेतु सबसे अधिक आवश्यकता शिक्षा की आँकी गई। जाति के अधिकतर परिवार आगरा, मथुरा, रेवाड़ी, नारनौल व गुडगाँव आदि नगरों में रहा करते थे। उनके लिये उच्च शिक्षा हेतु एक मात्र निकटतम शिक्षा संस्थान आगरा कालेज, आगरा ही था। इसके होस्टल में मात्र 123 आवास स्थान थे। अतः निश्चय किया गया कि आगरा कालेज के समीप ही भार्गव बोर्डिंग हाउस का निर्माण किया जाये और उसकी देख-रेख व रखरखाव हेतु भार्गव सभा का मुख्यालय आगरा में ही रखा जाये। विचारों को साकार रूप देने के लिये मुंशी नवल किशोर जी ने चार एकड़ जमीन सरकार से निःशुल्क दिलाई जिसका उस समय मूल्य लगभग रु. 10,000 था। 21 दिसम्बर 1887 को भार्गव बोर्डिंग हाउस की नींव रखी गई। इस कार्य हेतु 26.12.1887 को रायबहादुर सीताराम जी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुंशी गिरधर लाल जी ने दो हजार रुपये दान दिये। अन्य उपस्थित बन्धुओं ने भी अपनी-अपनी वार्षिक आय का 12वाँ हिस्सा दान दिया। फण्ड में बढ़ोत्तरी व समाज सेवा की भावना को देखते हुए अक्टूबर 1887 में बाबू वासुदेव लाल जी एवं मुंशी राम रत्न जी (डिप्टी रजिस्ट्रार, ज्युडिशियल कोर्ट, लखनऊ) ने एक्ट-6 सन् 1882 के अनुसार भार्गव सभा की नियमावली तैयार कर जाति बन्धुओं के विचार एवं सुझावों का समावेश करने के उपरान्त मुंशी गिरधर लाल जी के पास भेज दी। तदुपरान्त मुंशी गिरधर लाल जी ने श्रीमान फैक्स (लीगल रिमेम्बरेंसर व मेम्बर लैजिस्लेटिव काउन्सिल, उत्तर प्रदेश पश्चिमी प्रान्त) के परामर्श से नियमावली को अन्तिम रूप दिया। इसी के साथ-साथ धन एकत्रित करने की श्रृंखला में मुंशी नवल किशोर जी ने रु. 18,000 में पनवाड़ी गाँव क्रय कर दान में दे दिया जिसकी आय रु. 500 प्रति माह थी इसके अतिरिक्त रु. 4000 और भी दिये। धीरे-धीरे भार्गव बोर्डिंग हाउस का निर्माण भी पूरा होने पर आ चुका था। अतः दिसम्बर 1889 को भार्गव बोर्डिंग हाउस आगरा का शुभारम्भ हो गया और 1966 में आगरा कालेज, आगरा को रु. 1,20,000 में बेच दिया। इसी श्रृंखला के अन्तर्गत शिक्षा के महत्व को समझते हुए रेवाड़ी-1891, अलवर-1902, लाहौर-1905 और दिल्ली में 1927 में भार्गव बोर्डिंग हाउस खोले गये जो कालान्तर में बेच दिये गये।

सभा की नियमावली भी तैयार हो गई थी। फलस्वरूप 10.10.1889 को वर्ष 1860 की एक्ट संख्या 21 के अन्तर्गत भार्गव सभा का पंजीकरण लखनऊ में हुआ और इस प्रकार भार्गव सभा की औपचारिक स्थापना हुई। आरम्भ में मुंशी राम दयाल जी को आजीवन प्रधान, मुंशी नवल किशोर जी को सात उप-प्रधान में से एक आजीवन उप-प्रधान और पण्डित गिरधर लाल जी को आजीवन सचिव (अब प्रधान सचिव) बनाया गया, एक जोइन्ट सेक्रेटरी, एक खजान्ची तथा आवश्यकतानुसार असिस्टेंट सेक्रेटरी बनाने का भी प्रावधान रखा गया। सभा के चुनाव

 अखिल भारतीय भार्गव सभा के गत 25 वर्षों (1990-2014) की गतिविधियाँ (11)

1992 तक वार्षिक अधिवेशन के साथ आयोजित होते रहे तदोपरान्त एक-एक वर्ष छोड़कर। सभा का स्वर्ण जयन्ती वर्ष 1939 तथा शताब्दी वर्ष 1989 में आगरा और समापन जयपुर में सम्पन्न हुआ। किन्तु सभा के 100वें वार्षिक अधिवेशन में न्यायाधीश रेवाड़ी के स्थगन आदेशानुसार चुनाव सम्पन्न नहीं हो सके तथा सभा की समस्त कार्यकारिणी के त्यागपत्र देने के कारण 26.12.1989 को 100वीं वार्षिक बैठक में सभा को चलाने के लिये तदर्थ समिति का गठन करना पड़ा, जिसके चेयरमेन श्री कैलाश नाथ जी (जयपुर) तथा मुख्य संयोजक (Convenor-in-Chief) श्री बाल कृष्ण जी (दिल्ली) को बनाया गया। यह बात सभा के इतिहास में अत्यन्त दुःखद घटना थी, जिसने सभा की मूल भावना को हिलाते हुए भविष्य के लिये एक चेतावनी छोड़ दी।

अब आप के परिवेश में एक विचारणीय प्रश्न

वर्ष 1895 में कान्फ्रेंस के अध्यक्ष पद हेतु रायबहादुर भवानी सहाय (डिप्टी कलेक्टर) को चुना गया। उन्होंने निर्वाचित करने के लिये धन्यवाद देते हुए बड़ी सादगी व नम्रता से पूछा कि क्या अब आप सब हमारा कहना मानेंगे। हाथ उठाकर सबने स्वीकृति दे दी। तब भवानी सहाय जी ने कहा कि कृपया अब आप सब मेरे स्थान पर पं. बिहारी लाल जी को अध्यक्ष चुन लीजिये और ऐसा ही हुआ। ऐसा भी होता था कि अधिवेशन आयोजक नगर, प्रधान एवं प्रधान सचिव पद हेतु चुनाव में प्रत्याशी ही नहीं होते थे।

भार्व सभा की 1889 की नियमावली में केवल साधारण व असाधारण अधिवेशन का ही प्रावधान था किन्तु बाद में विशेष अधिवेशन का भी प्रावधान रखा गया। इसके अन्तर्गत कान्फ्रेंस या सम्मेलन का कोई प्रावधान नहीं था, फिर भी 1889 से ही भार्व सभा के साथ-साथ कान्फ्रेंस एक जातीय जन समूह के रूप में आयोजित होती रही। इसमें जातीय बन्धु 21 वर्ष या अधिक आयु के स्त्री या पुरुष भाग लेकर अपनी राय, सुझाव व मत दे सकते थे। आरम्भ में कान्फ्रेंस की न तो कोई मार्ग दर्शिका थी और न कोई विशेष नियम, हालाँकि इसका मुख्य उद्देश्य समाज सुधार, सामाजिक कुरीतियों का विनाश व नीति निर्धारण करना रहा। इस प्रकार का स्पेशल सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1889 में फिनले भार्व बोर्डिंग हाउस, आगरा में वेदमन्त्र, हवन व पूजा के साथ बड़े धूमधाम के साथ मुंशी नवल किशोर जी की अध्यक्षता में तथा मुंशी गिरधर लाल जी मन्त्री के सानिध्य में मनाया गया था। 1889 से 1901 तक सम्मेलन प्रत्येक वर्ष दिसम्बर के अन्त में और बाद में एक-एक साल या अधिक वर्ष छोड़कर 1982 तक आयोजित होते रहे। तदुपरान्त बन्द हो गये। कुल सम्मेलन 57 हुए:- आगरा-8, अलीगढ़-1, अलवर-3, अजमेर-4, दिल्ली-4, ढोसी-1, जयपुर-4, जबलपुर-1, कानपुर-3, लाहौर-2, लखनऊ-5, मेरठ-2, मुलताई-1, मथुरा-4, प्रयाग-9, रेवाड़ी-3 और वाराणसी-2।

आरम्भ में भार्व सभा के प्रधान एवं उप-प्रधान ही उस जन समूह को जिसे सम्मेलन कहते थे, की अध्यक्षता किया करते थे। 1894 के अधिवेशन में सभा के प्रधान व उप-प्रधान के उपस्थित न होने के कारण, प्रथम बार अलग से मुंशी रती राम जी को कान्फ्रेंस का प्रधान तथा पण्डित राम सिंह जी को मन्त्री चुना गया। 1895 के वार्षिक अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया

कि सम्मेलन की संचालन व कार्य विधि तैयार की जाये। अतः इसके प्रारूप को तैयार करने के लिये पण्डित गणेशी लाल जी से आग्रह किया गया। तैयार प्रारूप को मुंशी अन्नत राम जी वकील द्वारा कानूनी दृष्टि से पुनः निरीक्षण कर, 'दस्तूर-उल-अमल कान्फ्रेंस' का अन्तिम रूप तैयार कर प्रस्तुत किया जिसे 1896 में पारित कर 1897 से लागू किया गया। इसके अनुसार कान्फ्रेंस के जलसे में कोई भी व्यक्ति जाति बन्धु स्त्री या पुरुष एक निश्चित दिन एवं निश्चित समय व स्थान पर एकत्रित होकर जाति की समस्याओं व रीति रिवाजों पर अपनी-अपनी राय, सुझाव एवं मत देने का अधिकार रखने लगे। इस प्रकार के सम्मेलन में भाग लेने के लिये भार्गव सभा का सदस्य होना अनिवार्य नहीं था। पर्दा प्रथा होने के कारण उस समय महिलाएँ सम्मेलन में भाग नहीं ले सकती थीं। 1913 में प्रथम बार अलग से महिलाओं का जलसा अजमेर में हुआ। 1928 तक महिलाएँ चिकों के पीछे से सम्मेलन में उपस्थित होकर देखती थीं। 1929 में प्रथम बार महिलाओं ने निसंकोच पुरुषों के साथ बैठकर सम्मेलन में भाग लिया। 1971 में भार्गव युवा संघ तथा 1980 में भार्गव महिला सभा का गठन हुआ। कालान्तर में दोनों को ही भार्गव सभा से सम्बद्धता प्राप्त हो गई। संक्षिप्त में यह 100 वर्ष का इतिहास था। अब गत 25 वर्षों (1989 से 2014 तक) की गतिविधियाँ आगे के पृष्ठों में पढ़ेंगे।

मैं कह नहीं सकता कि यह पुस्तक कहाँ तक आपकी भावनाओं को साकार रूप देने में सफल रही, फिर भी जो कुछ मैं पुस्तक में दे सका उसके लिये सभा के प्रधान श्री सुरेन्द्रनाथ जी, प्रधान सचिव श्री हीरेन्द्रनाथ जी, 125वीं वर्षगाँठ आयोजन समिति के चेयरमैन डॉ. ऋषि भार्गव, को-चेयरमैन श्री मनमोहन कुमार जी, मुख्य कोर्डीनेटर श्री प्रकाश नारायण जी तथा प्रकाशन उपसमिति के सदस्यों के सहयोग व मार्गदर्शन के लिये हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

पुस्तक की आकर्षित शब्दावली व उसे अलंकृत कर वर्तमान रूप देने के लिए प्रकाशन उपसमिति के प्रधान श्री विजय नारायण जी तथा मेरी पत्नी श्रीमती सन्तोष भार्गव जिन्होंने लेखन सामग्री एकत्र करने में विशेष सहयोग दिया, उन सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ।

इसके अतिरिक्त मैं श्रद्धेय व परम आदरणीय सभा के पूर्व प्रधान, बुद्धिजीवी, कर्मठ समाज सेवी, दानदाताओं / विज्ञापन दाताओं व समाज हितेषी बन्धुओं की सोच व लगन के लिये मैं विज्ञापनदाताओं का आभार व्यक्त कर उन्हें नमन् करता हूँ जिनकी निःस्वार्थ सेवा व दूरदर्शिता के कारण ही 125 वर्षीय प्रौढ़ सभा अपने साथ युवकों को लेकर युवा शक्ति की भाँति आगे दौड़ रही है।

मैं पुराने रिकार्ड, पुरानी पुस्तकें व मिनट बुक्स की भूल-भुलैया में खोया रहता यदि श्री नवीन जी व श्री महेश जी वहाँ से मुझे न निकालते, उन्हें मैं रिकार्ड्स उपलब्ध कराने व टंकन आदि के लिये धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करता हूँ।

सन्तोष - बाल कृष्ण भार्गव

193-डी, डी.डी.ए. फ्लैट्स (एम.आई.जी.),

राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027, मो. 09891910968



अखिल भारतीय भार्गव सभा के उद्देश्य

(1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी संविधान से उद्धृत)

1. समाज में आपस में प्रेम और मेल-जोल बढ़ाना तथा समाज के हित एवं प्रगति के लिये प्रयत्न करना।
2. समाज में हर प्रकार की शिक्षा हेतु सभी स्तरों पर प्रोत्साहन देना, मार्गदर्शन करना एवं आर्थिक सहयोग देना।
3. समाज में धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, मानसिक एवं शारीरिक उत्थान हेतु प्रयत्न करना।
4. समाज के अधिकारों की रक्षा करना।
5. समाज के आर्थिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर, दीर्घकालिक रोगग्रस्त, असहाय एवं वृद्ध व्यक्तियों की यथासम्भव सहायता करना एवं उन्हें स्वावलम्बी बनाने हेतु प्रयत्न करना।
6. सभा की चल एवं अचल सम्पत्ति का उचित प्रबन्ध, सुरक्षा एवं रखरखाव करना, क्रय, विक्रय या किराये पर देना तथा उसे उचित प्रकार से सभा के हित में तथा सभा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयोग में लाना।
7. सभा के वर्तमान न्यासों/निधियों एवं भविष्य में प्राप्त होने वाले अनुदानों का समुचित प्रबन्ध करना।
8. देश एवं समाज कल्याण हेतु जागृति उत्पन्न करना एवं इस उद्देश्य हेतु योजनाएँ बनाना, सेवा करना, उनको कार्यान्वित करना तथा सभा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धन एवं सम्पत्ति एकत्रित करना।
9. समाज के सर्वोत्तरी विकास हेतु देश-विदेशों में विभिन्न स्थानों पर कार्यरत स्थानीय सभाओं को संगठित करना तथा जिन स्थानों पर समुचित संख्या में भार्गव परिवार रहते हैं वहाँ स्थानीय सभाओं की स्थापना हेतु स्थानीय परिवारों को प्रेरित करना। स्थानीय सभाओं को सम्ब(ता प्रदान कर विभिन्न स्थानीय सभाओं के संविधान, कार्यक्रमों तथा सभा के उद्देश्यों के परिपालन में एकरूपता लाना।
10. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यथोचित नीति निर्धारण करना तथा उनकी अनुपालना हेतु आवश्यकतानुसार समय-समय पर कार्य संहिता बनाना एवं दिशा निर्देशों में परिवर्तन करना।
11. सभा के धन का निवेश उसकी पूर्ण सुरक्षा एवं अधिक से अधिक आय को दृष्टिगत रखते हुए सभा की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना।





समाज के चहुँमुखी विकास के लिये सम्पादित कार्य एवं योजनाएँ

अनेक अचल सम्पत्तियाँ भार्गव सभा को दान स्वरूप मिली हुई हैं। उनके विकास द्वारा भार्गव सभा आर्थिक रूप से मजबूत होगी।

- 174 जोरबाग दिल्ली की बेशकीमती भूमि पर चार मंजिला भवन मय बेसमेन्ट एवं स्टिल्ट फ्लोर के साथ प्रायः 5.5 करोड़ रुपयों की लागत से वर्ष 2012 से 2014 में बनाया गया है। जिससे ऋण की वापसी के बाद प्रायः 1.5 करोड़ प्रति वर्ष की आय होगी।
- भार्गव आश्रम हरिद्वार का पुनः नवीकरण एवं वातानुकूलित एक करोड़ दस लाख रुपयों की लागत से वर्ष 2012 में प्रारम्भ किया गया और मई 2014 में पूर्ण हो गया है।
- रेवाड़ी में स्व. पं. कौशल किशोर भार्गव द्वारा सभा को दान स्वरूप प्राप्त विभिन्न सम्पत्तियों के अन्तर्गत **बावल चौक रेवाड़ी शिवजी छीतरमल कम्पाउण्ड** में कम्प्यूनिटी हॉल एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण ढाई करोड़ रुपये खर्च कर लगभग पूरा हो चुका है। 15 लाख रुपये अतिरिक्त वार्षिक आय होने की सम्भावना है।
- तीन वर्ष पूर्व रेवाड़ी मार्केट कॉम्प्लेक्स में 7 नई दुकानों को किराये पर उठाया गया, जिनसे 18,000 रुपया प्रति माह आमदनी अतिरिक्त होने लगी है। इसके अतिरिक्त दान स्वरूप 50 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। किराये एवं दान के ब्याज से प्रति वर्ष 7 लाख रुपये की आय होगी। कॉम्प्लेक्स में 10 और दुकानें किराये के लिये उपलब्ध हैं। उनको किराये पर देने के बाद मिले दान एवं किराये से लगभग 10 लाख रुपये प्रति वर्ष आमदनी बढ़ने की सम्भावना है।
- रेवाड़ी में मन्दिर के पीछे एवं भट्टा प्लॉट की भूमि पर विकास कार्य लगभग पूर्ण हो रहा है।
- रेवाड़ी स्थित पुरानी **मोहिनी धर्मशाला** के स्थान पर बेसमेन्ट एवं तीन तल का भवन बनाना है।
- वरिष्ठ जाति बन्धु अपना जीवन शान्तिपूर्ण एवं सुखमय बिता सकें इसके लिये अलवर में नयी खरीदी भूमि पर वृद्ध आश्रम का निर्माण होना है। इस योजना में कमरों के साथ सामुदायिक भवन, चैरिटेबल चिकित्सालय, लाइब्रेरी इत्यादि बनाने का विचार है।
- बीकानेर भवन को अनाधिकृत कब्जे से खाली कराकर भार्गव सभा का पूर्ण कब्जा किया गया।
- बीकानेर में एक सामुदायिक भवन बनाने की योजना है।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

- वर्ष 2012 के मई माह में भार्गव सभा द्वारा प्रोत्साहित दुबई की 5 दिन की यात्रा 180 भार्गव सदस्यों ने की और UAE के 40 परिवारों के साथ पूरा एक दिन बिताया। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि हुई।

सामाजिक कार्यों पर अधिक धन खर्च करने का प्रावधान अथवा आवश्यकताओं पर बल

- निराश्रितों की सहायता में 66% की वृद्धि की गयी है। त्यौहारों पर ₹1,000 से ₹2,000 किया गया।
- शिक्षा छात्रवृत्ति में 20% से 120% की वृद्धि की गयी।





- चिकित्सा हेतु सहायता को भी ₹20,000 से एक लाख रुपये प्रति वर्ष (500% वृद्धि) किया गया।
- समाज में खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिये इसके बजट को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹50,000 (300% से अधिक वृद्धि) किया गया।
- बढ़ती महंगाई के कारण 10,000 रुपये प्रति माह की आमदनी वाला परिवार भी हमारे सुसंस्कृत, सुशिक्षित एवं सक्षम समाज में अपने को आर्थिक रूप से कमजोर पाता है। उसे अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिये सहायता की आवश्यकता रहती है।
- कुछ वर्ष पूर्व समाज कल्याण के कार्यों हेतु जहाँ केवल ₹8.88 लाख ही दे पाते थे। इसे वर्ष 2014-15 में ₹35 लाख कर दिया गया है।

हमारा ध्येय होना चाहिये कि यह सहायता राशि अगले वर्षों में ₹50 लाख हो।

- भार्गव सभा के दिन प्रतिदिन के बढ़ते कार्यों के लिये सचिवालय को और अधिक मजबूत बनाना है।

सामाजिक विकास हेतु अन्य विचारणीय विषय

- युवा वर्ग की उद्यमिता को प्रोत्साहन देना व स्वावलम्बन की ओर प्रेरित करना है। आसान शर्तों पर वित्तीय संस्थाओं से उन्हें ऋण दिलवाने में सहयोग करना है।
- हमारे समाज में विवाह इत्यादि सादगी, मितव्ययता एवं आडम्बरहीन हों। सामूहिक विवाहों को प्रोत्साहित कर तन-मन-धन के अपव्यय को रोकना है।
- हर महत्वपूर्ण शहर में सभा के अपने सामुदायिक भवन के निर्माण को बढ़ावा देना है।
- बदलते समय की आवश्यकताओं एवं चुनौतियों को देखते हुए पारिवारिक रिश्तों में तनाव कम हो। एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम एवं सम्मान हो। इसे हमें भरसक प्रयास कर स्थापित करना है।
- पूरे विश्व में बसे भार्गव परिवारों की Resource डायरेक्ट्री बनाने के कार्य को करना है।
- परिवारों में बढ़ते हुए वैवाहिक असामंजस्य के समाधान के लिये विवाह-पूर्व एवं विवाह-पश्चात् दोनों के लिये सही मार्गदर्शन हेतु प्रकोष्ठ स्थापित करना।
- हमारी कार्यकुशलता एवं गुणवत्ता से प्रभावित होकर समाज के अधिकतर परिवार विभिन्न मदों में निधियाँ बनाकर दान दे रहे हैं। उक्त उपलब्धियों को जानकर आप पूर्णतः आश्वस्त होंगे कि भार्गव सभा सुरक्षित एवं प्रगतिशील व्यक्तियों के हाथों में है।
- समाज के समर्थ, सक्षम एवं विद्वान बन्धुओं का सहयोग समाज की प्रगति में प्राप्त करने का भरसक प्रयास एकल एवं सामूहिक रूप से किया जाये।
- युवाओं को सही मार्गदर्शन मिले, जिससे उनकी शक्ति का सुदपयोग हो सके। इसके अतिरिक्त उन्हें समाज हित के कार्यों में जोड़ने का प्रयास होना चाहिये।





सभा के 100 से 124वें वार्षिक अधिवेशनों की कार्यवाही का सारांश

अखिल भारतीय भार्गव सभा के वर्ष 1989 से 2013 तक के अधिवेशनों की चर्चा करने से पूर्व बताना चाहेंगे कि प्रत्येक वर्ष वार्षिक अधिवेशन में निधियों द्वारा स्थापित मान-सम्मान पुरस्कार, सभा के पुरस्कार व सर्वोत्तम सभाओं को पुरस्कृत किया जाता है।

ईश वन्दना तथा अन्य सामान्य औपचारिकताओं के उपरान्त अधिवेशन की कार्यवाही आरम्भ होती है। अधिवेशन के अवसर पर प्रकाशित स्मारिका का विमोचन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष विवाह परामर्श शिविर अपनी नई-नई तकनीक व सूझबूझ के साथ आयोजित होता है जो आकर्षक होते हुए समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है। अखिल भारतीय भार्गव सभा के स्तर पर विशेषकर महिलाओं व बालिकाओं के लिये कला प्रदर्शनी व प्रतियोगिता का आयोजन होता है।

सांस्कृतिक कार्यक्रम के अन्तर्गत स्त्री, पुरुष, बालक एवं बालिकायें अपनी-अपनी कला का प्रदर्शन कर भूरि-भूरि प्रशंसा लूटते हैं। प्रति वर्ष खेलकूद प्रतियोगितायें आयोजित कर आपस में प्रेम, सौहार्द व भाईचारे की भावनाओं को जागृत करने का अच्छा प्रयास होता है। सभी विजयी प्रतियोगियों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाता है। आरम्भिक बैठकों की कार्यवाही एवं बजट प्रस्तावों को पारित कराया जाता है।

अतः प्रत्येक अधिवेशन की गतिविधियों के सारांश में उक्त विषयों की पुनरावृत्ति करना हर बार उचित नहीं समझा गया है।

सभा का 100वाँ वार्षिक अधिवेशन, जयपुर, 26 दिसम्बर 1989

रेवाड़ी कोर्ट के स्थगन आदेशानुसार चुनाव सम्पन्न न हो सके और समस्त कार्यकारिणी ने त्याग पत्र दे दिया।

ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसने सभा के मूल उद्देश्य को झकझोरते हुए भविष्य के लिये एक चेतावनी छोड़ दी। अधिवेशन की आम सभा 26.12.1989 को सभा को सुचारु रूप से चलाने के लिये तदर्थ (एडहोक) मेनेजमेन्ट कमेटी का गठन किया, जिसके चेयरमेन श्री कैलाश नाथ (जयपुर), को-चेयरमेन जस्टिस सुरेन्द्र नाथ (जयपुर) तथा कन्वीनर-इन-चीफ श्री बाल कृष्ण (दिल्ली) को बनाया गया। इस कमेटी को कहा गया कि सभा के सामान्य कार्य को चलाते हुए कोर्ट का स्टे हटवाकर 3-4 महीने में सभा के चुनाव सम्पन्न कराएँ।

फलस्वरूप 17-18 मार्च 1990 को विशेष अधिवेशन का आयोजन कर चुनाव सम्पन्न हुए। तदनुसार एडहोक मेनेजमेन्ट कमेटी की आम सभा को-चेयरमेन जस्टिस सुरेन्द्र नाथ की अध्यक्षता में 17-18 मार्च 1990 को मेरठ में सम्पन्न हुई। सामान्य औपचारिकताओं के उपरान्त एडहोक मेनेजमेन्ट कमेटी के कन्वीनर-इन-चीफ श्री बाल कृष्ण (दिल्ली) की रिपोर्ट पारित की गई। रेवाड़ी में सभा कार्य हेतु 600 रुपये मासिक पर एक क्लर्क व एक पार्ट टाइम स्टेनो की भी स्वीकृति दी गई। निर्णय लिया गया कि शिक्षा छात्रवृत्ति अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका के अनुसार बढ़ा दी जाये:-





क्र.स.	कक्षा	वर्तमान राशि (रु.)	संशोधित राशि (रु.)
(ए)	नर्सरी एवं के.जी.	25	30
(बी)	कक्षा 1 से 5	30	35
(सी)	कक्षा 6 से 8	35	40
(डी)	कक्षा 9 से 10	40	45
(ई)	कक्षा 11 से 12	45 से 55	50 से 60
(एफ)	स्नातक	60 से 65	65 से 75
(जी)	बी.एड.	75	75
(एच)	परास्नातक	75 से 85	85 से 95
(आई)	पी-एच.डी.	75	100

न्यायाधिकरण में डॉ. सुभाष भार्गव (दिल्ली) को चुना गया। चुनाव में विजयी प्रधान डॉ. ऋषि भार्गव (जयपुर), प्रधान सचिव श्री सुरेश (रेवाड़ी), कोषाध्यक्ष श्री गणेशी लाल (जयपुर) तथा पाँच उप-प्रधान व कार्यकारिणी सदस्यों के नामों की घोषणा की। विविध उपसमितियों का भी गठन किया गया। श्री बाल कृष्ण (दिल्ली) व श्री राधा कृष्ण (इलाहाबाद) को मन्त्री बनाया गया। पारित किया गया कि भार्गव पत्रिका अप्रैल से आगरा से प्रकाशित की जाये।

सभा का 101वाँ साधारण वार्षिक अधिवेशन, लखनऊ, 29-31 दिसम्बर 1990

सभा के प्रधान डॉ. ऋषि भार्गव की अध्यक्षता में सभी प्रारम्भिक औपचारिकताओं के पश्चात् अधिवेशन की कार्यवाही आरम्भ की गई। श्री सुरेश (प्रधान सचिव) अपनी धर्मपत्नी के निधन के कारण उपस्थित नहीं हो सके। मन्त्री श्री बालकृष्ण (दिल्ली) ने बैठकों की कार्यवाही प्रारम्भ की।

● पुरस्कार तथा छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि की स्वीकृति दी गयी। ● प्रतियोगिताओं में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों की पुरस्कार राशि - राष्ट्रीय स्तर प्रथम 500, द्वितीय 300; प्रान्तीय स्तर प्रथम 300 तथा द्वितीय 200 तथा अर्जुन अवार्ड या उस स्तर के अन्य पुरस्कार प्राप्त करने वालों को 500 रुपये। ● छात्रवृत्तियों/अध्ययन ऋण में नर्सरी से एल.एल.बी. व पी.एच.डी. तक 125 रुपये से 400 रुपये तक के मध्य कक्षानुसार दिया जाये। इस हेतु प्रार्थी के माता-पिता की मासिक आय की सीमा 2,000 रुपये होनी चाहिये। ● 70 वर्ष से कम आयु वालों को 121 रुपये से 150 रुपये; 70 से अधिक आयु वालों को 150 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये तथा आश्रितों को 25 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये देने की अनुमति दी गयी।

● संजय भार्गव, दुकान नं. 88, 9.1.1990 को दी गयी लीज डीड रद्द कराने के लिये प्रधान सचिव से कहा गया। दुकानों को हस्तान्तरण करने के लिये जायदाद कमेटी विचार कर अपनी संस्तुति दे। ● चुनाव अधिकारी ने विजयी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की; प्रधान श्री ऋषि भार्गव, जयपुर; प्रधान मन्त्री श्री राजेन्द्र नाथ, कानपुर और कोषाध्यक्ष श्री श्रीकुमार भार्गव, कानपुर व 5 उप-प्रधान तथा 43 सदस्य। ● विभिन्न उपसमितियों का गठन किया गया।





सभा का 102वाँ साधारण वार्षिक अधिवेशन, कानपुर, 28-30 दिसम्बर 1991

सभा के प्रधान, डॉ. ऋषि भार्गव की अध्यक्षता में सभी प्रारम्भिक औपचारिकताओं के पश्चात् अधिवेशन की कार्यवाही आरम्भ की गई।

● अधिवेशन में निधियों द्वारा स्थापित मान-सम्मान पुरस्कार, सभा के पुरस्कार व सर्वोत्तम सभाओं को पुरस्कृत किया गया। ● सांसद श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर), लेफ्टीनेन्ट जनरल डॉ. उमा शंकर (दिल्ली) एवं डॉ. दिनेश भार्गव (दिल्ली) को उनकी देश तथा समाज के प्रति अति उत्तम सेवाओं एवं व्यक्तिगत गुणों के लिये अपने कार्य क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त करके समाज का गौरव व प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये सभा द्वारा रजत प्लेट व स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।

1990-91 के आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत करने पर बधाई देते हुए सदस्यों ने कहा कि कई वर्षों के उपरान्त यह पहला अवसर है जब कि आय-व्यय का विवरण समय पर मिल गया। किन्तु यह जानकर आश्चर्य व दुःख हुआ कि पिछले 7 वर्षों से सभा को रु. 3,68,935/- की आर्थिक हानि उठानी पड़ी। ऐसी परिस्थिति को समझते हुए सदस्यों के आगे झोली फैलाकर दानवीरता का परिचय देते हुए उपस्थित सदस्यों ने 53,103/- रुपये सभा हेतु एकत्रित किये। पारित किया गया कि वार्षिक अधिवेशन आयोजित करने वाली स्थानीय सभा को 30,000/- रुपये अनुदान देने की प्रथा बन्द कर दी जाये। वार्षिक चुनाव हर दो वर्ष बाद किये जायें। इस सम्बन्ध में नियमावली उपसमिति को निर्देश दिये जायें। पत्रिका का वार्षिक शुल्क 15/- रुपये से बढ़ाकर 1.4.1992 से 35/- रुपये कर दिया गया।

चुनाव अधिकारी श्री रमेश चन्द भार्गव (जयपुर) ने नवनिर्वाचित प्रधान जस्टिस सुरेन्द्र नाथ; प्रधान सचिव श्री राजेन्द्र नाथ; कोषाध्यक्ष श्री कुमार तथा उप-प्रधान व सदस्यों के नामों की घोषणा की। समाज सुधार उपसमिति तथा शिक्षा उपसमिति का गठन किया गया। सर्वश्री किशोरी लाल, रविशंकर व डॉ. सुभाष (दिल्ली) को न्यायाधिकरण का सदस्य नियुक्त किया गया। निश्चय किया गया कि भार्गव सभा का 'स्थायी केन्द्रीय अभिलेखागार' दिल्ली में स्थापित किया जाये।

सभा का 103वाँ साधारण वार्षिक अधिवेशन, उज्जैन, 14-16 मई 1993

सभा के प्रधान जस्टिस सुरेन्द्र नाथ, जयपुर की अनुपस्थिति पर उप-प्रधान श्री कुँवर कृष्ण (इलाहाबाद) की अध्यक्षता में सभी प्रारम्भिक औपचारिकताओं के पश्चात् अधिवेशन की कार्यवाही आरम्भ की गई।

भार्गव पत्रिका की 250/- रुपये वाली आजीवन सदस्यता समाप्त कर 'भार्गव पत्रिका जमा योजना' आरम्भ की गई। आगे से समाज कल्याण उपसमिति की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मासिक सहायता 250/- रुपये से बढ़ाकर 300/- रुपये मासिक व चिकित्सा राशि 40/- रुपये मासिक से बढ़ाकर 100/- रुपये मासिक कर दी गई।

रेवाड़ी स्थित मन्दिर कौशल किशोर शिव जी महाराज की भूमि 46 कनाल, 6 मरला (जिसे श्री रघुनाथ काशत करता था) का हरियाणा सरकार ने अधिकरण कर लिया है। मुआवजे के रूप में 13.44 लाख रुपये भार्गव सभा व 3.16 लाख रुपये रघुनाथ सैनी काशतकार को मिले।

मन्दिर की हदवस्त नं. 125 को अधिकरण कर 30.4.1993 को एवार्ड सुना दिया जिसका मुआवजा 4,96,281/- रुपये प्रति एकड़ निर्धारित किया।





सभा का 104वाँ वार्षिक अधिवेशन, वृन्दावन (मथुरा), 25-26 दिसम्बर 1993

सभा के प्रधान श्री कुँवर कृष्ण (इलाहाबाद) की अध्यक्षता में सभी प्रारम्भिक औपचारिकताओं के पश्चात् अधिवेशन की कार्यवाही आरम्भ की गई।

प्रधान सचिव ने बताया कि इस वर्ष सभा का गत वर्षों का घाटा पूरा करने के उपरान्त 3,23,017/- रु. की बचत हुई। 31.3.1994 के अन्त तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 2,62,745/- रु. और छात्रवृत्ति 84,687/- रु. वितरित की गई।

पारित किया गया कि स्थानीय सभाओं द्वारा नेत्र व चिकित्सा शिविर लगाने के लिये प्रधान सचिव द्वारा वर्ष में 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता आवश्यकतानुसार दी जा सकती है। निश्चय किया गया कि निम्नलिखित भविष्य की योजनाओं को पूर्ण करने हेतु बचत का कुछ प्रतिशत सुरक्षित रखा जाय:-

1. चम्पादेवी की वसियत के अनुसार आगरा में धर्मशाला का निर्माण।
2. रेवाड़ी में सार्वजनिक भवन का निर्माण।
3. रेवाड़ी में श्री शिवजी महाराज के मन्दिर का जीर्णोद्धार।
4. उपयुक्त स्थान पर वृद्धाश्रम का निर्माण।

सभा का 105वाँ वार्षिक अधिवेशन, दिल्ली, 30 दिसम्बर 1994 से 1 जनवरी 1995

सभा के उप-प्रधान श्री विनय (इन्दौर) की अध्यक्षता में प्रथम बार दिल्ली के वातानुकूलित तालकटोरा स्टेडियम के विशाल प्रांगण में सभी प्रारम्भिक औपचारिकताओं के पश्चात् अधिवेशन की कार्यवाही आरम्भ की गई। श्री सुबोध भार्गव मुख्य अतिथि थे।

शारदा-शंकर सरन पुरस्कार डॉ. पुष्पमित्र को विशेष उपलब्धि पर तथा सभा का विशिष्ट पुरस्कार प्रशंसनीय कार्य हेतु श्रीकृष्ण भार्गव, ग्वालियर (मरणोपरान्त); श्री बाल कृष्ण भार्गव (मन्त्री, दिल्ली भार्गव सभा); श्री रविन्द्र भार्गव (इन्दौर) तथा श्री रमेश भार्गव (अलवर) को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। विधवाओं व चिकित्सा हेतु अलग-अलग दी जाने वाली राशि अब एक साथ मिलाकर 400 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये प्रति माह व उनके आश्रितों को 75 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति माह देना पारित किया गया। 1.4.1995 से छात्रवृत्ति की वर्तमान दरों में 15 प्रतिशत की वृद्धि तथा प्रतियोगिताओं में दी जाने वाली राशि को भी निम्नानुसार स्वीकृति दी गई:-

राष्ट्रीय स्तर - 500 रुपये प्रथम तथा 300 रुपये द्वितीय।

प्रान्तीय स्तर - 300 रुपये प्रथम तथा 200 रुपये द्वितीय।

अर्जुन एवार्ड - 1000 रुपये।

श्रीमती केसर देवी के लखनऊ के मकान को कम से कम 1 लाख 50 हजार रुपये में बेचने की अनुशंसा की पुष्टि की गई। द्विवार्षिक चुनाव में श्री भूपेन्द्र नाथ चुनाव अधिकारी ने सर्वश्री विजय नारायण (दिल्ली) प्रधान, मनमोहन कुमार (दिल्ली) प्रधान सचिव, ओम प्रकाश (दिल्ली) कोषाध्यक्ष, पाँच उप-प्रधान व 43 कार्यकारिणी सदस्यों के नामों की घोषणा की।

शिक्षा व समाज सुधार उपसमिति का गठन किया गया। तीन साल के लिये श्री किशोरी लाल (दिल्ली), डॉ. सुभाष (दिल्ली) व श्री शान्तनु (कानपुर) को न्यायाधिकरण में चुना गया। रेवाड़ी स्थित



अचल सम्पत्तियों की देखरेख के लिये 13 सदस्यों की मेनेजिंग कमेटी का (Rewari Property Managing Committee) का गठन Rules and Regulations बताकर प्रथम बार किया गया। निधियों द्वारा स्थापित विभिन्न पुरस्कार व सभा के अन्य पुरस्कार देकर सदस्यों को सम्मानित किया गया।

सभा का 106वाँ वार्षिक अधिवेशन, बीकानेर, 23-25 दिसम्बर 1995

सभा के प्रधान श्री विजय नारायण की अध्यक्षता में सभी प्रारम्भिक औपचारिकताओं के पश्चात् अधिवेशन की कार्यवाही आरम्भ की गई।

प्रधान सचिव ने बताया कि 60 सभाओं में से केवल 28 सक्रिय हैं। कहीं-कहीं तो चुनाव भी सम्पन्न नहीं हुए।

पारित किया गया कि अधिवेशन आयोजित करने वाली स्थानीय सभा को 30,000 रुपये का अनुदान और कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करने वाली स्थानीय सभा को 5,000 रुपये का अनुदान ऐसी स्थानीय सभा को दिया जाये जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो। श्रीमती सावित्री देवी का मकान बेचने के लिये उसका आरक्षित मूल्य चार लाख रुपये रखा जाये। निर्णय लिया गया कि विवाह प्रत्याशियों के पंजीकरण के समय जमा योजना के अन्तर्गत पंजीकरण शुल्क 300 रुपये लिये जायें। विवाह सम्पन्न हो जाने पर लड़के की जमा राशि सभा की आजीवन सदस्यता शुल्क में परिणित कर दी जाये और लड़की के मामले में जमा राशि लड़की के अभिभावक को वापिस लौटा दी जाये। निधियों द्वारा स्थापित विभिन्न पुरस्कार, सभा के अन्य पुरस्कार देकर व वरिष्ठ सदस्यों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। इस वर्ष की विशेष बात यह है कि भार्गव सभा ने अपनी कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सचित्र डायरेक्ट्री का प्रकाशन आरम्भ किया।

सभा का 107वाँ वार्षिक अधिवेशन, गुड़गाँव, 28-30 दिसम्बर 1996

सभा के प्रधान श्री विजय नारायण की अध्यक्षता में सभी प्रारम्भिक औपचारिकताओं के पश्चात् अधिवेशन की कार्यवाही आरम्भ की गई।

नर्सरी से पी.एच.डी. तक की विभिन्न कक्षाओं हेतु छात्रवृत्ति 80 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये मासिक तक कर दी गई। आश्रितों को दी जाने वाली सहायता 450 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये व उनके आश्रितों को 100 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये कर दिये गए। प्रधान सचिव ने बताया कि भार्गव आश्रम हरिद्वार का जीर्णोद्धार का कार्य मार्च 1997 तक पूर्ण होने की सम्भावना है, उस पर लगभग 5 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। प्रधान सचिव को सभा की अचल सम्पत्तियों के क्रय विक्रय एवं पट्टे आदि के सम्बन्ध में आवश्यक प्रलेख कार्यान्वित का अधिकार देती है। बोर्डिंग हाउस रेवाड़ी में वृद्धाश्रम खोलने व हिन्दू हायर सेकेंड्री स्कूल भवन को खाली कराने हेतु सचिव रेवाड़ी जायदाद प्रबन्धक समिति को अदालती कार्यवाही के लिये प्रधान सचिव द्वारा मुखत्यारनामा दिये जाने की अनुमति दी गई।

नेशनल इनस्टीट्यूट फार ट्रेनिंग ऑफ हाईवे इन्जिनियरिंग के ऊपर ग्राउण्ड फ्लोर खाली करने के लिये क्षति पूर्ति का दावा करने की अनुमति दी गई। अधिवेशन आयोजित करने वाली सभा को क्षति पूर्ति के लिये 30,000 रुपये तक दिये जायें। भार्गव पत्रिका का वार्षिक शुल्क 35 रुपये से 50 रुपये प्रति वर्ष और जमा योजना 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने की अनुमति दी गई।

 दिनांक 6.7.1997 की विशेष आम सभा में सम्पन्न हुए चुनाव सत्र 1997-99 के अन्तर्गत श्री विजय नारायण अध्यक्ष, श्री मनमोहन कुमार प्रधान सचिव, श्री कमलेश्वर प्रसाद कोषाध्यक्ष, 5 उप-प्रधान एवं 43 कार्यकारिणी सदस्य चुने गए। शिक्षा एवं समाज कल्याण उपसमिति का गठन किया गया।

सभा का 108वाँ वार्षिक अधिवेशन, ग्वालियर, 26-28 दिसम्बर 1997

सभा के प्रधान श्री विजय नारायण की अध्यक्षता में सभी प्रारम्भिक औपचारिकताओं के पश्चात् अधिवेशन की कार्यवाही आरम्भ की गई। मुख्य अतिथि प्रोफेसर दया नन्द भार्गव थे।

दस-दस हजार रुपये की श्रीमती स्वर्ण लता-श्री औंकार नाथ भार्गव, श्रीमती ज्ञानवती भार्गव-स्व. नन्द किशोर और श्रीमती सुलोचना-विष्णु मोहन स्मृति निधि का गठन किया गया।

रेवाड़ी जायदाद प्रबन्धक समिति को निर्देश दिया गया कि समस्त किरायेदारों से एग्रीमेन्ट किये जायें।

● दिल्ली की बम ब्लास्ट पीड़िता के लिये पाँच हजार रुपये की सहायता प्रदान की गई। ● अधिवेशन आयोजित करने वाली सभा को 25 रुपये तक पंजीकरण शुल्क लेने की अनुमति दी गई। ● भार्गव आश्रम में ठहरने की दरें निम्न प्रकार से पारित की गई - एकल कक्ष-20 रुपये, युगल कक्ष-40 रुपये, विशिष्ट कक्ष-60 रुपये, सामूहिक शयनागार-10 रुपये प्रति व्यक्ति। इन दरों पर 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान भार्गवों के लिये रखा गया है। ● डुप्लीकेट परिचय पत्र बनवाने के लिये 25 रुपये शुल्क लिये जायें। ● 8/10, एलगिन रोड, इलाहाबाद की 1366 वर्ग गज भूमि को खरीदकर अखिल भारतीय भार्गव सभा के नाम किया जाये। ● नरही स्थित मकान का आधा भाग 3.05 लाख रुपये में व पूरा मकान 6 लाख रुपये से कम में न बेचा जाये। ● सावित्री देवी का मकान, रेवाड़ी को 2 लाख रुपये में बेचने की अनुमति दी गई तथा कमीशन के 10,000 रुपये देने की भी अनुमति दी गयी। ● ग्राम ढलियावास की 33 कनाल भूमि (जिसे रघुनाथ सैनी जोतता है) में से 9 कनाल रघुनाथ सैनी और बाकी 24 कनाल अखिल भारतीय भार्गव सभा के नाम करने पर स्वीकृति दी गई। ● भार्गव आश्रम, अलवर की दुकानों का किराया बढ़ाकर 80 रुपये मासिक कर दिया गया।

नेतराम सैनी द्वारा प्लॉट साईज 14 फीट x 20 फीट के समझोते की पुष्टि की गई। ● गंगा आश्रम, भोलागिरी रोड, हरिद्वार का प्रबन्ध भार्गव सभा के हाथों में लिया गया व इसकी प्रबन्धक समिति के गठन में गंगा आश्रम ट्रस्ट के वर्तमान 6 सदस्यों को आजीवन सदस्य के रूप में रखा जाये। ● श्रीमती कलावती जयन्ती प्रसाद भार्गव निधि के अन्तर्गत उनकी पुत्री श्रीमती पदमावती भार्गव को श्रावण के सिंधारे के रूप में 100 रुपये से बढ़ाकर 1001 रुपये प्रति वर्ष दिया जाये। ● निर्णय लिया गया कि टैक्निकल छात्रवृत्ति हेतु छात्रवृत्ति के स्थान पर कम ब्याज पर ऋण दिया जाये। निर्वाचन न्यायाधिकरण का भी गठन किया गया।

सभा का 109वाँ वार्षिक अधिवेशन, इन्दौर, 25-27 दिसम्बर 1998

सभा के प्रधान श्री विजय नारायण की अध्यक्षता में सभी प्रारम्भिक औपचारिकताओं के पश्चात् अधिवेशन की कार्यवाही आरम्भ की गई। सभा के मुख्य अतिथि श्री भूपेन्द्र नाथ भार्गव तथा मुख्य वक्ता श्री सुबोध भार्गव थे। सर्वश्री रवि शंकर जी, बाल कृष्ण जी तथा शंकर दत्त जी को उनकी सेवाओं के लिये स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।

 (22) अखिल भारतीय भार्गव सभा के गत 25 वर्षों (1990-2014) की गतिविधियाँ



इस सत्र में आय 3.71 लाख से बढ़कर 25 लाख तक पहुँच गई। इस अवसर पर सर्वोत्तम सभाओं को भी पुरस्कृत किया गया। प्रथम प्रकाशित दिल्ली की रिसोर्स डायरेक्ट्री जिसमें गाजियाबाद, गुडगाँव, फरीदाबाद, नोएडा और सोनीपत भी शामिल हैं, से सदस्यों को अवगत कराया ताकि अन्य सभाएँ भी इसी प्रकार की रिसोर्स डायरेक्ट्री बनायें। इससे हम सब जान सकते हैं कि कौन, कहाँ, और क्या कर रहा है।

नरही स्थित मकान के एक भाग को 3.61 लाख रुपये में श्री रमेश चन्द्र गुप्ता को बेचने की अनुमति दी गई। ● आगरा स्थित चम्पा देवी का मकान व 174, जोरबाग, नई दिल्ली के मकान को खाली कराने के लिये कार्यवाही करने की अनुमति दी गई। ● भार्गव आश्रम, हरिद्वार में भार्गव बन्धु की अनुशंसा पर अन्य जाति बन्धुओं को भी ठहरने की इजाजत दी गई, किन्तु उनसे 50 प्रतिशत शुल्क अधिक लिया जाये। ● ढोसी मन्दिर की खण्डित मूर्ति के स्थान पर खरीद कर नई मूर्ति स्थापित करने की अनुमति दी गई। 14 फरवरी 1956 को श्रीमती कलावती-जयन्ती प्रसाद ट्रस्ट की स्थापना के अन्तर्गत प्रदत्त करोल बाग स्थित मकान को 28.9.1992 को 9,65,000 रुपये में बेच दिया गया है। ट्रस्ट के संस्थापक के रिश्तेदारों ने आग्रह किया कि इससे अर्जित ब्याज के 75 प्रतिशत भाग को तकनीकी शिक्षा के प्रसार आदि कार्यों में उपयोग किया जाये और कम से कम उनके दो सदस्यों को तकनीकी शिक्षा समिति में लिया जाये।

1998 में पानीपत में हेमू की स्थापित मूर्ति जिसमें हेमू के आगे अग्रवाल वैश्य लिखा हुआ था में हेरिटेज उपसमिति के प्रयास से हरियाणा सरकार को दस्तावेज दिखाने के उपरान्त हेमू जी के आगे भार्गव शब्द जोड़ दिया गया।

टेक्नीकल शिक्षा के अन्तर्गत दी जाने वाली ऋण राशि रु. 10,000 से बढ़ाकर रु. 20,000 कर दी गई। टेक्नीकल शिक्षा निधि की सदस्यता राशि को बढ़ाकर आजीवन सदस्यों के लिये रु. 5,000, दानदाता सदस्यों के लिये रु. 10,000 और संरक्षक सदस्यों के लिये रु. 15,000 से रु. 25,000 कर दिया गया।

प्रो. राजेन्द्र नाथ भार्गव निधि वाराणसी, श्रीमती भगवती देवी-श्री गिरधारी लाल निधि जयपुर और श्रीमती भगवती देवी-श्री कामेश्वर सहाय निधि लखनऊ को उनके अभिभावकों की इच्छानुसार तकनीकी शिक्षा ऋण हेतु उपयोग में लिया जाये।

तकनीकी शिक्षा उपसमिति की जगह इसे तकनीकी शिक्षा प्रबन्धक समिति (Technical Education Managing Committee) कहा जाये। जिसमें 15 सदस्य हों।

श्री किशोरी लाल (दिल्ली), डॉ. सुभाष (दिल्ली) और श्री मुकुट बिहारी लाल (रेवाड़ी) को न्यायाधिकरण का सदस्य चुना गया। चुनाव अधिकारी श्री रमेश चन्द्र द्वारा श्री विजय नारायण (दिल्ली) प्रधान, श्री मनमोहन कुमार (दिल्ली) प्रधान सचिव तथा श्री बाल कृष्ण (दिल्ली) कोषाध्यक्ष, 5 उप-प्रधान तथा 43 सदस्यों के नामों की घोषणा की। शिक्षा व समाज कल्याण उपसमिति का गठन किया गया।

सभा का 110वाँ वार्षिक अधिवेशन, इलाहाबाद, 24-26 दिसम्बर 1999

सभा के प्रधान श्री विजय नारायण की अध्यक्षता में सभी प्रारम्भिक औपचारिकताओं के पश्चात् अधिवेशन की कार्यवाही आरम्भ की गई। मुख्य अतिथि सांसद श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) तथा विशिष्ट अतिथि डॉ. रंजीत (लखनऊ) थे।





मुंशी नवल किशोर (लखनऊ) के वंशज डॉ. रंजीत भार्गव जिन्हें नीदरलैण्ड के प्रिन्स ने पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान Order of the Golden Ark Award जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया, उन्हें सभा ने भी रजत प्लेट व प्रशस्ति पत्र देकर भार्गव सभा ने अपने आप को गौरान्वित किया।

अनुमोदन किया गया कि श्रीमती चम्पा देवी (आगरा) के मकान के क्रेता श्री राधेलाल माहेश्वरी के विरुद्ध 138 नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट्स एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा दायर करने हेतु वकील की फीस 8,000/- रुपये की स्वीकृति दी गई। जोरबाग नई दिल्ली भवन की निचली मंजिल खाली कराने हेतु कानूनी व्यय हेतु 8,000/- रुपये की स्वीकृति दी गई। • स्वर्गीय श्रीमती भगवान देई द्वारा पारित रजिस्टर्ड ट्रस्ट डीड 16.6.1941 के पैरा 10 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार गंगा आश्रम हरिद्वार ट्रस्ट की इमारत में साज सज्जा, समस्त अधिकारों एवं कर्तव्य तथा पूर्ण उत्तरदायित्व सहित भार्गव सभा प्रबन्ध के लिये अपने अधिकार में ले ले। इसका स्वामित्व एवं अधिपत्य स्थायी व अपरिवर्तनीय होगा। इसे फ्री-होल्ड कराने के लिये कानूनी खर्च सहित 2 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। • गंगा आश्रम के प्रबन्धक समिति के नियम विनियम को भी स्वीकृति प्रदान की गई। • रेवाड़ी में श्रीमती सुरली देवी से लगभग 19,000 वर्ग गज जमीन का कब्जा मिलते ही चारदीवारी हेतु 10 लाख रुपये स्वीकृत किये गए। • ढालियावास की भूमि रघुनाथ सैनी से खाली करवायी जाये। • रेवाड़ी भार्गव मार्किट कॉम्पलैक्स की जिन दुकानदारों ने किराया नहीं दिया था या किरायेदारों ने दुकानें किसी अन्य को दीं या बन्द पड़ी हैं उनके विरुद्ध बेदखली की कानूनी कार्यवाही की जाये और ऐसे लोगों के बारे में भार्गव पत्रिका में छापा जाये। किरायेदारों से किश्तों में किराया न लिया जाये। • सिविल कोर्ट में समझौते के अनुसार 19,000 वर्ग गज भूमि जो सुरली देवी के कब्जे से मुक्त हुई है उस पर फलदार वृक्ष हैं। अतः उसे 29,000/- रुपये में लीज पर देने का निर्णय लिया गया।

विवाह परामर्श उपसमिति के सहयोग से आयोजित विवाह परामर्श शिविर लगाने वाली स्थानीय सभा को 5 हजार रुपये दिये जायें। • अखिल भारतीय भार्गव महिला सभा को वर्ष 1990-2001 के लिये अस्थायी रूप से सम्बद्धता प्रदान की गई। • भार्गव सभा की वैबसाइट आरम्भ करने की सैद्धान्तिक रूप से अनुमति दी गई। • कोटा के शारदा भार्गव भवन के निर्माण हेतु 50,000/- रुपये की सहायता दी गई। • श्री अरुण भार्गव (जयपुर) को 2,000/- रुपये मासिक पर भार्गव आश्रम हरिद्वार का प्रबन्धक नियुक्त किया गया। इसके साथ गंगा आश्रम को देखने के लिये 500/- रुपये अलग से दिये गए। • किसी एक सज्जन द्वारा डोरमेट्री लेने पर उसके द्वारा डोरमेट्री का ताला लगाकर जाने पर उससे पूरी डोरमेट्री का किराया वसूला जाये। • वरिष्ठ नागरिक/छात्रा के 15 दिन से अधिक भार्गव आश्रम हरिद्वार में ठहरने पर उससे केवल 50 प्रतिशत शुल्क लिया जाये।

सभा का 111वाँ वार्षिक अधिवेशन, मेरठ, 24-26 दिसम्बर 2000

सभा के प्रधान श्री विजय नारायण की अध्यक्षता में सभी प्रारम्भिक औपचारिकताओं के पश्चात् अधिवेशन की कार्यवाही आरम्भ की गई। मुख्य अतिथि सांसद श्री गिरधारी लाल भार्गव थे। गत वर्ष से आरम्भिक वरिष्ठ सदस्यों/सदस्याओं को इस वर्ष भी शाल ओढ़ा कर सम्मानित किया।

निम्नलिखित विशेष निर्णय लिये गए:- • ढालियावास से सम्बन्धित हाई कोर्ट चण्डीगढ़ के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में LPA दायर की जाये। • ढोसी मन्दिर की खण्डित मूर्ति के नवनिर्माण हेतु



स्वीकृति दी गई। • समाज कल्याण स्थायी कोष की स्थापना की जाये, इससे प्राप्त ब्याज द्वारा सहायता की जाये। • निधि संचालन उपसमिति का गठन किया जाये जिसका संयोजक श्री बाल कृष्ण (दिल्ली) को बनाया जाये। • रेवाड़ी में हेमू जी की प्रतिमा लगाने तथा चौक का नाम हेमचन्द्र चौक रखे जाने हेतु प्रयास किया जाये। • दिल्ली भार्गव सभा के शताब्दी समारोह पर विवाह परामर्श उपसमिति अपना शिविर आयोजित करे। • श्री स्वरूप सिंह रेवाड़ी बनाम म्युनिसिपल कमेट्री रेवाड़ी केस में जो फैसला हुआ है उसके विरुद्ध अपील दायर करने हेतु श्री परमेश्वर नाथ को अधिकृत किया गया। • आर्थिक राशि 500/- रुपये से बढ़ाकर 600/- रुपये एवं आश्रितों को 125/- रुपये से बढ़ाकर 150/- रुपये कर दी जाये। • इस वर्ष विवाह परामर्श उपसमिति के प्रयासों से यह सम्भव हुआ कि आप सी.डी., कम्प्यूटर व इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे विवाह योग्य युवक-युवतियों के विवरण के साथ चित्र भी देख सकते हैं। • निर्वाचन अधिकारी श्री रमेश चन्द ने द्विवार्षिक चुनाव में श्री सुरेश कुमार प्रधान; श्री मनमोहन कुमार प्रधान सचिव; श्री बाल कृष्ण दिल्ली को कोषाध्यक्ष, 5 उप-प्रधान तथा 43 सदस्यों के नामों की घोषणा की।

सभा का 112वाँ वार्षिक अधिवेशन, कोटा, 28-30 दिसम्बर 2001

सभा के प्रधान श्री विजय नारायण की अध्यक्षता में सभी प्रारम्भिक औपचारिकताओं के पश्चात् अधिवेशन की कार्यवाही आरम्भ की गई। 20 वरिष्ठ नागरिकों को शाल उद्धा कर सम्मानित किया गया। निम्नलिखित विशेष निर्णय लिये गए:- • भार्गव मार्केट कॉम्प्लैक्स के दुकानदारों द्वारा किराया न देने पर उनके विरुद्ध मुकदमा दायर करने के लिये श्री परमेश्वर नाथ (रेवाड़ी) को अधिकृत किया गया। • संशोधित रीति संग्रह को स्वीकृति दी गई। • भार्गव आश्रम हरिद्वार में ठहरने के किराये में 1.1.2002 से बढ़ोतरी कर दी गई। • निधि संचालन उपसमिति के संयोजक व वित्तीय उपसमिति के सचिव श्री बाल कृष्ण ने विभिन्न उपायों से अवगत कराया और नयी योजनाओं व प्रस्तावों के अन्तर्गत व्यय की अनुमति देने से पूर्व आय के स्रोतों पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। आपने बताया कि वर्तमान में कुल 152 निधियाँ हैं। • कानपुर में 336-ए, शीतला बाजार, जाजमऊ की सम्पत्ति को 3 लाख रुपये में बेचने की अनुमति दी गई। • सभा की किसी भी सम्पत्ति व आश्रम में किसी को भी स्थायी रूप से न ठहराया जाये। • सभा के सभी कार्य यथासम्भव हिन्दी में किये जायें परन्तु अंग्रेजी व अन्य किसी भाषा का उपयोग वर्जित नहीं है। • प्रधान सचिव को अधिकृत किया गया कि 174, जोरबाग को किरायेदार नेशनल इन्स्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ हाईवे इंजीनियर्स से खाली कराने के लिये सभा के हित में समझौता किया जाये। • ढालियावास रेवाड़ी की भूमि को change of land use हेतु उचित कार्यवाही हेतु 1,20,900/- रुपये की स्वीकृति दी गई। • जोरबाग के शेष लगभग 20% भाग को टैक्सेशन से समझौते से खाली कराने के पश्चात् लगभग 20 लाख रुपये तक मरम्मत आदि के लिये व्यय किये जाने की अनुमति दी गई। • विधवा फण्ड का नाम बदलकर 'समाज कल्याण' कर दिया गया। • सम्राट हेमचन्द्र की 5वीं जन्मशताब्दी के अवसर पर विभिन्न आयोजन हेतु 1 लाख रुपये की अनुमति दी गई। • कैरियर डेवलेपमेन्ट उपसमिति का गठन किया गया जिसके संयोजक श्री कैलाश भार्गव (कोटा) को बनाया।



सभा का 113वाँ वार्षिक अधिवेशन, आगरा, 28-30 दिसम्बर 2002

सभा के प्रधान श्री सुरेश कुमार की अध्यक्षता में सभी प्रारम्भिक औपचारिकताओं के पश्चात् अधिवेशन की कार्यवाही आरम्भ की गई। निधियों द्वारा स्थापित पुरस्कार व भार्गव सभा के पुरस्कारों से बन्धुओं को सम्मानित किया गया।

निम्नलिखित विशेष निर्णय लिये गए:- ● आगरा में वृद्ध आश्रम हेतु 1255 वर्ग मीटर का भूखण्ड खरीदने हेतु शुल्क की राशि स्वीकृत की गई। ● लखनऊ में श्रीमती वन्दना भार्गव के अवैध कब्जे से खाली करने हेतु कानूनी कार्यवाही के लिये प्रधान सचिव को अधिकृत किया गया। ● श्री प्रदीप रेवाड़ी को ढोसी मन्दिर उपसमिति का संयोजक नियुक्त किया गया। ● भविष्य में भार्गव मार्केट कॉम्प्लैक्स रेवाड़ी की दुकानों के ट्रांसफर हेतु प्रत्येक दुकान के लिये 3 लाख रुपये से अधिक तथा भार्गव मोहिनी धर्मशाला की दुकानों के लिये 3.5 लाख रुपये से अधिक लिये जायें। ● भार्गव पत्रिका को काफी प्रयासों के पश्चात् वही पुराना पंजीकरण सं. RNINo. 4704/57 प्राप्त हो गया तथा डाकतार विभाग से भी पंजीकृत हो गई और पत्रिका केवल 50 पैसे में जाने लगी। 2003 में भार्गव पत्रिका के 494 आजीवन सदस्य, 440 धरोहर राशि के सदस्य और 318 वार्षिक सदस्य हैं। ● भार्गव आश्रम, हरिद्वार में दो इन्वर्टर, एक एक्वागार्ड तथा एक रूम कूलर भी लगवा दिया गया।

2003 में ढोसी धाम पर नई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई।

द्विवार्षिक चुनाव में निर्वाचन अधिकारी श्री कमलेश्वर प्रसाद ने प्रधान पद के लिये सुरेश कुमार (दिल्ली), प्रधान सचिव श्री मनमोहन कुमार (दिल्ली), कोषाध्यक्ष श्री ओमप्रकाश (ओमी) दिल्ली, 5 उप-प्रधान और 43 सदस्यों के नामों की घोषणा की।

तीन सदस्यों का निर्वाचन न्यायाधिकरण हेतु 5 वर्ष के कार्यकाल के लिये जस्टिस सुरेन्द्र नाथ (जयपुर), डॉ. सुभाष (नई दिल्ली) तथा श्री मुकुट बिहारी लाल (रेवाड़ी) को चुना गया।

सभा का 114वाँ वार्षिक अधिवेशन, वृन्दावन, 27-28 दिसम्बर 2003

सभा के प्रधान श्री सुरेश कुमार की अध्यक्षता में सभी प्रारम्भिक औपचारिकताओं के पश्चात् अधिवेशन की कार्यवाही आरम्भ की गई। निधियों द्वारा स्थापित पुरस्कार व भार्गव सभा के पुरस्कारों से बन्धुओं को सम्मानित किया गया। प्रधान जी ने बताया कि 9.11.2003 को ढोसी धाम के मन्दिर में नई पाँच मूर्तियों की स्थापना की गई।

निम्नलिखित विशेष निर्णय लिये गए:- ● वर्ष 2003-04 में समाज कल्याण उपसमिति से 76 प्रार्थियों की 6.10 लाख रुपये की सहायता दी गई। ● ढोसी पर प्रशासन द्वारा 6 लाख रुपये की लागत से टयूब वेल लगाया गया। ● सरकार ने 1.98 लाख रुपये व्यय कर पहाड़ के ऊपर टैंक से मिट्टी निकालने का कार्य पूर्ण किया। पुजारी नियुक्त कर दिया गया। ● भार्गव पत्रिका का वार्षिक शुल्क 50/- रुपये से बढ़ाकर 120/- रुपये व भार्गव पत्रिका जमा योजना 500/- रुपये से बढ़ाकर 1,500/- रुपये कर दी गई। ● 174, जोरबाग, दिल्ली को खाली कराने के लिये सरला भार्गव मेमोरियल ट्रस्ट को दान स्वरूप 20 लाख रुपये दे दिये जायें। ● सभाओं द्वारा ढोसी मन्दिर भ्रमण हेतु 20,000/- रुपये की जगह 30,000/- रुपये दिये जायें। ● गंगा आश्रम हरिद्वार को फ्री-होल्ड कराने में कानूनी सलाह के लिये 4,500/- रुपये तक व्यय किया जा सकता है।





सभा का 115वाँ वार्षिक अधिवेशन, कानपुर, 25-28 दिसम्बर 2004

सभा के प्रधान श्री सुरेश कुमार की अध्यक्षता में सभी प्रारम्भिक औपचारिकताओं के पश्चात् अधिवेशन की कार्यवाही आरम्भ की गई। विशिष्ट अतिथि सांसद श्री गिरधारी लाल भार्गव थे। अधिवेशन के अवसर पर प्रकाशित स्मारिका एवं पुरस्कृत व्यक्तियों पर एक सचित्र पुस्तिका का विमोचन किया गया।

निम्नलिखित विशेष निर्णय लिये गए:- • भार्गव मार्केट कॉम्पलैक्स रेवाड़ी में 17 नई दुकानों के निर्माण हेतु 15 लाख रुपये व्यय करने की स्वीकृति दी गई। • कार्यकारिणी बैठक (3.10.2004) के समय श्री अमर नाथ भार्गव (उदयपुर) के साथ अचानक दुर्घटना होने का समाचार मिलने पर 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया गया। • सभा कार्यालय के लिये एक कम्प्यूटर व प्रिन्टर 50,000 रुपये तक का खरीद लिया जाये। • लेखा परीक्षक का वार्षिक शुल्क 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया जाये। • सम्राट हेम चन्द्र विक्रमादित्य की पाँचवी जन्म शताब्दी के अवसर पर वर्ष 2004 में एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया व एक डाक्यूमेन्ट्री फिल्म का भी निर्माण किया गया। • इस वर्ष लगभग 1.56 लाख रुपयों की छात्रवृत्ति दी गई। • समाज कल्याण में वर्ष 2004-05 में 72 प्रार्थियों को 7.5 लाख रुपयों की सहायता दी गई। • संशोधित संविधान को सभा की स्वीकृति दी गई। • विभिन्न निधियों में 5 लाख रुपये प्राप्त हुए। • सभा कार्यालय 1.10.2005 से जी-62, सरिता विहार में स्थानान्तरित हो गया। • चुनाव अधिकारी श्री रमेश चन्द्र भार्गव (पंचकुला) द्वारा द्विवार्षिक चुनाव में विजयी डॉ. रवि भार्गव (कोटा) प्रधान, मनमोहन कुमार (दिल्ली) प्रधान सचिव, श्री ओम प्रकाश (दिल्ली) कोषाध्यक्ष, 5 उप-प्रधान और 43 सदस्यों के नामों की घोषणा की गई।

सभा का 116वाँ वार्षिक अधिवेशन, हरिद्वार, 23-25 दिसम्बर 2005

सभा के प्रधान डॉ. रवि भार्गव की अध्यक्षता में सभी प्रारम्भिक औपचारिकताओं के पश्चात् अधिवेशन की कार्यवाही आरम्भ की गई। अधिवेशन के अवसर पर प्रकाशित स्मारिका एवं पुरस्कृत व्यक्तियों पर एक सचित्र पुस्तिका का विमोचन किया गया। मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल श्री सुदर्शन अग्रवाल और विशिष्ट अतिथि सांसद श्री गिरधारी लाल भार्गव थे।

निम्नलिखित विशेष निर्णय लिये गए:- • शिक्षा छात्रवृत्ति में वर्ष 2005-06 से 25 प्रतिशत की वृद्धि करके सहायता राशि दी जाये। • सभा की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करने हेतु स्थानीय सभाओं को दी जाने वाली अनुदान राशि रुपये 5,000 से बढ़ाकर रुपये 15,000 कर दी जाये। • अधिवेशन आयोजित करने के लिये सभा को दी जाने वाली राशि बन्द कर दी जाये। • आगरा स्थित श्रीमती चम्पा देवी की सम्पत्ति के खरीददार से बकाया राशि 2,95,000 रुपये मय ब्याज के लेकर उसके पक्ष में रजिस्ट्री कर दी जाये। राशि न मिलने पर कानूनी कार्यवाही की जाये। • 174 जोरबाग, नई दिल्ली स्थित भवन का नवीनीकरण उपरान्त नाम 'सरला श्रीराम भवन' रखा जाये और इसे किसी भी परिस्थिति में न बेचा जाये। • रेवाड़ी स्थित भार्गव मार्केट कॉम्पलैक्स के किरायेदार जिसने तीन माह या उससे अधिक का किराया न दिया हो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाये। • प्रधान डॉ. रवि भार्गव हेतु कोटा में 1500 रुपये मासिक पर एक प्राईवेट सेक्रेटरी रखा जाये। • रेवाड़ी स्थित मार्केट कॉम्पलैक्स की दुकान नं. 19 के स्थानान्तरण के विषय में 1,50,000 रुपये की वसूली तुरन्त सभा कोष में जमा





164 छात्रों की 3.52 लाख रुपयों की छात्रवृत्ति दी गई। 80 (और 11 दिल्ली भागव सभा द्वारा) जरूरतमन्द को समाज कल्याण के माध्यम से 6.75 लाख रुपयों की सहायता दी गई। इसके अतिरिक्त एक-एक हजार रुपये दीपावली के अवसर भी दिये गए।

- पानीपत म्यूजियम में हैरिटेज उपसमिति के प्रयासों से हेम चन्द्र विक्रमादित्य के साथ 'भागव' शब्द को जुड़वाया गया।
- ढालियावास की 14,455 वर्ग गज भूमि पर सभा ने कब्जा प्राप्त किया।
- 1991 में HUDA ने रेवाड़ी की जिस जमीन को 19 लाख रुपयों देकर अधिकरण किया था उस पर काफी प्रयासों के पश्चात् सभा के पक्ष में 1.87 करोड़ रुपये तक के मुआवजे का निर्णय हुआ।
- अलवर में वृद्धाश्रम हेतु रियायती दर पर 1,000 वर्ग गज भूमि 6.73 लाख रुपये में खरीदी गई।
- 174 जोरबाग, नई दिल्ली स्थित भवन के सन्दर्भ में L&DO से प्राप्त 56,98,948 रुपये के डिमाण्ड नोटिस के विरुद्ध Writ फाईल करने व केस लड़ने के लिये 5 लाख रुपये तक व्यय करने की अनुमति दी गई।
- 8/10 एलगिन रोड, इलाहाबाद की सम्पत्ति में अवैध कब्जे व अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाये। निर्णय लिया गया कि सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु चारदीवारी बनवाई जाये।
- विभिन्न सम्पत्तियों के प्रबन्धन हेतु 20,000 रुपये तक एक एस्टेट मैनेजर की नियुक्ति की जाये।
- शिक्षा छात्रवृत्ति कक्षानुसार 135 रुपये से 250 रुपये मासिक से बढ़ाकर 160 रुपये से 300 रुपये मासिक तक कर दी जाये।
- युवा शक्ति को एक सूत्र में बाँधने की जिम्मेदारी डॉ. सुधा भागव (जयपुर) को दी गई।
- आगामी चार वर्ष के लिये 1.1.2008 से जस्टिस सुरेन्द्र नाथ (जयपुर), डॉ. ऋषि भागव (जयपुर) तथा श्री प्रदीप भागव (रेवाड़ी) को तीन सदस्यी न्यायाधिकरण के लिये चुना गया।
- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी (5)(vi) के अन्तर्गत भागव सभा का पंजीकरण हुआ।

सभा का 119वाँ वार्षिक अधिवेशन, इलाहाबाद, 27-29 दिसम्बर 2008

सभा के प्रधान श्री प्रकाश नारायण भागव की अध्यक्षता में सभी प्रारम्भिक औपचारिकताओं के पश्चात् अधिवेशन की कार्यवाही आरम्भ की गई। निधियों द्वारा स्थापित विभिन्न मान-सम्मान पुरस्कार, सभा के पुरस्कार, वरिष्ठ सदस्य/सदस्याओं व सर्वोत्तम सभाओं को सम्मानित किया गया। सभा की दो महान विभूतियाँ पं. किशोरी लाल (दिल्ली) पूर्व प्रधान और पं. राजेन्द्र नाथ (दिल्ली/कानपुर) पूर्व प्रधान सचिव व अन्य के निधन पर उनकी सेवाओं का वर्णन करते हुए भावभीनी श्रद्धाँजली दी गई। अधिवेशन के मुख्य अतिथि प्रोफेसर नागेश्वर राव, वाईस चान्सलर तथा विशिष्ट अतिथि सांसद श्री गिरधारी लाल जी भागव थे।

अधिवेशन के एक दिन पूर्व 26.12.2008 को सभा के संविधान के अध्याय 10 की धारा 20.1 एवं 20.2 के अन्तर्गत संशोधित संविधान की अनुशंसा हेतु एक विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया। इसमें संशोधित संविधान का अनुमोदन कर 1.4.2009 से लागू करने को कहा जिसे वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया।

- पारित किया गया कि
- भागव आश्रम, हरिद्वार के जीर्णोद्धार हेतु पाँच लाख रुपये दिये जायें।
 - बस द्वारा ढोसी धाम यात्रा कराने वाली स्थानीय सभाओं को रुपये 8,000 तक का अनुदान दिया जाये।
 - वंशावली पुस्तिका श्रीमती पुष्पा-श्री नगेन्द्र प्रकाश के सौजन्य से छापी गई, अतः इस खर्चे को सभा



के खर्चे में सम्मिलित न किया जाये। ● सभा के आजीवन सदस्यों की कम्प्यूटराइज्ड प्रिन्ट की सूची की कीमत 300 से 500 रुपये कर दी गई। ● अखिल भारतीय भार्गव सभा के नाम में अलवर में 1,000 वर्ग गज जमीन आर्बिट्रिट होने के फलस्वरूप नगर विकास न्यास, अलवर को 6,73,744 रुपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट देने की अनुमति दी गई। ● इसी वर्ष आयकर विभाग से 80G का सर्टीफिकेट प्राप्त हुआ। ● विभिन्न मदों में इस वर्ष लगभग 25 लाख रुपये निधि मिले। ● निवर्तमान प्रधान सचिव श्री मनमोहन कुमार ने अपने 14 वर्ष के कार्यकाल में अपने सहयोगियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। ● वर्ष 2008-09 में 91 जरूरतमन्द को 8.87 लाख रुपये की सहायता (1.10 लाख रुपये दिल्ली की मिलाकर) दी गई। इसके अतिरिक्त दीपावली के पर्व पर 1000/- रुपये की राशि शिक्षावृत्ति में दिये गए। ● वर्ष 2008-09 में 144 प्रार्थियों को 3.62 लाख रुपये शिक्षावृत्ति में दिये गए। ● मेधावी छात्रों को पुरस्कार राशि बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी गई। इस वर्ष दस नई उपसमितियों का गठन किया गया। ● वर्ष 2008-09 में सभा के विभिन्न मदों में 12,99,747 रुपयों की नई निधियाँ स्थापित की गई।

इस वर्ष 21 वरिष्ठ महिलाओं को एवं 14 वरिष्ठ पुरुषों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। ● वंशावली पुस्तक का प्रकाशन श्रीमती पुष्पा-श्री नगेन्द्र प्रकाश भार्गव के सौजन्य से सभा द्वारा किया गया। ● इस वर्ष 'स्मृति पुस्तिका' एवं 'वंशावली' दो पुस्तकों का विमोचन किया गया, जिनके लेखक, संयोजक एवं सम्पादक श्री बाल कृष्ण भार्गव (दिल्ली) रहे।

वर्ष 2009-11 के लिये चुनाव अधिकारी श्री डी.सी.डी. भार्गव, आई.ए.एस. ने प्रधान पद के लिये श्री मनमोहन कुमार (दिल्ली/गुड़गाँव), प्रधान सचिव पद के लिये श्री हीरेन्द्र नाथ भार्गव (गुड़गाँव), कोषाध्यक्ष के लिये श्री ओम प्रकाश (दिल्ली) का नाम, 5 उप-प्रधान एवं 43 निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा की।

श्री मनमोहन कुमार जी की अध्यक्षता में एक विशेष अधिवेशन 12.7.2009 को लखनऊ में सम्पन्न हुआ। चर्चा उपरान्त वर्ष 2007-08 के एकाउन्ट्स पारित किये गए। निर्णय लिया गया कि 174, जोरबाग के नवनिर्माण हेतु आवश्यकता पड़ने पर सभा अपनी एफ.डी.आर. पर ऋण की अनुमति देती है। ऋण 8% - 12% वार्षिक ब्याज पर लिया जा सकता है।

सभा का 120वाँ वार्षिक अधिवेशन, हरिद्वार, 25-27 दिसम्बर 2009

सभा के प्रधान श्री मनमोहन कुमार भार्गव की अध्यक्षता में सभी प्रारम्भिक औपचारिकताओं के पश्चात् अधिवेशन की कार्यवाही आरम्भ की गई।

निम्नलिखित विशेष निर्णय लिये गए:- ● भार्गव आश्रम हरिद्वार के जीर्णोद्धार हेतु 8 लाख रुपये तक खर्च किया जाये। ● 174, जोर बाग (सरला श्रीराम भवन) को पूर्ण ध्वस्त कर बेसमेन्ट सहित चार मंजिला बनाया जाये जिसके लिये तीन करोड़ रुपये पारित किये गए। और अधिक व्यय के लिये अन्य स्रोतों से ऋण व दान लिये जाये। ऋण पर 10% ब्याज दिया जाये। इस कार्य को लगभग दो वर्ष में पूरा किया जाये। एक स्थायी कार्यान्वयन कमेटी का गठन किया गया जिसमें 1. डॉ. ऋषि भार्गव, 2. श्री विजय नारायण, 3. श्री सुरेश कुमार, 4. श्री मनमोहन कुमार, 5. श्री हीरेन्द्र नाथ, 6. श्री सुरेन्द्र नाथ, 7. श्री ओम प्रकाश (ओमी जी), 8. श्री प्रकाश नारायण, 9. श्री बृजेन्द्र सिंह, 10. श्री नन्द लाल, 11. श्री परमेश्वर नाथ। ● टेक्नीकल एडवाइजरी कमेटी का भी गठन किया गया। जिसमें 4 आर्किटेक्ट

सर्वश्री प्रकाश नाथ भार्गव (जयपुर), गिरीश भार्गव (दिल्ली), जे.पी. भार्गव (लखनऊ) और एच.के. यादव (दिल्ली) को रखा गया। • वित्तीय सलाहकार समिति में सर्वश्री ओ.पी. भार्गव (ओमी, दिल्ली) कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय भार्गव सभा, श्री जितेन्द्र भार्गव (आगरा) सी.ए., सुनील भार्गव (लखनऊ) सी.ए., अशोक भार्गव, दिल्ली (पूर्व जी.एम. पी.एन.बी.) और यू.एस. भार्गव, गुड़गाँव (पूर्व सी.जी.एम. पी.एन.बी.) को रखा गया। कमेटी के समस्त सदस्यों ने इस कार्य हेतु पाँच-पाँच लाख या अधिक ऋण देने में अपनी सहमति दी। • जब तक ऋण की अदायगी न हो जाये यह कमेटी तब तक स्थायी रहेगी। वर्ष 2008-09 में विभिन्न मदों में लगभग 3 लाख रुपये की नई निधियाँ स्थापित की गईं और 2009-10 में दिसम्बर तक 3.57 लाख रुपये की निधियाँ बनीं।

सभा का 121वाँ वार्षिक अधिवेशन, वाराणसी, 24-26 दिसम्बर 2010

सभा के प्रधान श्री मनमोहन कुमार भार्गव की अध्यक्षता में सभी प्रारम्भिक औपचारिकताओं के पश्चात् अधिवेशन की कार्यवाही आरम्भ की गई।

1.4.2011 से शिक्षा छात्रवृत्ति कक्षा अनुसार जो 160 रुपये से 300 रुपये तक थी उसे बढ़ा कर 200 रुपये से 350 रुपये तक करने की अनुमति दी गई।

• विधवा, अनाथ आदि को मासिक आर्थिक सहायता 700 रुपये से बढ़ाकर 900 रुपये, उनके आश्रितों को 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये और दिवाली, होली के पावन अवसर पर 1500 रुपये एक मुश्त देने का अनुमोदन किया।

सहायता का विवरण	पूर्व में प्रति माह	1.4.2010 से प्रति माह
विधावा, अनाथ, अपाहित, निराश्रित रोगी को	700/-	900/-
आश्रित बच्चे को	200/-	300/-
दशहरा/दीपावली एवं होली पर 'श्रीमन् नारायण कोष' के अन्तर्गत	1,000/- वार्षिक	1500/- वार्षिक

निम्नलिखित विशेष निर्णय लिये गए:- • रेवाड़ी प्रापटी कमेटी, रेवाड़ी की बैठकों हेतु ओडियो रिकार्डर खरीदने की अनुमति दी गई। • अधिवेशन 2009 की बचत राशि 4.96 लाख रुपये श्रीमन् नारायण कोष में प्रयोग किये जायें। • Rewari Property Management Committee के किसी भी सदस्य को शापिंग कॉम्प्लैक्स या रेवाड़ी में अन्य स्थान पर दुकान आबंटित की गई है और उस पर तीन माह या अधिक का किराया चढ़ जाता है तो उसकी सभा की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी। • वह चुनाव प्रक्रिया में भी भाग न ले सकेगा। • Rewari Property Management Committee, Central Property Committee के नियन्त्रण में रहेगी। जिसको पूरा अधिकार होगा कि वह Rewari Property Management Committee के निर्णय की समीक्षा पर पुनः निर्णय कर सकें। • कैरियर डेवलेपमेन्ट उपसमिति ने प्रथम बार कैरियर डेवलेपमेन्ट वर्कशॉप 24, 25 अक्टूबर 2004 को कानपुर में सफलतापूर्वक आयोजित की।



गत कुछ वर्षों की पूंजीगत सम्पन्नता

वर्ष	सभा का कुल पूँजीकोष	आय	कमजोर वर्ग को सहायता	शिक्षा छात्रवृत्ति
1994-95	91,96,247/-	12,44,652/-	2,58,192/-	98,661/-
2007-08	3,20,25,161/-	36,61,189/-	7,93,450/-	3,14,400/-
2008-09	3,61,57,956/-	41,69,208/-	7,78,400/-	3,61,920/-
2009-10	3,78,06,575/-	50,20,938/-	9,32,600/-	2,65,560/-
2010-11	5,23,22,399/-	34,44,318/-	8,60,900/-	2,30,280/-

सभा के न्यायाधिकरण में पुनः विचार उपरान्त निम्न सदस्य बनाये गए, 1. डॉ. ऋषि भार्गव (जयपुर), 2. श्री प्रदीप (रेवाड़ी), 3. जस्टिस सुरेन्द्र नाथ (जयपुर), 4. श्री पृथ्वीनाथ (नोयडा), 5. जस्टिस के.सी. भार्गव (लखनऊ), 6. डॉ. रवि भार्गव (कोटा), 7. डॉ. विनोद भार्गव (लखनऊ) इस अवसर पर 13 वरिष्ठ महिलाएँ व 6 पुरुषों को सम्मानित किया गया। आज की बैठक में गलत, अशोभनीय भाषा, लांछन व दोषारोपण के पर्चे बाँटे गए जिसने सभा में गलत राजनीति की तरफ इशारा किया। 21.11.2010 को ढोसी पर भण्डारे के अलावा 21 बच्चों को स्कूली सर्दी की ड्रेस व स्वेटर वितरित किये गए। चुनाव अधिकारी श्री डी.सी.डी. भार्गव द्वारा विजयी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की:- प्रधान श्री मनमोहन कुमार, प्रधान सचिव श्री हीरेन्द्र नाथ, कोषाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश (ओमी), 5 उप-प्रधान व 43 सदस्य। समस्त पदाधिकारियों व सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई।

सभा का 122वाँ वार्षिक अधिवेशन, बीकानेर, 24-26 दिसम्बर 2011

सभा के प्रधान श्री मनमोहन कुमार भार्गव की अध्यक्षता में सभी प्रारम्भिक औपचारिकताओं के पश्चात् अधिवेशन की कार्यवाही आरम्भ की गई।

निम्नलिखित विशेष निर्णय लिये गए:- ● भार्गव सभा के सभी अधिवेशन स्वयं सभा के तत्वाधान, प्रबन्धन व संचालन में करने का निश्चय किया गया। ● श्री बृजेन्द्र सिंह (दिल्ली) और श्री सुरेन्द्र नाथ (जोधपुर) को केन्द्रीय प्रापटी कमेटी में मनोनीत किया गया। ● UIT अलवर द्वारा आबंटित 1000 वर्ग गज भूमि पर चारदीवारी कर दो गेट व गार्ड रूम बनवा दिये गए। ● कर्नल दीन दयाल भवन, बीकानेर से अनाधिकृत कब्जे को हटाने के लिये 10 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। ● जाति बन्धुओं व अन्य से लिये गए ऋण 1.20 करोड़ रुपये पर 1 अक्टूबर 2011 से 12 प्रतिशत ब्याज दिया जाये और जोरबाग भवन निर्माण हेतु भविष्य में इसी ब्याज पर 1 करोड़ रुपया और लिया जाये। ● यू.एस. भार्गव (गुड़गाँव) को जोरबाग की इम्पलिमेन्टेशन कमेटी का सदस्य नियुक्त किया जाये। ● रेवाड़ी में स्थित दुकानों, उसका किराया व उससे सम्बन्धित विषय पर गर्मागरम चर्चा हुई। ● कैरियर डेवलेपमेन्ट एवं यूथ डेवलेपमेन्ट उपसमिति द्वारा वर्ष 2011 में इन्दौर में I.Q. Challenge Examination-2011 प्रतियोगिता आयोजित कर बच्चों को पुरस्कृत तथा प्रोत्साहित किया गया। ● छीतरमल कौशल किशोर मन्दिर और शापिंग कॉम्प्लैक्स के बीच की खाली भूमि लगभग 26,000 वर्ग फीट में शापिंग कॉम्प्लैक्स और कम्प्यूनिटि हाल आदि के निर्माण हेतु 1.70 करोड़ रुपये की अनुमति दी गई।





आय के स्रोत		व्यय के स्रोत	
आय के मुख्य स्रोत	राशि रुपयों में	व्यय के मुख्य मद	राशि रुपयों में
ब्याज से आय	29,35,682.49	सामाजिक कार्यों पर व्यय	7,94,323.00
अधिवेशन से आय	13,59,153.99	अधिवेशन पर व्यय	8,38,475.50
पत्रिका से आय	5,28,096.00	पत्रिका व्यय	2,93,819.25
किराया / आश्रमों से आय	1,14,668.84	निधियों पर ब्याज	15,62,839.00
अनुदान / मुआवजा	1,66,909.00	कार्यालय व्यय	6,83,998.83
अन्य आय	55,906.00	अनेक व्यय का जोड़	2,10,719.00
कुल आय	51,60,415.33	कुल व्यय	43,84,174.58
➤ वर्ष में पूँजीगत व्यय :			
1. कर्नल कुमेदान भवन, बीकानेर		10,00,000.00	
2. भूमि अलवर		7,12,844.00	
3. कम्प्यूटर एवं प्रिंटर		19,900.00	
4. वाटर कूलर एवं एक्वागार्ड		41,131.00	
5. जोरबाग सम्पत्ति पर		17,70,331.00	
वर्ष में कुल पूँजीगत व्यय		35,44,206.00	

सभा का 123वाँ वार्षिक अधिवेशन, जोधपुर, 17-19 नवम्बर 2012

सभा के प्रधान श्री मनमोहन कुमार भार्गव की अध्यक्षता में सभी प्रारम्भिक औपचारिकताओं के पश्चात् अधिवेशन की कार्यवाही आरम्भ की गई।

मुख्यतः निम्न प्रस्ताव पारित किये गए:- ● समाज कल्याण हेतु दी जाने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1.4.2012 से 900 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये और 1.4.2013 से 1,500 रुपये कर दी गई तथा दीपावली पर 1500 रुपये एकमुश्त के अलावा होली पर्व के अवसर पर भी 500 रुपये देने का निर्णय लिया गया। ● रेवाड़ी स्थित श्री छीतरमल शिवजी महाराज मन्दिर के पीछे कम्प्यूनिटी हॉल और शॉपिंग सेन्टर के निर्माण हेतु म्यूनिसिपल काउंसिल से नक्शे की स्वीकृति हेतु रुपये 2.98 लाख एवं भट्टा प्लॉट में दुकानों के निर्माण हेतु सरकार से CLU की अनुमति के लिये म्यूनिसिपल काउंसिल को शुल्क के रुपये 3.26 लाख भुगतान करने की अनुमति दी गई तथा प्लॉट की चारदीवारी एवं गेट के लिये पाँच लाख रुपये तक व्यय करने की अनुमति दी गई। ● श्री राकेश भार्गव की दुकान नं. 64 को खाली कराकर बकाया राशि वसूल की जाये। ● कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करने वाली स्थानीय सभा को बैठक आयोजित करने की अनुदान राशि रुपये 15,000 से बढ़ाकर रुपये 30,000 कर दी गई। ● अधिवेशन आयोजन एवं प्रबन्ध उपसमिति के प्रधान पद से श्री सुरेन्द्र नाथ (जोधपुर) के त्यागपत्र को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर शेष अवधि के लिये श्री नरेश भार्गव (लोढा), जयपुर को उपसमिति का प्रधान मनोनीत किया गया। ● स्थानीय सभाओं को श्रेष्ठ सभा पुरस्कार के अन्तर्गत पुरस्कार राशि में रुपये 75,000 तक व्यय करने की अनुमति दी गई।

भार्गव बोर्डिंग हाऊस, रेवाड़ी के सम्बन्ध में चण्डीगढ़ उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे में सभा





के वकील की फीस 3 से 4 लाख रुपये तक खर्च किये जा सकते हैं। • सभा को एक एकाउन्ट असिस्टेंट की नियुक्त करने की अनुमति दी गई। • अखिल भारतीय भार्गव महिला सभा की सम्बद्धता तुरन्त निरस्त कर दी जाये। भविष्य में महिला सभा के नियमित गठन तथा सभा के संविधान के अनुरूप पालन करने तथा आवेदन करने पर पुनः विचार किया जा सकता है।

अगले वार्षिक अधिवेशन का आतिथ्य जोधपुर को देने का निर्णय लिया गया। • 174, जोरबाग (नई दिल्ली) के पुनः निर्माण हेतु 4 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिये सम्पत्ति को गिरवी रखने की अनुमति दी गई। • कार्यकारिणी के चुनाव हेतु निर्धारित आचार-संहिता को स्वीकृत किया गया। • 1.4.2012 से शिक्षा की छात्रवृत्ति कक्षा-1 से स्नातकोत्तर तक कक्षा अनुसार 200 से 350 रुपये से बढ़ाकर 300 से 450 रुपये तक बढ़ाई गई।

निवर्तमान स्थानीय भार्गव सभा नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को पूर्ण कार्यभार मय कैश आदि एक माह में नहीं देती है तो ऐसी परिस्थिति में निवर्तमान कार्यकारिणी के सम्बन्धित पदाधिकारियों को सभा की आजीवन सदस्यता निलम्बित अथवा निरस्त कर दी जाये। • आदर्श संविधान निर्देशिका स्वीकृत की गई। • भार्गव आश्रम हरिद्वार के पुनः निर्माण/जीर्णोद्धार की योजना को पूर्ण करने के लिये पूर्व स्वीकृत राशि 8 लाख रुपये के अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार 10 लाख रुपये तक की अतिरिक्त राशि व्यय करने की अनुमति दी गई। • टैक्निकल/प्रोफेशनल शिक्षा हेतु ऋण देने की राशि 20,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दी गई।

भार्गव बोर्डिंग हाउस, रेवाड़ी के सन्दर्भ में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेवाड़ी के फैसले के विरुद्ध में हिन्दू हाई स्कूल द्वारा चण्डीगढ़ उच्च न्यायालय में दाखिल अपील में सभा का पक्ष प्रस्तुत करने के लिये नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनमोहन लाल सरिन की फीस आदि के लिये 3,30,000/- रुपये व्यय किये जायें एवं मुकदमे हेतु वाँछित रिकार्ड/सहयोग देने के लिये अधिवक्ता श्री रजनीकान्त सैनी, रेवाड़ी को 25,000 रुपये का भुगतान किया जाये। • रेवाड़ी छीतरमल मन्दिर के पीछे खाली जमीन पर कम्यूनिटी हॉल एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने हेतु कॉमर्शियल चार्जेज के भुगतान हेतु रुपये 7.44 लाख खर्च किये जायें। • गंगा आश्रम के प्रथम तल के फ्लोर एवं दीवारों पर टाईलें लगवाने हेतु 2 लाख रुपये तक खर्च किये जा सकते हैं। • रेवाड़ी स्थित ढालियावास स्थित 18,000 वर्ग गज जमीन की बाउण्डरी एवं प्रयागराज भार्गव धर्मशाला में मरम्मत हेतु अनुमानित व्यय पारित किया गया। • वर्ष 2012-13 में विभिन्न मदों में रुपये 90,55,000 की नई निधियाँ बनाई गई। • सभा के विरुद्ध श्री दयासरन (आगरा) द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर मुकदमे हेतु सभा की वकील फीस आदि के व्यय हेतु 37,500 रुपये पास किये गए।

विभिन्न मदों हेतु रुपये 16,18,924 का दान प्राप्त हुआ। • वर्ष 2012-13 में 85 परिवारों को कुल रुपये 16,42,300 के अतिरिक्त प्रत्येक परिवार को दीपावली एवं होली पर क्रमशः 1500 व 500 रुपये दिये गए। 93 छात्राओं को 4,16,400 रुपये एवं कक्षा में अधिकतम अंक पाने वाले छात्रों को एक-एक हजार रुपये दिये गए। • चुनाव अधिकारी श्री अनुज भार्गव (बीकानेर) द्वारा द्विवार्षिक चुनाव (सत्र 2013-15) हेतु विजयी श्री सुरेन्द्र नाथ (जोधपुर) प्रधान, श्री हीरेन्द्र नाथ (गुड़गाँव) प्रधान सचिव, श्री ओम प्रकाश (कोषाध्यक्ष), 5 उप-प्रधान और 43 सदस्यों के नामों की घोषणा की गई। • समाज कल्याण समिति, अलवर एवं शिक्षा समिति, कानपुर व लखनऊ के बीच दी गई।



सभा का 124वाँ वार्षिक अधिवेशन, जयपुर, 9-11 नवम्बर 2013

सभा के प्रधान श्री सुरेन्द्र नाथ भार्गव की अध्यक्षता में सभी प्रारम्भिक औपचारिकताओं के पश्चात् अधिवेशन की कार्यवाही आरम्भ की गई।

निम्न जानकारीयाँ दी गईं:- ● भार्गव आश्रम, हरिद्वार का नवीनीकरण 1.4.2011 से शुरु हो गया है। दानदाताओं से प्राप्त 80 लाख रुपये से यह कार्य जनवरी 2014 को पूर्ण होने की सम्भावना है। ● 174, जोरबाग, नई दिल्ली का नवीनीकरण का कार्य 18.2.2013 को शुरु कर दिया गया है। इसके अन्तर्गत 5 करोड़ रुपयों की लागत से चार मंजिला इमारत, बैसमेन्ट व स्टिल्ट फ्लोर के अतिरिक्त बन रही है। इस हेतु अभी लगभग 3 करोड़ रुपये की और आवश्यकता है। ● रेवाड़ी में कम्प्यूनिटी हॉल व शॉपिंग सेन्टर का निर्माण कार्य मई 2013 में शुरु कर दिया गया है। ● अलवर में वृद्धाश्रम वाली भूमि पर चारदीवारी बनवा दी गई। ● हिन्दू हाई स्कूल रेवाड़ी जो लगभग 4 हजार वर्ग गज भूमि पर बना है। लगभग 20 वर्षों से कोर्ट की लड़ाई में हाई कोर्ट से सभा जीत चुकी है और अब कब्जा मिलने वाला है। ● बीकानेर के कर्नल दीनदयाल भवन को बेच कर अन्य उपयुक्त स्थान पर निर्माण करने का विचार है।

वर्ष 2013-14 में 83 परिवारों को 14 लाख 2 हजार 8 सौ रुपये की सहायता दी गई और उनके 75 आश्रितों को 2,70,000/- रुपये दिये गए। मासिक सहायता 900/- रुपये से 1,200/- रुपये कर दिये गए और 1-4-2014 से उसे बढ़ाकर 15,00 रुपये कर दिये गए एवं दीपावली तथा होली पर 1,500/- रुपये व 500/- रुपये क्रमशः दिये गए। ● शिक्षा छात्रवृत्ति पाने के लिये आय सीमा 5,000/- रुपये से बढ़ाकर 10,000/- रुपये कर दी गई। कक्षा 1 से B.Tech., LLB आदि के लिये छात्रवृत्ति की राशि कक्षानुसार 300/- से 450/- रुपये से बढ़ाकर 500/- से 2,000/- रुपये तक कर दी गई। इस वर्ष 98 आवेदन पत्रों में से 63 आवेदन पत्र स्वीकार किये गए। छात्रवृत्ति 60 से 120 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है। ● जनगणना का कार्य 70% हो चुका है। भारत से बाहर रहने वालों की भी जनगणना की जाये।

क्र.स.	कक्षा	वर्तमान राशि (रु.)	स्वीकृत राशि (रु.)
(ए)	1 से 5 तक	रु. 300/-	रु. 500/-
(बी)	6 से 8 तक	रु. 300/-	रु. 400/-
(सी)	9 से 10 तक	रु. 350/-	रु. 600/-
(डी)	11 से 12 तक (कला/वाणिज्य)	रु. 400/-	रु. 600/-
(ई)	11 से 12 तक (विज्ञान)	रु. 400/-	रु. 600/-
(एफ)	स्नातक (कला/वाणिज्य)	रु. 450/-	रु. 800/-
(जी)	बी.एड.	-	रु. 800/-
(एच)	परास्नातक	-	रु. 1000/-
(आई)	पी-एच.डी.	-	रु. 1000/-
(जे)	डिप्लोमा पोलिटेक्निक	-	रु. 1000/-
(के)	बी.टैक., बी.एग्री., बी.फार्मा., इन्टीग्रेटेड एल.एल.बी.	-	रु. 2000/-



अखिल भारतीय भार्गव युवा संघ व युवा संघ जयपुर के अनुरोध पर अधिवेशन आयोजन उपसमिति ने इस वर्ष युवा कार्यक्रम के अन्तर्गत युवा पीढ़ी को खुला मंच देकर आमन्त्रित किया :- फन गेम्स, एकल नृत्य व गायन, कैम्प फायर, कटपुतली शो, वाद्य यन्त्र, मिमिक्री, क्विज, हाउजी व अन्य खेल तथा विवाह योग्य युवक-युवतियों द्वारा स्वयं का परिचय आदि।

केन्द्रीय जायदाद समिति में सत्र 2013-15 हेतु निम्न सदस्यों को मनोनीत किया गया। अखिल भारतीय भार्गव सभा के वरिष्ठतम उप प्रधान, श्री नरेश (जयपुर), कार्यकारिणी द्वारा मनोनीत श्री बी.एस, भार्गव (दिल्ली) एवं श्री परमेश्वर नाथ (रेवाड़ी), केन्द्रीय जायदाद समिति द्वारा Co-opted श्री संजय (जयपुर) एवं श्री प्रमोद (जोधपुर), प्रधान सचिव द्वारा मनोनीत श्री उदय शंकर (गुड़गाँव), सभा के कोषाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश (दिल्ली), श्री अशोक कुमार (PNB) दिल्ली, आर्किटेक्ट श्री प्रकाश नाथ (जयपुर), आर्किटेक्ट श्री शरद (दिल्ली) को विशेष आमन्त्रित। ● सत्र 2013-15 में रेवाड़ी जायदाद प्रबन्धक समिति में निम्न सदस्यों को मनोनीत किया गया। अध्यक्ष श्री मनमोहन कुमार (गुड़गाँव), सचिव श्री परमेश्वर नाथ (रेवाड़ी), कोषाध्यक्ष श्री सुरेश (रेवाड़ी), संयुक्त सचिव श्री संजय (जयपुर) तथा सदस्यगण श्री दिनेश (अलवर), श्री कुलदीप (गुड़गाँव), श्री अनिल, श्री मुकेश, श्री श्याम सुन्दर, श्रीमती प्रमिला (रेवाड़ी) होंगे तथा अखिल भारतीय भार्गव सभा के प्रधान एवं प्रधान सचिव तथा सचिव, केन्द्रीय जायदाद कमेटी और अध्यक्ष रेवाड़ी भार्गव सभा इस समिति के Ex-Officio सदस्य होंगे। ● अ.भा. भार्गव महिला सभा को सम्बद्धता दे दी जाये परन्तु महिला सभा को 3 महीने में भार्गव सभा के संविधान के अनुरूप अपना संविधान एवं सम्बद्धता सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ● संविधान संशोधनों की औपचारिक स्वीकृति हेतु उदयपुर में विशेष अधिवेशन किया जाये। ● UKG कक्षा हेतु 500/- रुपये एवं B.T.C. हेतु 800/- रुपये मासिक छात्रवृत्ति दी जाये। ● 21.9.2013 की उदयपुर में आयोजित विशेष अधिवेशन में समस्त संशोधित संविधान पारित किया गया। 1.4.2014 से लागू किया जाये।

डॉ. ऋषि ने 125वें वार्षिक अधिवेशन की रूप रेखा से अवगत कराया। इस हेतु विभिन्न दानदाताओं ने दान देने की घोषणा की।

डॉ. ऋषि भार्गव ने मेडिकल सहायता के लिये दानदाताओं से अपील की।

प्रधान जी ने बताया कि जरूरतमन्द परिवारों के लिये स्वास्थ्य हेतु Universal Health Scheme के अन्तर्गत बीमा योजना चालू करना चाहते हैं। इसका श्री गणेश श्री रोहित भार्गव (मुम्बई) जिन्होंने अपनी माता श्रीमती विमला भार्गव की प्रेरणा से अपने पिता स्व. श्री हरीश चन्द्र भार्गव की स्मृति में 10 लाख रुपयों की निधि बनाई। सभा का 125वाँ वर्ष आयोजित करने के लिये बन्धुओं ने दान में लाखों रुपये देने की घोषणा की।





(1) समाज कल्याण समिति

इस समिति का गठन सन् 1912 में हुआ। वैसे सहायता तो सन् 1888 से ही दी जा रही है। इस समिति का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा, वृद्ध, निराश्रितों, रोगी एवं असहाय महिला अथवा पुरुषों को आर्थिक सहायता देना है। आश्रितों के चतुर्मुखी विकास व स्वालम्बी बनाने एवं उनका ग्रुप इन्शोरेन्स करवाने की भी योजना है। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं। इस समिति का गठन अधिवेशन की आम सभा में दो वर्ष के लिये होता था किन्तु अब कार्यकारिणी की बैठक में होने लगा है।

आरम्भ में समाज कल्याण हेतु सन् 1888 में विधवा, अपाहिज तथा जरूरतमन्द को 2 रुपये मासिक की आर्थिक सहायता दी जाती थी जिसमें सन् 1898 में आठ आने की बढ़ोतरी कर 2 रुपये आठ आने कर दी गई। समय-समय पर इसमें बढ़ोतरी होती रही। सन् 2002 से विधवा फण्ड के स्थान पर इसका नाम **समाज कल्याण समिति** रखा गया।

कन्या विवाह व चिकित्सा आदि के लिये आर्थिक सहायता का अलग से भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सन् 2006 में 61,000 रुपये से नवस्थापित '**श्रीमन् नारायण कोष**' का गठन किया गया ताकि दीपावली के शुभ अवसर पर प्रत्येक सहायता प्राप्त प्रार्थी को 1,000 रुपये अतिरिक्त दिये जा सकें। कुछ वर्ष पश्चात् मासिक आर्थिक सहायता 700 रुपये से 900 रुपये और आश्रितों को 200 रुपये से 300 रुपये कर दी गई।

दीपावली पर 1,000 रुपये के अतिरिक्त होली पर भी 500 रुपये देने आरम्भ कर दिये गए।

वर्ष	सहायता राशि रुपयों में
1989-90	1,02,928
1996-97	4,06,813
2001-02	7,07,302
2006-07	6,46,308
2011-12	13,47,250
2012-13	11,99,400
2013-14	14,12,300

इस कार्य हेतु दिल्ली भार्गव सभा कई वर्षों से 11 लाभार्थियों को स्वयं आर्थिक सहायता दे रही है। प्रत्येक वर्ष अधिवेशन के अवसर पर 75 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष व महिलाओं को शॉल ओढ़ाकर व स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया जाता है। बाद में महिलाओं के लिये आयु सीमा घटाकर 70 वर्ष कर दी गई। सभा अपनी आय बढ़ाकर आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी करना चाहती है।

(2) शिक्षा समिति

इस समिति का गठन सन् 1912 में हुआ। वैसे सहायता तो सन् 1888 से ही दी जा रही है। लगभग 125 वर्ष पूर्व बच्चों की शिक्षा के लिये न तो कोई साधन थे और न ही सुविधाएँ। जाति में शिक्षा का





प्रचार, प्रसार तथा अन्य सुविधाएँ जुटाना भार्गव सभा का मुख्य उद्देश्य था। फलस्वरूप उस समय आगरा, लाहौर, रेवाड़ी, दिल्ली व अलवर इत्यादि में छात्रावास खोले गए। यही कारण है कि आज हम सब गर्व से कह सकते हैं कि हमारे समाज में पुरुष ही क्या महिलाएँ भी शत-प्रतिशत शिक्षित होने के साथ-साथ उच्च शिक्षा प्राप्त कर स्वयं का उद्योग अथवा प्रत्येक क्षेत्र में उच्च पदों पर आसीन होकर समाज व देश की सेवा कर रही हैं और हमारी भार्गव जाति का नाम रोशन कर रही हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में सन् 1890 में पं. वासुदेव लाल जी द्वारा पाँच रुपये की मासिक छात्रवृत्ति तथा उच्च शिक्षा हेतु बारह रुपये मासिक की सहायता मुंशी नवल किशोर जी द्वारा आरम्भ की गई थी। आज भी सभा इसी उद्देश्य का पालन कर आगे बढ़ रही है। शिक्षा समिति समाज में धन के अभावग्रस्त परिवारों को उचित शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था करती है। उक्त समिति समाज में शिक्षा का प्रचार, प्रसार, कैरियर विकास, व्यक्तित्व विकास, सुसंस्कार एवं उत्तम शिष्टाचार हेतु सामग्री का प्रकाशन, शिविर तथा गोष्ठी का आयोजन भी करती है।

परिवार की मासिक आय को 1.4.2013 से 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया।

उपरोक्त छात्रवृत्ति के अतिरिक्त छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले बच्चों में अपनी-अपनी कक्षा में सर्वोत्तम आने वाले प्रत्येक बच्चे को 1000 रुपये अधिवेशन के अवसर पर प्रोत्साहन हेतु दिये जाते हैं। इस अवसर पर मेधावी छात्र/छात्राओं के माता-पिता को भी आमन्त्रित किया जाता है व उनको आने-जाने का किराया भी दिया जाता है।

गत 25 वर्षों से अखिल भारतीय भार्गव सभा के माध्यम से दी जा रही 'शिक्षा' हेतु आर्थिक सहायता की तालिका (1990-2014) निम्न प्रकार है:-

कक्षा	1989 तक	2005-06	15.7.08	1.4.11	1.4.12	1.10.14
नर्सरी से के.जी.	25					
कक्षा 1 से 5	30	130	160	200	300	500
कक्षा 6 से 8	35	145	170	220	300	400
कक्षा 9 से 10	40	160	190	250	350	600
कक्षा 11 से 12 (कला)	45-55	175	210	300	400	600
कक्षा 11 से 12 (विज्ञान)	45-55	200	240	300	400	600
स्नातक (कला/विज्ञान)	60-65	250	300	350	450	800
बी.एड.	75		300			800
परास्नातक	75-85		300			1000
पी-एच.डी.	75					
डिप्लोमा पोलिटेक्निक						1000
बी.टैक., बी.एंग्री., बी.फार्मा., इन्टीग्रेटेड एल.एल.बी.						2000





उपरोक्त तालिका में दी गई सहायता के अतिरिक्त प्रत्येक कक्षा में सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन स्वरूप 1000/- रुपये की नकद धनराशि का पुरस्कार अधिवेशन के अवसर पर दिया जाता है।

वर्तमान में छात्रवृत्ति के अतिरिक्त मेधावी छात्र व छात्राओं को विशेष आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान है। जिससे वे अपने आपको स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में अपने को कमजोर महसूस न करें तथा अपनी उच्च शिक्षा में धन को बाधा न समझें। भार्गव सभा सन् 1989 में जहाँ शिक्षा पर वर्ष भर में 59,757 रुपये व्यय कर पाती थी, वहाँ आज 2013-14 में बढ़ाते-बढ़ाते 11,34,765 रुपये व्यय कर पा रही है। तात्पर्य यह है कि सभा शिक्षा के मद में गत 25 वर्षों में लगभग 20 गुना की वृद्धि कर चुकी है।

सभा प्रयास कर रही है कि अपनी आय बढ़ाकर शिक्षा की छात्रवृत्ति की राशि में और वृद्धि कर सके। आइये, शिक्षा छात्रवृत्ति हेतु मद में अखिल भारतीय भार्गव सभा द्वारा किये गए व्यय पर एक दृष्टि डालें।

वर्ष	व्यय रुपयों में
1989-1990	59,757
1996-1997	1,04,011
2001-2002	2,36,352
2006-2007	2,40,530
2011-2012	3,36,760
2012-2013	5,28,440
2013-2014	11,34,765

इस वर्ष से छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों के उत्तम प्रदर्शन पर प्रोत्साहन हेतु कक्षा छठी से ऊपर वाले विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा में 90 प्रतिशत से अधिक अंक, 80 प्रतिशत से अधिक अंक व 70 प्रतिशत से अधिक अंक आने पर क्रमशः तीन, दो व एक माह की छात्रवृत्ति और दी जायेगी। यह छात्रवृत्ति 'उत्तम शिक्षा अभियान' के अन्तर्गत सभा की 125वीं वर्षगाँठ 2014 के अवसर पर गठित 'विशेष शिक्षा सहायता निधि' से दी जायेगी।

सन् 2014 में 'उत्तम शिक्षा अभियान' का आरम्भ किया गया है जिसके अन्तर्गत भार्गव सभा के कार्यकर्ताओं एवं सलाहकारों की टीम सभा से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले परिवारों से नगर-नगर जाकर व्यक्तिगत रूप से मिलकर, आवश्यकतानुसार उनकी विशेष सहायता करने हेतु प्रयास कर रही है। यह टीम दिल्ली, मथुरा, लखनऊ, जयपुर व अलवर में जाकर सभी परिवारों से मिलकर उनकी समस्याओं की जानकारी ले रही है। उनकी आवश्यकताओं को जानकर उन्हें हर प्रकार की सहायता करने का प्रयास कर रही है। प्रायः 30 समर्पित एवं शिक्षित कार्यकर्ता इस कार्य में जुट गए हैं।





(3) तकनीकी शिक्षा प्रबन्धक समिति

सन् 1960 में तकनीकी शिक्षा हेतु छात्रों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से एक विशेष योजना बनाई गई थी। बाद में सन् 1991 में इस योजना के अन्तर्गत 3,300 रुपये प्रति वर्ष दिये जाते थे। वर्ष 1996 से भार्गव सभा ने ऋण की राशि को 10,000 रुपये तक बढ़ा दिया। समय-समय पर महँगाई को देखते हुए इसे बढ़ाया गया। गत 8 वर्षों से यह 40,000 रुपये प्रति वर्ष है। अब इसे 80,000 रुपये प्रति वर्ष किया जाता है। प्रति वर्ष 4-5 विद्यार्थियों को सहायता दी जाती है। ऋण की वापसी के लिये तीन गारन्टी भी ली जाती हैं। सन् 1998 से निर्णय लिया गया कि तकनीकी शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति के स्थान पर ऋण दिया जाया करे।

सन् 1992 में श्रीमती कलावती-जयन्ती प्रसाद ट्रस्ट के अन्तर्गत करोल बाग स्थित मकान को 9,65,000 रुपये में बेच दिया गया। ट्रस्ट के परिवारों की इच्छानुसार इससे अर्जित ब्याज के 75 प्रतिशत भाग को तकनीकी शिक्षा में उपयोग किया गया और उनके दो सदस्यों को तकनीकी शिक्षा समिति में लिया गया। सन् 1998 में निम्न निर्णय लिये गए:-

- तकनीकी शिक्षा हेतु दी जाने वाली ऋण राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया जाये।
- तकनीकी शिक्षा निधि की सदस्यता राशि को बढ़ाकर आजीवन सदस्यों के लिये रु. 5,000, दानदाता सदस्यों के लिये रु. 10,000 तथा संरक्षक सदस्यों के लिये रु. 25,000 कर दिया जाये।
- राजेन्द्र नाथ भार्गव निधि (वाराणसी), श्रीमती भगवती देवी-गिरधारी लाल भार्गव निधि (जयपुर), श्रीमती भगवती देवी-कामेश्वर सहाय भार्गव निधि (लखनऊ) को उनके अभिभावकों की सहमति अनुसार तकनीकी शिक्षा ऋण हेतु उपयोग में लिया गया।

तकनीकी शिक्षा समिति की जगह इसे **तकनीकी शिक्षा प्रबन्धक समिति** कहा जाये। सन् 2005 से तकनीकी शिक्षा ऋण 20,000 से 80,000 रुपये कर दिया गया।

(4) हैरिटेज उपसमिति

इस उपसमिति का औपचारिक गठन 2007-08 में किया गया है। इसके पूर्व हैरिटेज के कार्यों हेतु अलग-अलग उपसमितियाँ बनाई जाती थीं। प्रथम बार सभी कार्यों को एक उपसमिति के अन्दर विभिन्न टीम को कार्य सौंपे गए। उपसमिति के उद्देश्य जाति के अतीत, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक सम्पदा/धरोहर से समाज में प्रचार व प्रसार कर सबको परिचित कराना एवं भविष्य में उसका रखरखाव कर सुरक्षित रखना।

हमारे आराध्यदेव, सन्त तथा अन्य प्रमुख महर्षि भृगु, भगवान परशुराम, सन्त चरणदास तथा सम्राट हेमचन्द्र आदि के जीवन से परिचय, कार्य क्षेत्र एवं कृतित्व के विषय में जानकारी कराना व उनसे सम्बन्धित स्थल का रखरखाव, उनके जन्म व निर्वाण दिवस आदि पर कार्यक्रम आयोजित कर समाज को जानकारी देना। समाज की कुछ प्रसिद्ध धरोहर निम्न प्रकार हैं:-

(अ) **ढोसी पर्वत/मन्दिर:-** यह स्थान राजस्थान की सीमा से सटे हरियाणा राज्य में नारनौल से लगभग 8 तथा दिल्ली से 135 कि.मी. दूर है। यह 1200 फीट ऊँचा तथा समुद्र की सतह से 4000





ढोसी धाम का बाहरी दृश्य

मन्दिर के अन्दर मूर्तियाँ

फीट ऊँचाई पर स्थित है। यहाँ महर्षि च्यवन की तपोभूमि, मन्दिर तथा गुफा हैं। यहीं पर समाधिस्थ महर्षि च्यवन की आँख में राजकुमारी सुकन्या द्वारा तिनका चुभाने की ऐतिहासिक घटना घटी थी।

यह भार्गव जाति का उद्गम स्थल एवं आदि पूर्वजों की तपोस्थली होने के कारण प्रसिद्ध है। इसे दीप्तोदक तीर्थ भी कहा जाता है। इसका निर्माण सन् 1893 में मुंशी नवल किशोर जी (लखनऊ) ने कराया था। इसके निर्माण में उस समय 10,000 रुपये व्यय हुए थे। वधूसरा नदी के तट पर बसे होने के कारण भार्गव वधूसर/ढूसर (अपभ्रंश शब्द) कहलाये। सरकारी कागजों में इसे मन्दिर ढूसरान कहा गया है। ढूसर नदी पुलोमा (महर्षि भृगु की पत्नी) के आँसू से बनी।

सन् 2003 में महर्षि भृगु, महर्षि च्यवन तथा भगवान परशुराम जी की मूर्तियों के साथ-साथ राधा कृष्ण की भी नई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ प्रत्येक वर्ष भार्गव सभा एक विशाल मेले व भण्डारे के आयोजन के साथ-साथ गाँव के स्कूली बच्चों को किताबें, स्टेशनरी तथा ड्रेस आदि भी वितरित करती है। एक बार 24-26 दिसम्बर 1906 में भार्गव सभा का अधिवेशन व सम्मेलन भी यहाँ हुआ था। सन् 1954 में पटियाला राज्य सरकार ने 30 रुपये का मन्दिर के भोग के लिये हुकुमनामा जारी किया था। मन्दिर के रखरखाव हेतु गाँव भी दान में मिले थे। भार्गव समाज शादी में न्यातगुरी व अन्य शुभ अवसर पर मन्दिर के लिये दान देते थे जो आज भूलते जा रहे हैं। ढोसी की महत्त्वता को समझते हुए Indian National Trust for Art and Culture Heritage और हरियाणा सरकार ने पीने के पानी आदि की व्यवस्था की है और भविष्य में हरबल गार्डन व पर्यटक स्थल बनाने की योजना भी है।

श्रीमती पुष्पा-श्री नगेन्द्र प्रकाश जी भार्गव (दिल्ली) ने ढोसी मन्दिर हेतु लगभग पैंतीस लाख रुपये व्यय कर अधूरे व टूटे गुम्बद तथा परिक्रमा परिसर आदि का जीर्णोद्धार कराया और सन् 2014 में आप ही ने मन्दिर के आगामी रखरखाव हेतु 25 लाख रुपये की 'शिखर-ओम ढोसी मन्दिर निधि, नई दिल्ली' स्थापित की है। पहाड़ की तलहटी में सीढ़ियाँ प्रारम्भ होने से पहले द्वार का निर्माण लगभग तीन लाख रुपये में श्री नरेश जी (जयपुर) ने अपने माता-पिता की याद में करवाया।

(ब) डहरा:- सन्त चरणदास जी (बालक रणजीत) का जन्म 19.9.1703 में हुआ। यह स्थान अलवर से 8-9 कि.मी. दूर है। यहाँ श्री रणजीत सरस भवन है जिसका निर्माण 16.11.1939 को हुआ। जिस स्थान पर चरणदास जी का नाल गड़ा है, वहाँ एक सुन्दर छतरी बनी हुई है। छतरी में चरणदास जी के चरण बने हुए हैं। समीप में व्यास पुत्र शुकदेव जी की छतरी है। यहीं चरणदास जी को 5 वर्ष





डहरा में स्थित चरणदास जी महाराज की मूर्ति

की आयु में ज्ञान और भक्ति के दो पेड़े खिलाकर शुक्रदेव जी ने शिष्य बनाया था।

प्रत्येक वर्ष भार्गव समाज उनके जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ एक तीन दिवसीय विशाल मेले, भजन, कीर्तन, प्रभातफेरी तथा भण्डारे का आयोजन करता है। सन्त चरणदास ने अपने जीवन काल में कन्धार से लेकर उड़ीसा तक 52 गढ़ियाँ स्थापित कीं और उन 52 गढ़ियों में उनके 5,000 शिष्य थे और हजारों की संख्या में प्रशिष्य बने। सन्त चरणदास जी ने 108 शिष्य पहले बनाए, उनमें से 33 भार्गव थे जो कि अच्छे साहित्यकार एवं कवि थे।

सन्त चरणदास जी ने अपने उपदेशों में 4 बातें मुख्य कहीं - हर व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई गुरु नहीं बनायेगा तो वह अपने आपको अहंकारी समझेगा और गुरु बना लेने से उसका अहंकार दब जायेगा, गुरु कैसा हो? वह सतगुरु होना चाहिए और उन्होंने

यहाँ तक कहा कि 'हरि सेवा 16 वर्ष गुरु सेवा पल चार तो भी नहीं बराबरी बेदन कियो विचार'। संतसंग से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है और सत्संग का भी उन्होंने अर्थ समझाया है कि 'तप के बरस हजार हों सत-संगति गरि एक, तो भी नहीं बराबरी श्री शुक्रदेव कियो विवेच'। जो युगीन परिस्थितियाँ थी, पाखण्ड का बोलबाला, लोग भूत-प्रेतों में विश्वास करते थे। तब सन्त चरणदास जी ने बड़े ही क्रांतिकारी स्वर में कहा 'भोये भटरे के पग लागे साधु-सन्त की निन्दा और चेतन को पग काह न बूझे ऐसा ऐ जग अन्धा'। साधना, योग: चरणदास जी में एक महान शक्ति थी स्वरोदय विज्ञान प्रवीण के नाते, स्वरोदय विज्ञान शिव-पार्वती का संवाद है उसके बाद कबीर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वरोदय विज्ञान को स्रुति के द्वारा फैलाया और सन्त चरणदास पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने स्वरोदय विज्ञान को लिपिबद्ध कराया और स्वरोदय विज्ञान की शक्ति से वह भविष्य वक्ता हो गए थे। नादिरशाह के हमले की सूचना छ: महीने पहले उन्होंने दे दी।

उनके जीवनकाल में मुगल बादशाह से लेकर झोंपड़ी तक के लोग उनके शिष्य बने। दिल्ली में खटीक समाज आज भी प्रत्येक त्योहार, विवाह आदि कार्यक्रमों में सर्वप्रथम सन्त चरणदास जी की पूजा करता है। चरणदास जी के उपदेशों पर, उनकी भक्ति एवं चिन्तन पर कई पी.एच.डी. निकल गयी, डी.लिट. निकल गए। चरणदास जी पर डॉ. त्रिलोकीनाथ दीक्षित (इलाहाबाद) ने पहली डी.लिट. उपाधि ली, फिर डॉ. श्याम सुन्दर शुक्ल (वाराणसी) ने और फिर डॉ. मनहर गोपाल भार्गव ने पी.एच.डी. किया। इससे पहले 150 वर्ष पूर्व एन्साइक्लोपीडिया ऑफ़ रीलिज़न एण्ड एथिक्स सन्त चरणदास जी करके 32 पेज की सामग्री छपी है। इतने बड़े सन्त महात्मा ज्ञानी महापुरुष का त्रिशताब्दी जन्मोत्सव मना चुके हैं। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 'भक्ति सागर' का नाम सुना है। आज से 300 वर्ष पूर्व सामाजिक अराजकता एवं राजनीतिक अस्थिरता जैसी जो युगीन परिस्थितियाँ थीं वैसी ही आज भी हैं। अतः चरणदास जी के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। राधा स्वामी सत्संग व्यास ने चरणदास जी के महत्त्व को समझा और यह पुस्तक जिस पर उनकी 100 रुपये लागत आयी है, केवल 13 रुपये मूल्य पर दी गई।





‘स्वरोदय ज्ञान’ नामक उनकी पुस्तक बहुत ज्ञानवर्द्धक व सफलता की कुंजी मानी जाती है। आपका द्विशताब्दी निर्वाण वर्ष 1982 को दिल्ली में बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जैल सिंह जी ने की। दिनांक 17.2.2003 से 23.2.2003 को स्वामी चरणदास मेमोरियल ट्रस्ट, मालवीय नगर, जयपुर में चरणदास उत्सव डॉ. ऋषि भार्गव जी की अध्यक्षता में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर **चरण कमल की छाँहि** नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ। 8.9.2013 को चरणदास जी का 114वाँ जन्मोत्सव अलवर, दिल्ली, गुड़गाँव, जयपुर, अजमेर, रेवाड़ी, बीकानेर के परिवारों के साथ मनाया गया। जिसमें भार्गव सभा ने 19,030/- रुपये की सहयोग राशि भेजी। चरणदास जी की वंशावली निम्न प्रकार है:-

वंशावली:- शोभनराय-चतुरदास-गिरिधर-लाहड़-जगनदास-प्रागदास-मुरलीधर-चरणदास

(स) मन्दिर कौशल किशोर, शिवजी महाराज:-

छीतरमल जी के पूर्वज रेवाड़ी के थे। इनके सुपुत्र कौशल किशोर जी ने मन्दिर के अतिरिक्त सभा को अनेकों जायदाद व धर्मशाला दान स्वरूप दीं, उनमें से एक यह मन्दिर भी है। मन्दिर बावल चौक, रेवाड़ी में स्थित है। मन्दिर में नियमित पूजा अर्चना, पक्षियों को दाना चुग्गा तथा राहगीरों के लिये प्याऊ आदि की व्यवस्था प्रबन्ध समिति की देख-रेख में की जाती है। मन्दिर के पीछे लगभग 1,800 वर्ग गज में कम्युनिटी हॉल व शॉपिंग कॉम्प्लैक्स का निर्माण हो रहा है।



(द) सम्राट हेम चन्द्र विक्रमादित्य:-

आपका जन्म विजयादशमी सन् 1501 में मेवात में माछेरी करखे में दूसर (भार्गव) ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आपने कुल 22 युद्ध जीते और मिर्जा तादिर बेग के नेतृत्व में विदेशी मुगल सेना को हराकर दिल्ली पर अधिकार जमाया था। हेम चन्द्र ‘हेमू’ का राज्याभिषेक 7.10.1556 को दिल्ली के पुराने किले में हुआ था और उन्हें ‘विक्रमादित्य’ की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वास्तव में पृथ्वी राज चौहान के जीवनकाल के प्रायः 300 वर्ष बाद आप भारत के एकमात्र हिन्दू सम्राट थे। पानीपत की म्यूजियम में उनकी मूर्ति भी लगवाई और दूसर व भार्गव शब्द भी लिखवाया। अन्तिम 23वें युद्ध में हेम चन्द्र अपने **हवाई** नामक हाथी पर सवार थे और विजय की ओर बढ़ रहे थे कि अचानक हाथी के बिदकने व उनकी आँख में एक तीर लगने से व तीर को बाहर निकालते ही आँख भी बाहर आ गई और हेमू ने 5.11.1556 को वीरगति प्राप्त की।



अखिल भारतीय भार्गव सभा ने उनके 500वें जन्म के अवसर पर 20 मिनट की एक डाक्यूमेन्ट्री फिल्म भी बनाई।

सम्राट हेम चन्द्र विक्रमादित्य



अखिल भारतीय भार्गव सभा के गत 25 वर्षों (1990-2014) की गतिविधियाँ

हेमू जी का किला व उनके वंशज आज भी रेवाड़ी में हैं। चाँदी के सिक्के बनवाए व हेमू पर प्रश्नावली प्रतियोगिताएँ आयोजित कीं। इनका 500वाँ जन्म वर्ष विजयादशमी 2001 से विजयादशमी 2002 तक मनाया गया, जिसमें विभिन्न नगरों ने भाग लिया। 25.10.2001 को रेवाड़ी स्थित हेमू की हवेली में संकल्प दिवस समारोह का शुभारम्भ किया व प्रदर्शनी भी आयोजित की गयी। प्रत्येक वर्ष समस्त स्थानीय सभायें उनका जन्म दिवस अत्यन्त धूमधाम से मनाती हैं।

(5) वंशावली उपसमिति

आधुनिक युग में जब सारा विश्व एक परिवार सा हो गया है। लोग इधर-उधर रह रहे हैं, दूरियाँ समाप्त सी हो गई हैं, ऐसे में आपस में संवाद, भाईचारा एवं परिचय के लिये समाज से अनुरोध करना कि वे अपने परिवारों का वंश वृक्ष बनाएँ ताकि वर्तमान पीढ़ी अपने पूर्वजों एवं बिखरे हुए सम्बन्धियों को जान सकें और संगठित हो सकें। इस कार्य हेतु सन् 2007 में वंशावली उपसमिति का गठन किया गया जिसका कोऑर्डिनेटर श्री बाल कृष्ण भार्गव को बनाया गया जिन्होंने समयबद्ध कार्यक्रमानुसार 125 वंशावलियों का संकलन व सम्पादन कर सन् 2008 में भार्गव जाति की प्रथम वंशावली पुस्तिका का प्रकाशन कर 119वें वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर विमोचन किया गया।

वंशावलियों का सम्पादन करते समय पता चला कि हमारे अनेक बन्धुओं के पास जन्म एवं मृत्यु तिथि, चित्र तथा उपलब्धियाँ आदि की जानकारी नहीं है। चूँकि हमारे समाज की वंशावलियों पर यह प्रथम पुस्तिका है। अतः भविष्य में इसमें सुधार आयेगा और परिवारों के सदस्य तिथि, चित्र तथा उपलब्धि आदि को वंशावली में सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

(6) भगवान परशुराम जी की मूर्ति स्थापना हेतु उपसमिति



इस कार्य हेतु उपसमिति का गठन सन् 2007-08 में किया गया जिसके संयोजक श्री राकेश भार्गव (दिल्ली) को बनाया गया था। उपसमिति का मुख्य उद्देश्य भार्गव जाति को संगठित करने एवं समाज में भगवान परशुराम के प्रति आस्था, विश्वास एवं ईश्वर भक्ति की भावना जाग्रत के लिये मन्दिरों, धर्मशालाओं व मुख्य-मुख्य स्थलों पर परशुराम जी की मूर्ति स्थापित करना एवं भार्गवों व अन्य को अपने-अपने पूजा स्थलों पर मूर्ति रखने के लिये प्रेरित करना। इस हेतु लागत मूल्य पर विभिन्न आकार में पीतल की मूर्तियाँ दी गईं।

श्रीमद्भागवत महापुराण (1/3/20) के अनुसार भगवान परशुराम जी को ईश्वर के 24 अवतारों की श्रृंखला में सोलहवाँ अवतार माना जाता है। आप विष्णु भगवान के दस अवतारों में छठे हैं। यह हमारे सौभाग्य की बात है कि हम उनके वंशज हैं। इनका जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया (जिसे अक्षय तृतीया भी कहते हैं) के प्रदोष काल यानी सायंकाल में हुआ था। इसी दिन बद्रीनाथ के पट खुलते हैं। सम्पूर्ण भारत में विवाह आदि शुभ कार्य के लिये अक्षय तृतीया अबूझ तिथि



विवरण	1900	1915	1930	1941	1951	1961	1971
विवाहित पुरुष	1385	1143	1366	1600	1496	2062	2779
विवाहित स्त्री	1385	1143	1366	1600	1496	2062	2779
विधुर	391	365	405	326	247	162	168
विधवाएँ	653	528	506	517	341	408	509
अन्य	2069	2151	3309	4546	4819	6537	7295
योग	5883	5330	6952	8589	8399	11231	13530
सबसे अधिक परिवार (रेवाड़ी-150) (दिल्ली-269)							

(9) अधिवेशन आयोजन एवं प्रबन्ध उपसमिति

इस उपसमिति की स्थापना सन् 1996 में की गई थी। इसका मुख्य कार्य वार्षिक अधिवेशन का नगर निश्चित होने के पश्चात् सम्बन्धित स्थानीय सभा को दिशा-निर्देश देना एवं अधिवेशन सम्बन्धी समस्त कार्यक्रमों को सुचारु रूप से स्थानीय सभाओं के सहयोग से आयोजित करवाना है। इस सम्बन्ध में स्थानीय सभाओं की जानकारी हेतु एक मार्गदर्शिका भी तैयार की गई है। यही कारण है कि कई वर्षों से बिना किसी व्यवधान व कठिनाई के अधिवेशन सफलतापूर्वक आयोजित हो रहे हैं।

विगत अनेक वर्षों से यह उपसमिति अधिवेशन आयोजित करने वाली इच्छुक स्थानीय सभाओं के नगर जाकर उपलब्ध आवास व अन्य समस्त व्यवस्थाओं व स्थानों का आकलन व तुलनात्मक अध्ययन कर अपनी अनुशंसा से कार्यकारिणी की बैठक में अवगत कराती है। तत्पश्चात् सर्वसम्मति से विचार विमर्श करने के उपरान्त अधिवेशन करने वाली सभा के नाम व नगर की घोषणा की जाती है। सन् 2012 में निर्णय लिया गया कि स्थानीय सभाओं को उनके द्वारा दिलाये गए विज्ञापन एवं प्रायोजकों की राशि का 10% स्थानीय सभाओं को देने की योजना चालू की गयी ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। बीकानेर अधिवेशन 2011 में बचत राशि लगभग 5 लाख रुपये में से लगभग 1.20 लाख रुपये स्थानीय सभाओं को तथा कार्यकारिणी के निर्णयानुसार शेष राशि भार्गव आश्रम हरिद्वार के नवीनीकरण के इस्तेमाल में लाने का निर्णय हुआ। इसी प्रकार अधिवेशन 2012 एवं 2013 की अन्तिम बचत राशि में भी प्रायः 5 लाख रुपये की बचत हुई जिसे सभा के अन्य उपयोगी कार्यों में आवश्यकतानुसार इस्तेमाल में लाने एवं सामाजिक कल्याण कार्यों हेतु उपयोग में किया जायेगा।

(10) विवाह परामर्श उपसमिति

विवाह योग्य युवक/युवतियों के पंजीकरण को भार्गव पत्रिका एवं इंटरनेट तथा सी.डी. के माध्यम से प्रचारित किया जाता है।

वार्षिक अधिवेशन एवं विभिन्न नगरों में विवाह परामर्श शिविर का आयोजन करना। अखिल भारतीय भार्गव सभा द्वारा प्रकाशित आदर्श विवाह पद्धति 'रीति संग्रह' में समाज का फिजूल खर्च एवं दिखावा रोकने तथा दिन में विवाह सम्पन्न करने के लिये अनुरोध एवं प्रेरित करती है।





वैसे तो विवाह प्रत्याशियों के नाम व उनके विवरण भार्गव पत्रिका में आरम्भ से ही प्रकाशित होते आ रहे हैं, किन्तु विगत 25 वर्षों में इसके प्रकाशन में समय-समय पर परिवर्तन होते रहे। गत लगभग 20 वर्षों से यही एक ऐसी उपसमिति है जो अपना कार्य इन्दौर से अपनी लगन, सूझ-बूझ व नई तकनीकी के साथ सुचारु रूप से निरन्तर कर रही है। आजकल सूची के साथ-साथ चित्र भी छापे जा रहे हैं। इस कार्य हेतु निर्धारित प्रारूप में विवरण इस समिति के मुख्यालय इन्दौर के पास भेजना होता है।

सन् 2005 में अर्ध पृष्ठ वैवाहिक विज्ञापन मात्र 300/- रुपये में भार्गव पत्रिका में छापना आरम्भ किया गया। 2006 में अर्ध पृष्ठ की दर 500/- रुपये व पूर्ण पृष्ठ की दर 750/- रुपये कर दी गई। आजकल अर्ध पृष्ठ 750/- रुपये व पूर्ण पृष्ठ 1,500/- रुपये में वैवाहिक विज्ञापन छापे जा रहे हैं। यह विज्ञापन प्रत्याशियों के चित्र सहित एक बार प्रकाशित होते हैं। सन् 2014 से अर्द्ध एवं पूर्ण पृष्ठ वैवाहिक विज्ञापन रंगीन भी प्रकाशित होने लगे हैं। इसके अतिरिक्त वेबसाइट आदि पर भी उपलब्ध होते हैं। गत 25 वर्षों में 6-7 बार विवाह परामर्श शिविर का वर्ष में दो बार आयोजन किया गया।

वैसे तो विवाह हेतु प्रत्याशियों की तलाश का काम अनेक वर्षों से चलता आ रहा है किन्तु कम से कम 2 दशकों से इस कार्य हेतु विवाह परामर्श समिति एवं भार्गव महिला सभा अपने नये-नये आयाम एवं कम्प्यूटर के प्रयोग के साथ प्रगति को ओर बढ़ते जा रहे हैं। इन शिविरों में आयु अनुसार, मांगलिक, विधवा, विधुर, अधिक आयु के प्रत्याशियों के अलग-अलग फोटो एलबम व विवरण पटल पर दर्शाये जाते हैं। इससे लोगों का प्रत्याशी का चयन करने में सुगमता होती है। वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर इच्छुक प्रत्याशियों को अपना परिचय व अपनी इच्छा प्रकट करने के लिये मंच प्रदान किया जाता है। विवाह परामर्श शिविर में जन्मपत्री मिलवाने का भी इन्तजाम किया जाता है। प्रत्याशी व उनके माता-पिता को एकान्त में विचार-विमर्श करने हेतु अधिवेशन स्थल पर ही कक्ष प्रदान कर उन्हें सुविधा दी जाती है। सन् 2013 में उपसमिति द्वारा आयोजित शिविर में प्रत्याशियों के प्राप्त विवरण मय फोटो का प्रदर्शन चलचित्र के द्वारा भी किया गया।

(11) खेलकूद एवं युवा कार्यक्रम उपसमिति

इस उपसमिति द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में सभी प्रकार के Indoor और Outdoor Sports को बढ़ावा देना है। इसके अन्तर्गत अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं जैसे सांस्कृतिक, शैक्षिक, धार्मिक, कला एवं तकनीकी क्षेत्रों में भी युवाओं की प्रतिभा को विकसित करने के लिये अनेकों स्थानीय एवं अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित कर युवाओं में Sportsmanship, Good Health & Good Habits, अच्छे आचार-विचार, संस्कार एवं आदर्श जाग्रत करना है। इससे आपस में भाई चारा, सौहाद्रता एवं मित्रता की भावना जाग्रत होती है। फलस्वरूप प्रत्येक वर्ष अधिवेशन से पूर्व या अधिवेशन के अवसर पर आयु वर्ग के अनुसार बालक, बालिका, पुरुष, स्त्री, वृद्ध सभी के लिये विभिन्न प्रकार के खेल बैडमिन्टन, वॉलीबॉल, टेबिल टेनिस, गोला फेंक, रस्सा कसी, म्यूजिकल चेयर व विभिन्न प्रकार की दौड़ का आयोजन करती है। विजयी प्रत्याशियों को पुरस्कृत किया जाता है। निर्णय लिया गया कि सन् 2014 में इनके अतिरिक्त लम्बी कूद, ऊँची कूद व कबड्डी का आयोजन किया जाये। हाँ, इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि इस ओर खिलाड़ियों की रुचि पहले के मुकाबले कम हो रही है।





(12) धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा उपसमिति

संस्कृत विषय को एच्छिक रूप में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति तथा गीता रामायण पर परीक्षाएँ करवाना एवं आधुनिक युग में सुखमय एवं शान्तिमय जीवन बिताने के लिये समाज को धर्म एवं नैतिकता की ओर अग्रसर करने हेतु प्रेरित करना। अपने पूर्वजों की जानकारी कराना। युवाओं को और अधिक जागरूक बनाने के लिये समय-समय पर उभरती हुई प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन करना।

गत अनेक वर्षों से यह उपसमिति प्रति वर्ष लेख व नाना प्रकार की प्रश्नावली प्रतियोगिता आयोजित करती है और विजयी/सफल प्रतियोगियों को वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर प्रमाण पत्र व पुरस्कार देकर पुरस्कृत करती है। सन् 2014 में 11वीं व 12वीं कक्षा में संस्कृत ऐच्छिक विषय लेने वालों को 300/- रुपये मासिक व स्नातक स्तर पर 400/- रुपये मासिक तथा स्नातकोत्तर स्तर तक 500/- रुपये मासिक दिये गए। किन्तु इसके लिये गीता रामायण परीक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु गीता रामायण परीक्षा में बैठना अनिवार्य किया गया। गीता रामायण परीक्षा प्रारम्भिक श्रेणी कक्षा 1 से 8 तक, माध्यमिक श्रेणी कक्षा 9 से 12 तक और उच्च श्रेणी कक्षा 12 से स्नातक तक रखी गई। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों को नकद पुरस्कार व प्रमाण पत्र दिये गए।

इस वर्ष 'अखिल भारतीय भार्गव सभा का 125वाँ वर्ष क्या पाया क्या खोया' पर एक सेमीनार आयोजित किया गया। अखिल भारतीय भार्गव सभा का 125वाँ वर्ष विषय पर एक प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई। विजयी प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया गया। समस्त स्थानीय सभाओं को सन्तों के जन्मोत्सव आयोजित करने व उन पर लेख व अन्य प्रतियोगिता आयोजित करने के लिये प्रेरित किया गया। सभा के 125वें वर्ष पर एक 25 प्रश्नों की विशेष प्रश्नोत्तरी-2014 आयोजित की है।

(13) वेबसाइट www.bhargavasamajglobal.com

जाति के पूर्वजों, सभा का इतिहास, हमारे रीति-रिवाज, विवाह योग्य युवक-युवतियों का सचित्र विवरण, नगरों की डायरेक्ट्री तथा अन्य लेख व वंशावली दी जा रही है। प्रत्येक माह भार्गव पत्रिका के रंगीन पेजों को वेबसाइट पर दिया जा रहा है। सभी उपलब्धि प्राप्त करने वालों के चित्र व भार्गव सभा द्वारा सम्मानितों के चित्र व विवरण तथा विज्ञापनों के रंगीन चित्र दिये जा रहे हैं। इसे सैद्धान्तिक रूप से 1999 में ही मान लिया गया था और इसके हजार-हजार रुपये लेकर सदस्य बना कर कार्य आरम्भ कर दिया गया था। इसकी सफलता को सारा समाज अच्छी तरह जानता है।

(14) वरिष्ठ नागरिक पुनर्स्थापना समिति

इस समिति का गठन सन् 2007 में हुआ। वृद्धाश्रम हेतु अलवर में 1,000 वर्ग गज भूमि जो रियायती मूल्य पर 6,73,744 रुपयों में अखिल भारतीय भार्गव सभा के नाम पर 3.10.2008 को नगर विकास न्यास से खरीदी गई। जमीन दिल्ली से लगभग 160 कि.मी. व जयपुर से 150 कि.मी. दूर है।

वृद्धाश्रम हेतु 28.1.2012 को विधिवत पूजा-अर्चना करने के उपरान्त भार्गव सभा ने लगभग 12,00,000 लाख रुपये व्यय कर भूमि की चारदीवारी करा दी व एक गार्ड रूम और दो गेट भी लगवा दिये। दानदाताओं से प्राप्त राशि से वृद्धाश्रम का कार्य भी प्रायः 2-3 वर्ष में पूर्ण होने की आशा है।





(15) कैरियर-डेवलपमेन्ट उपसमिति

इस उपसमिति का गठन सन् 2001 से आरम्भ किया गया। इसके माध्यम से शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में उचित मार्गदर्शन दिलवाना एवं विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों की जानकारी देते हुए मार्गदर्शन करना। इसके अतिरिक्त व्यक्तित्व विकास, मानसिक जागरूकता, मानवीय गुणों का विकास करवाना भी इस उपसमिति के माध्यम से कराया जाता है। छात्र-छात्राओं की रुचि का आकलन कर उनको प्रोत्साहित व सफलता की ओर अग्रसर करना। उभरते कैरियर में उत्पन्न व्यवधानों और समस्याओं को दूर कराने में सहायता प्रदान कराना। उपसमिति ने निर्णय लेकर युवा बच्चों को देश के बड़े-बड़े नगरों में भ्रमण हेतु, बड़े-बड़े उद्योगों की इकाईयों में ले जाया जाये ताकि आपस में परस्पर प्रेम एवं networking का लाभ मिल सके। वर्ष 2012-13 में जयपुर अधिवेशन के अवसर पर कार्यशाला और भार्गव जीनियस एवार्ड I.Q. Challenge परीक्षा का आयोजन किया गया। समय-समय पर विभिन्न प्रकार की परीक्षा व I.Q. परीक्षा का भी आयोजन करती है। कैरियर-डेवलपमेन्ट से सम्बन्धी नाना प्रकार के कार्यक्रम नगर-नगर में होते रहते हैं।

10 नवम्बर, 2013 को जयपुर में एक वर्कशॉप आयोजित किया गया, जिसमें 9वीं कक्षा एवं उससे ऊपर के छात्रों ने भाग लिया। छात्र, काउन्सलर एवं अभिभावकों के मध्य चर्चा हुई व बच्चों को पुरस्कृत किया गया। समय-समय पर HRD सलाहकार को बुलाकर उनके विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के लिये वक्तव्य कराये गए। एकेडेमिक मीट व Academic Meet & My Career – A Profile के भी आयोजन किये गए। Miss Personality and Master Personality का चयन कर बच्चों को प्रोत्साहित किया गया।

(16) सांस्कृतिक उपसमिति

सांस्कृतिक गतिविधियों की विभिन्न विधाओं यथा पारम्परिक नृत्य, संगीत, नाटक आदि से सम्बन्धित अपनी जाति के उभरते कलाकारों की स्थानीय एवं अखिल भारतीय स्तर पर खोज करना, उनको उचित मार्गदर्शन देते हुए मंच प्रदान कर प्रोत्साहित करना।

समस्त स्थानीय सभाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु मार्गदर्शन व दिशानिर्देश देते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम करने हेतु प्रेरित करना।

गत अनेक वर्षों से यह उपसमिति स्थानीय स्तर पर विभिन्न आयु वर्गों में नृत्य एवं गायन प्रतियोगिता स्थानीय सभाओं के माध्यम से आयोजित कराती है। इस प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले समस्त प्रतियोगियों को अखिल भारतीय स्तर पर पुनः प्रतियोगिता हेतु मंच प्रदान कराती है। यह प्रतियोगिता वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर आयोजित की जाती है। विजय प्राप्त करने वालों को पुरस्कार व प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया जाता है।

इस वर्ष सभा के 125वें वर्ष के शुभ अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु सारी सभाओं/नगरों को 4 जोन (इलाहाबाद, जोधपुर, अलवर, आगरा) में बाँटा गया है। प्रत्येक जोन के विजयी प्रत्याशियों को अधिवेशन के अवसर पर पुनः भिन्न-भिन्न आयु वर्गों में नृत्य व गायन प्रतियोगिता आयोजित कर प्रथम तीन का चयन किया जायेगा और सबको पुरस्कार व प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया जायेगा।





(17) स्वास्थ्य सहायता एवं सलाहकार उपसमिति

इस उपसमिति के अन्तर्गत स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेषज्ञों द्वारा जरूरतमन्द रोगियों को निःशुल्क परामर्श देना। सभा द्वारा कमजोर वर्ग को चिकित्सा सहायता हेतु धन की उपलब्धि नियमानुसार स्थानीय सभा की संस्तुति के पश्चात् उपसमिति की अनुशंसा पर होती है। गत अनेक वर्षों से इस उपसमिति के माध्यम से विभिन्न नगरों के जरूरतमन्द रोगियों को चिकित्सा सहायता दी जा रही है। सभा ने चिकित्सा सहायता के मद में 1 लाख रुपये की वार्षिक सहायता रखी है। इस उपसमिति ने स्थान-स्थान पर चिकित्सा शिविर लगाकर विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क सेवा प्रदान की जा रही है। कहीं-कहीं कम दरों पर भी उपचार करवाया जा रहा है। भार्गव राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत अखिल भारतीय भार्गव सभा के 125वें वर्ष के शुभावसर पर भारत वर्ष और विदेश में बसे भार्गव चिकित्सकों का एक अन्तर्देशीय सम्मेलन जयपुर में 13, 14 सितम्बर, 2014 को आयोजित किया गया।

(18) समन्वय उपसमिति

सुप्त स्थानीय भार्गव सभाओं को जाग्रत करना। स्थानीय सभाओं में किन्हीं कारणों से उत्पन्न मतभेदों को दूर करने का प्रयास करना। संविधान के अनुसार समय से स्थानीय सभाओं के चुनाव करवाना। आदर्श स्थानीय भार्गव सभा वर्ष में किन कार्यों को करें और कैसे करें। उत्तम स्थानीय सभाओं का चयन कर उन्हें प्रोत्साहित करना। अखिल भारतीय भार्गव सभा द्वारा स्थानीय भार्गव सभाओं को योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रोत्साहित करना।

गत 25 वर्ष में इस उपसमिति के माध्यम से कई नई सभाएँ बनाई गईं तथा अनेक सुप्त सभाओं को जाग्रत किया। स्थानीय सभाओं में चल रहे मतभेदों को सुलझाया व उनमें समाज सेवा की रुचि को बढ़ाने का प्रयास किया। इस समय कुल 38 सभाएँ अखिल भारतीय भार्गव सभा से सम्बद्ध हैं। समस्त सभाओं को उनके सभासदों की संख्या के आधार पर चार/पाँच श्रेणी में बाँटा गया है।

प्रत्येक वर्ष अधिवेशन से पूर्व प्रत्येक स्थानीय सभा द्वारा वर्ष भर में किए गए सभी कार्यक्रमों का आकलन किया जाता है और प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान चुनने के लिये एक निर्धारित प्रश्नावली भेजी जाती है उनके उत्तर प्राप्त होने पर उन्हें अधिवेशन के अवसर पर प्रमाण पत्र व 750/- रुपये से 8,000/- रुपये तक नगद राशि देकर सम्मानित किया जाता है।

इस वर्ष 38 स्थानीय सभाओं में से कुल 16 सभाओं ने रिपोर्ट भेजकर भाग लिया। आरम्भ में केवल एक श्रेणी होती थी किन्तु बाद में सदस्यों की संख्या के आधार पर 4-5 श्रेणी बना दी गई (ए-1000 से अधिक सदस्य, बी-401-1000 सदस्य, सी-201-400 सदस्य, डी-200 तक) गत 25 वर्ष में सर्वोत्तम सभाएँ निम्न प्रकार रहीं:-





वर्ष	प्रथम ए श्रेणी	प्रथम बी श्रेणी	प्रथम सी श्रेणी	प्रथम डी श्रेणी
1990-91				
1991-92				
1992-93	कोलकाता			
1993-94	कानपुर			
1994-95	आगरा			
1995-96	दिल्ली			
1996-97	कोलकाता			
1997-98	कोलकाता			
1998-99	कानपुर			
1999-00	लखनऊ	कोलकाता		
2000-01	लखनऊ	कानपुर	भोपाल	जबलपुर
2001-02	लखनऊ	कानपुर	भोपाल	जबलपुर
2002-03	लखनऊ	आगरा		कोलकाता
2003-04				
2004-05	कोलकाता	इन्दौर	कानपुर	लखनऊ
2005-06	लखनऊ	कानपुर	जोधपुर	झाँसी
2006-07	जयपुर	अजमेर	गुड़गाँव	झाँसी
2007-08	जयपुर	अजमेर	गुड़गाँव	
2008-09		कोलकाता	गुड़गाँव	
2009-10	दिल्ली	जयपुर		अजमेर
2010-11				
2011-12	दिल्ली		बीकानेर	
2012-13	जयपुर	अजमेर	जोधपुर	रायबरेली

(19) न्यायाधिकरण

गठन :- वर्तमान न्यायाधिकरण के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व कार्यकारिणी बैठक में एक 5 सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन निम्नलिखित श्रेणियों में से किया जायेगा।

एक सदस्य - पूर्व प्रधान अथवा पूर्व प्रधान सचिव में से।

एक सदस्य - अखिल भारतीय/प्रादेशिक प्रशासकीय सेवा अथवा उसके समकक्ष सेवारत अथवा सेवानिवृत्त प्रथम श्रेणी अधिकारियों में से।



अखिल भारतीय भार्गव सभा के गत 25 वर्षों (1990-2014) की गतिविधियाँ



दो सदस्य - जिला अथवा उच्च न्यायालय में सेवारत अथवा सेवानिवृत्त अथवा अनुभवी अधिवक्ता में से।

एक सदस्य - 50 वर्ष से अधिक आयु का सभासद जो कम से कम चार सम्पूर्ण वर्ष कार्यकारिणी का सदस्य रहा हो।

न्यायाधिकरण के सदस्य स्वयं ही अपना अध्यक्ष चुनेंगे। अध्यक्ष आवश्यकतानुसार बैठक आहूत करेंगे।

न्यायाधिकरण के सदस्यों को अखिल भारतीय भार्गव सभा का आजीवन सदस्य होना अनिवार्य है।

न्यायाधिकरण के अधिकार एवं उनका कार्यक्षेत्र:- निर्वाचन अधिकारी द्वारा घोषित चुनाव परिणामों के विरुद्ध यदि कोई प्रत्याशी या सभासद आपत्ति उठाना चाहे तो उसे आपत्ति शुल्क के रूप में रु. 2,500/- का अखिल भारतीय भार्गव सभा के नाम से ड्राफ्ट संलग्न करते हुए अपनी आपत्ति लिखित रूप में चुनाव परिणाम घोषणा के 15 दिवस के अन्दर न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को प्रस्तुत करनी होगी।

सम्बद्ध स्थानीय सभायें, स्थानीय न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अथवा स्थानीय न्यायाधिकरण न होने की दशा में ही अखिल भारतीय भार्गव सभा के न्यायाधिकरण में उपरोक्त नियमानुसार अपील कर सकती हैं।

सम्बद्ध सभाओं के निर्वाचन एवं सम्बद्धता समाप्ति सम्बन्धी विवाद।

पृथक किये हुए सभासद की अपील पर विचार।

संविधान सम्बन्धी किसी भी मतभेद पर धारा की व्याख्या करना एवं स्पष्टीकरण देना।

द्विवर्षीय कार्यकाल की समाप्ति तक नई कार्यकारिणी का गठन न होने पर न्यायाधिकरण चुनाव कराकर नई कार्यकारिणी का गठन करेगी।

किसी भी सभासद के विरुद्ध चुनाव प्रक्रिया में अवरोध अथवा दुर्व्यवहार की शिकायत आने पर न्यायाधिकरण (सफाई का मौका देने के पश्चात् तथा दोषी पाये जाने पर) पाँच वर्षों तक के लिये उस सभासद को सभा के किसी भी पद के लिये चुनाव लड़ने तथा मतदान के अधिकार से वंचित कर सकता है।

अन्य विषय जो कार्यकारिणी/सभा उचित समझे।

न्यायाधिकरण सभा की प्रगति के विषय में अथवा जो कार्य समाज/सभा के विरुद्ध हो रहे हों, उन पर स्वयं ही संज्ञान लेकर कार्यवाही कर सकता है।

गणपूर्ति एवं निर्णय - न्यायाधिकरण अपना फैसला बहुमत से लेगा। न्यायाधिकरण के सदस्य बिना व्यक्तिगत उपस्थिति के भी अपना निर्णय लिखित में अध्यक्ष को भेज सकते हैं, जिसके बाद अध्यक्ष बहुमत द्वारा अन्तिम निर्णय दे सकते हैं। न्यायाधिकरण की बैठक के लिये गणपूर्ति हेतु कम से कम तीन सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर चेयरमैन द्वारा दो सदस्यों की बेंच भी बनाई जा सकती है। न्यायाधिकरण के निर्णय अन्तिम तथा सर्वमान्य होंगे तथा इसके विरुद्ध किसी भी पक्ष को न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं होगा। यदि आवश्यक हो तो न्यायाधिकरण अन्तरिम निर्णय भी दे सकता है जो अन्तिम निर्णय आने तक मान्य होगा। सभा कार्यालय से सभी आवश्यक कागजात अधिकतम एक माह के भीतर न्यायाधिकरण को सौंप दिये जायेंगे एवं सभा कार्यालय से सभी





कागजात की प्राप्ति के उपरान्त न्यायाधिकरण अपना अन्तिम निर्णय अधिकतम चार माह में दे देगा।

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में शेष उपस्थित सदस्यों में से एक अध्यक्ष चयनित किया जायेगा परन्तु समान मत होने पर अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।

रिक्त स्थानों की पूर्ति - यदि न्यायाधिकरण के किसी सदस्य का स्थान रिक्त होता है तो शेष समय के लिये उसकी पूर्ति अखिल भारतीय भार्गव सभा की आगामी कार्यकारिणी बैठक में होगी। रिक्त स्थान हेतु सदस्य का मनोनयन उसी श्रेणी में से होगा, जिस श्रेणी में स्थान रिक्त हुआ हो।

प्रतिबन्ध - न्यायाधिकरण के सदस्य स्थानीय भार्गव सभा/अखिल भारतीय भार्गव सभा की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।

न्यायाधिकरण के सदस्य यदि विवाद सम्बन्धी शहर के हैं या वादी/प्रतिवादी न्यायाधिकरण के किसी भी सदस्य के निकट सम्बन्धी हों तो वे स्वयं ही उस विषय पर होने वाली बैठक से अलग हो जायेंगे।

जब-जब सभा को आवश्यकता पड़ी, न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय व सूझबूझ से सभा में उत्पन्न समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न किया।

(20) भार्गव ग्लोबल कॉन्क्लेव

विश्व में बसे सभी भार्गव परिवारों को भी हम संगठित कर सकें। इस कॉन्फ्रेंस से फैलोशिप बढ़ेगी। देश-विदेश में रह रहे लोगों को एक मौका मिलेगा अपने सभी परिजनों से मिलने का, वह भी एक प्लेटफार्म पर, एक शहर में, अपने भारत देश में। जो परिवार कई वर्षों से विदेश में बसे हैं उनके बच्चे हमारी हैरिटेज को जान सकें, रूट्स को जान सकें, हमारी संस्कृति, हमारे रीति-रिवाज, हमारी परम्पराओं को जान सकेंगे। भार्गव सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री विजय नारायण जी के नेतृत्व में इसका आयोजन करने का प्रयास किया जा रहा है। मई 2012 में दुबई में बसे भार्गव परिवारों के निमन्त्रण पर भारतीय भार्गव समाज का 5 दिन का एक अन्तर्राष्ट्रीय ट्रिप दुबई गया। सभा के इतिहास में यह पहला अवसर था जिसमें 182 सदस्यों का दल दुबई गया। एक दिन का पूरा कार्यक्रम सुबह से रात्रि तक का दुबई के भार्गव परिवारों द्वारा आयोजित, श्री अंकित भार्गव Travel & Tour Planners Ltd. के सहयोग से सम्भव हो सका। श्री अशोक भार्गव XL Laboratory विज्ञापन के अतिरिक्त पुरस्कारों के भी आयोजक थे।





नवीन एवं संशोधित प्रकाशन

(1) आदर्श संविधान निर्देशिका (स्थानीय भार्गव सभाओं हेतु)

यदि सभा का अपना संविधान हो तो उसे सुचारु रूप से चलाने के लिये सुविधा होती है। इसका ध्यान रखते हुए भार्गव सभा ने अपनी समन्वय उपसमिति के माध्यम से सम्बद्ध स्थानीय सभाओं हेतु वर्ष 2003-05 में आदर्श संविधान बनाने का प्रारूप तैयार किया। वर्ष 2009-11 में कुछ सुझावों के साथ समन्वय उपसमिति ने स्थानीय सभाओं के विचारार्थ भेजा। आदर्श संविधान निर्देशिका में आमूल परिवर्तन हेतु समन्वय उपसमिति ने अनेक बैठकों को आयोजित कर उसमें महत्वपूर्ण व अति आवश्यक सुझावों का समावेश कर बीकानेर अधिवेशन के अवसर पर कार्यकारिणी व साधारण सभा के विचारार्थ प्रस्तुत किया।

तत्पश्चात् भार्गव पत्रिका अंक फरवरी 2012 में समस्त जाति बन्धुओं, स्थानीय भार्गव सभाओं एवं अखिल भारतीय भार्गव सभा की कार्यकारिणी के सुझाव आमन्त्रित करने हेतु प्रकाशित किया गया। प्राप्त सुझावों पर चर्चा के उपरान्त समावेश किया गया और 17.11.2012 को जोधपुर में सम्पन्न साधारण सभा में स्वीकृत किया गया। ताकि सभा के नियमों व कार्यकलापों में एकरूपता लाई जा सके और व्यवधान रहित कार्य सम्पन्न हो सके। प्रथम प्रकाशित 14 पृष्ठों की निर्देशिका जिसमें चुनाव हेतु निर्धारित प्रारूप भी संलग्न है।

(2) वंशावली पुस्तिका

अखिल भारतीय भार्गव सभा के सान्निध्य में वर्ष 2008 में श्री बाल कृष्ण भार्गव (दिल्ली) संयोजक द्वारा सम्पादित 'भार्गव वंशावली' एवं 'स्मृति पुस्तिका' नामक दो पुस्तकों का 119वें इलाहाबाद वार्षिक अधिवेशन के शुभ अवसर पर विमोचन किया गया। 'भार्गव वंशावली' पुस्तिका में रंगीन एवं आकर्षक मुख पृष्ठ के अतिरिक्त 125 भार्गव वंशावलियों के साथ-साथ उपलब्ध कुलदेवियों के विवरण व चित्र तथा अन्य पठनीय सामग्री है। प्राप्त वंशावलियों को 6 गोत्रानुसार 6 खण्डों में विभक्त कर छापा गया है। अपने परिवार की वंशावली देखने के लिये अपने गोत्र वाले खण्ड में जाकर अपनी कुलदेवी वाला पृष्ठ देखें तथा अपने पूर्वजों की स्मृति को ताजा करें। वंशावलियों के पीछे का पृष्ठ खाली (blank) जान-बूझकर रखा गया है ताकि वंशावली अपडेट कर परिवार के सदस्यों के चित्रों से सँजोया जा सके। पुस्तिका का आकार 11 इन्च x 7.6 इन्च तथा कुल पृष्ठ 149 हैं।

(3) स्मृति पुस्तिका

इस पुस्तक के अन्तर्गत अखिल भारतीय भार्गव सभा, कॉन्फ्रेंस, युवा संघ तथा महिला सभा के स्थापना वर्ष से 2008 तक के समस्त प्रधान, प्रधान सचिव तथा महामन्त्री के संक्षिप्त विवरण व चित्र छापे गए हैं ताकि उनकी स्मृति को ताजा रख सकें व आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा प्राप्त कर समाज हित में कार्य कर सके। पुस्तिका में रंगीन एवं आकर्षक मुख पृष्ठ के अतिरिक्त 105 श्वेत-श्याम चित्र तथा पठनीय सामग्री भी है।





(4) भार्गव विवाह रीति संग्रह

यह पुस्तक भार्गव जाति में विवाह सम्बन्धी रीतियों की आदर्श मार्गदर्शिका है। पुस्तक के माध्यम से विदेश में बसे भार्गव भी अपने देश व समाज से जुड़े रहते हैं और अपने रीति-रिवाज व संस्कृति से जुड़े रहकर उसे सँजोकर रख पाते हैं। इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन 1939 में हुआ। इसके बाद समय-समय पर इसमें संशोधन की आवश्यकता आँकी गई, फलस्वरूप 1949, 1954, 1955, 1964, 1966, 1968, 1972 और 1978 में आयोजित सम्मेलनों में पारित कर संशोधन किए गए। काफी अन्तराल के पश्चात् 1999 में पुनः रीति संग्रह में संशोधन हेतु स्थानीय भार्गव सभाओं, समाज कल्याण समिति, वरिष्ठ व सम्भ्रान्त सदस्यों तथा समाज सेवकों से सुझाव माँगे गए। समयानुसार प्राप्त सुझावों का अध्ययन कर भार्गव रीति संग्रह में संशोधन किए गए जो आज सारे समाज के सामने प्रस्तुत है जिसे कोटा में 112वें अखिल भारतीय भार्गव सभा अधिवेशन 2001 में पारित किया गया और जिसका प्रकाशन 2002 में हुआ। पुस्तक के अन्त में विवाह में प्रयोग होने वाली विभिन्न सामग्रियों की सूची भी दी गई है। पुस्तक में भात व लग्न पत्रिका का प्रारूप भी संलग्न है।

(5) संशोधित संविधान

भार्गव सभा के संस्थापकों ने भार्गव सभा को 10.10.1889 को विधिवत् सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के समय सभा को सुचारु रूप से चलाने के लिये एक नियमावली बनाई थी जिसे बाद में संविधान कहने लगे। यह सर्वविदित है कि कोई भी नियम अथवा विनियम कभी भी स्थायी नहीं रह पाते क्योंकि समय परिवर्तनशील है। अतः तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, जनतान्त्रिक चेतना के अनुरूप नियमों में भी आवश्यक परिवर्तन एवं सुधार की आवश्यकता पड़ती है। फलस्वरूप मूल नियमावली में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। सब बातों का आकलन व समीक्षा कर संविधान समीक्षा उपसमिति की अनुशंसा पर विशेष आम सभा में संशोधनों को पारित कर लागू किया जाता है। मूल नियमावली में अभी तक 9 बार संशोधन हो चुके हैं। केवल विगत 25 वर्षों में 5 बार (1992, 2005, 2009, 2013 और 2014) संशोधन किए जा चुके हैं। वर्तमान संशोधित संविधान 9.11.2013 को जयपुर में पारित किया गया जिसे 1.4.2014 से लागू किया गया है।





भार्गव सभा का मुखपत्र 'भार्गव पत्रिका'

लेखक - श्री बालकृष्ण भार्गव

भार्गव सभा के जन्म से पूर्व सन् 1888 में मुंशी हरदयाल सिंह, महाराजा कॉलेज, जयपुर ने सर्वप्रथम समाज की अपनी एक समाचार पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया। अब 125 वर्ष पूर्ण कर अपने सुन्दर, आकर्षक, बहुरंगी आवरण व पठनीय सामग्री से सजी आपके सम्मुख 'भार्गव पत्रिका' के नाम से समाज की सेवा कर रही है। इसके लिए उसके जन्मदाता, दानवीर, सम्पादक, विज्ञापनदाता, ग्राहक, लेखक और पाठकों को शत-शत नमन।

किसी भी सामाजिक पत्रिका के लिए अपने 125 वर्ष पूर्ण करना एक बड़ी उपलब्धि, हर्ष व गौरव की बात होती है। समाज के कुछ शुभचिन्तकों ने अपनी सूझ-बूझ और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए समाज के समाचारों, विचारों, समस्याओं और भावनाओं के आदान-प्रदान हेतु एक सामाजिक पत्रिका के प्रकाशन की योजना बनाई। फलस्वरूप सितम्बर 1888 में मुंशी हरदयाल सिंह की सम्पादकता में प्रथम बार 'मजहर-उल-इसलाह' नामक पत्रिका का उस समय की प्रचलित भाषा उर्दू में जयपुर से प्रकाशन आरम्भ हुआ। आरम्भ में पत्रिका की ग्राहक संख्या मात्र 50 और वार्षिक शुल्क 2 रुपये 10 आने था। यह पत्रिका अपने विभिन्न नामों में गोते लगाते हुए प्रकाशित होती रही:- जैसे 'भार्गव पेपर', 'रिसाला हालात व ख्यालात, कौम भार्गव' और 'भार्गव हितकारिणी' आदि, जिसे आज सारा समाज 'भार्गव पत्रिका' के नाम से जानता है। पत्रिका अनेक वर्षों तक केवल उर्दू में प्रकाशित होती थी, लेकिन बाद के वर्षों में उर्दू के साथ-साथ उसमें कुछ पृष्ठ हिन्दी के भी प्रकाशित होने लगे। समय-समय पर पत्रिका का प्रकाशन, मुद्रण व सम्पादन विभिन्न नगरों से सम्पादक, प्रधान मन्त्री (अब प्रधान सचिव), संरक्षक, प्रबन्धक, मैनेजर, मुख्य सम्पादक व सहायक सम्पादक की देखरेख में होता रहा:- मुंशी हरदयाल सिंह (जयपुर), मुंशी नवल किशोर (लखनऊ), मुंशी राम सिंह (कानपुर), मुंशी मिट्ठन लाल और बाबू रामजीवन लाल (अजमेर), पं. त्रिलोकी नाथ, पं. मनोहर लाल और पं. रामजी दास (लखनऊ), पं. अयोध्या प्रसाद (गौंडा), पं. जयदयाल सिंह, पं. गोपाल प्रसाद, पं. कैलाश नाथ और पं. मोती लाल (आगरा), पं. गौरी शंकर (अजमेर), पं. रामजीवन, पं. रेवती रमण, श्री कामेश्वर प्रसाद (इलाहाबाद), श्री कृष्ण सहाय, प्रो. गोपाल स्वरूप, श्री बेनी प्रसाद, पं. जयनारायण, मास्टर रामजीलाल, पं. जयन्ती प्रसाद (दिल्ली), श्री विष्णु दत्त, श्री रामजीवन लाल, पं. धरमचन्द, पं. केशव देव, पं. बनवारीलाल (लाहौर/आगरा), पं. वेदप्रकाश (कानपुर), पं. विशेश्वर नाथ, पं. दीनानाथ 'दिनेश' (दिल्ली), पं. गिरिराज किशोर सिंह (कलकत्ता), पं. किशन जीवन, पं. कैलाशनाथ, पं. पूरणचन्द, श्री रमेशचन्द्र (जयपुर), श्री सुरेश चन्द्र (रेवाड़ी), श्रीमती प्रभा (लखनऊ), श्री शिवराज, श्री शिव कुमार (आगरा), श्री राजेन्द्र नाथ (कानपुर), सर्वश्री मनमोहन कुमार, कृष्ण कुमार, विजय नारायण, निहाल चन्द, बाल कृष्ण (दिल्ली)।

आरम्भ की पत्रिकाओं को देखने से पता चलता है कि उसमें उपसमितियों एवं सभा की रिपोर्टों के साथ-साथ 14 से 18 वर्ष तक के लड़के व लड़कियों के टेवे व विद्यार्थियों की सूची पते सहित छापी जाती थी। जो इस बात को दर्शाती है कि उस समय हमारे समाज में भी बाल-विवाह का चलन था।

वर्ष 1889 के कुछ अंक आगरा व मथुरा से प्रकाशित हुए। उस समय तक पत्रिका के ग्राहकों की संख्या लगभग 145 तक पहुँच चुकी थी। उस समय के अंक हीरालाल प्रेस, जयपुर में छापे गए थे।





1890 के अंकों में 'भार्गव पत्रिका' छापना आरम्भ कर दिया गया था। जयपुर में पत्रिका के छापने का समुचित प्रबन्ध न होने के कारण 1893 में मुंशी नवल किशोर ने भार्गव बोर्डिंग हाउस, आगरा में दानस्वरूप एक प्रेस लगवा दी, तब पत्रिका का प्रकाशन आगरा से होने लगा।

इलाहाबाद अधिवेशन (कॉन्फ्रेंस) वर्ष 1900 के प्रस्ताव सं. 13 के निर्णयानुसार तत्कथित पत्रिका को जाति की पत्रिका मानते हुए तय हुआ कि इसके लाभ हानि को बिरादरी-समाज की लाभ-हानि माना जाए और आगरा में स्थित प्रेस अजमेर को दे दी गई। वर्ष 1901 में पत्रिका उर्दू में अजमेर से प्रकाशित होने लगी। मुंशी मिट्ठन लाल, रायबहादुर दामोदर लाल सम्पादक, मुंशी प्रभु दयाल और बाबू रामजीवन लाल मैनेजर ने पत्रिका के प्रचार व प्रसार हेतु 5-5 रुपये दिये। 1901 के अधिवेशन में अजमेर से छपने वाली पत्रिका के लिये पाँच रुपये माहवार पर एक क्लर्क की नियुक्ति की गई।

वर्ष 1906 ढोसी व 1907 अलीगढ़ कॉन्फ्रेंस के अनुसार पत्रिका में निम्न विषयों पर सामग्री प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया:-

1. जातीय समाचार व अन्य समाचार।
2. सम्मेलन के प्रस्तावों तथा नियमों के पालन अथवा उल्लंघन करने की सूचनाएँ।
3. सदाचार सम्बन्धी लेख आदि।
4. सम्मेलन में पास होने वाले प्रस्ताव व अन्य विषयों पर वाद-विवाद।
5. स्थानीय सभाओं एवं कार्यकर्ताओं की कार्यवाही।
6. स्त्री शिक्षा सम्बन्धी लेख।

दिसम्बर 1892 व जनवरी 1893 की पत्रिकाओं के मुख पृष्ठ पर छपा गया था:- 'रिसाले का राजनैतिक, आर्थिक व सामान्य समाचारों से कोई सम्बन्ध नहीं है।' पत्रिका की सशक्त नीति का यही मौलिक सिद्धान्त आज तक पत्रिका को निर्विघ्न, निरन्तर, निर्विरोध एवं सुचारु रूप से चला रहा है। पत्रिका आज भी निम्न मूल सिद्धान्त को मानते हुए प्रगति के पथ पर अग्रसर है:-

1. जातीय समाचार, भार्गव सभा, स्थानीय सभाएँ, सम्बद्ध सभाएँ व उपसमितियों की कार्यवाही का प्रकाशन करना।
2. धार्मिक व राजनीतिक विवादों से दूर रहना।
3. जाति के नैतिक मूल्यों, संस्कारों एवं रिवाजों के प्रचार के माध्यम से जाति में एकरूपता एवं एकता को स्थापित करना।
4. इसके संचालन को व्यावसायिकता से दूर रखना।
5. शिक्षाप्रद सामग्री का प्रकाशन।
6. विवाह योग्य प्रत्याशियों की सूची का निशुल्क प्रकाशन।
7. पत्रिका के सम्पादक मण्डल का अवैतनिक होना।

सन् 1912 में निर्णय लिया गया कि भार्गव सभा स्वयं अपनी पत्रिका निकाले अथवा चालू पत्रिका को अपना ले। 1915 से 1923 तक पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित होती रही। वर्ष 1916 में स्त्रियों के लिए भार्गवी पत्रिका के प्रकाशन की स्वीकृति दी गई। वर्ष 1918 में भार्गव क्लब लखनऊ द्वारा 'भार्गव' नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ, किन्तु वह एक वर्ष बाद बन्द हो गई। वर्ष 1919 में भार्गव पत्रिका का आधा भाग उर्दू व आधा भाग हिन्दी में छपने लगा। 1916 से पत्रिका सभा की सम्पत्ति मानी गई





से 250 रुपये (मात्र 10 वर्ष के लिए) कर दिया तथा 2001 से आजीवन सदस्य बनाने बन्द कर दिये। इसके स्थान पर 1985 से धरोहर राशि 400 रु., 1990 से 500 रु. तथा 2005 से 1500 रु. में विशेष शर्तों पर सदस्य बनाने आरम्भ किये। आजीवन सदस्यों से भी अनुरोध कर उनसे भी धरोहर राशि के सदस्य बनने का अनुरोध किया गया है ताकि पत्रिका पर आर्थिक बोझ न पड़े। वर्तमान में वार्षिक विज्ञापन दरें अन्तिम कवर पृष्ठ (बहुरंगी) 10000 रु., अन्दर के कवर श्वेत-श्याम 6000 रुपये, पूर्ण पृष्ठ 5000 रुपये तथा अर्द्ध पृष्ठ 3000 रुपये कर दिये गए हैं। 1.4.2014 से इसमें पुनः बढ़ोतरी कर दी गई है। इन सब बातों के कारण हम कह सकते हैं कि भार्गव पत्रिका के विकास हेतु वार्षिक शुल्क आदि ने उसे दवा का काम कर जीवित रखा, वहीं विज्ञापन शुल्क ने टोनिक का काम कर पत्रिका को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया और आज पत्रिका 1987 से बिना किसी हानि के अपनी यात्रा पर अग्रसर है।

पत्रिका में विवाह प्रत्याशियों के पूर्ण विवरणों की सूची निःशुल्क प्रकाशित की जाती थी किन्तु सम्बन्ध तय हो जाने व विवाह हो जाने के पश्चात् भी सूचना न देने के कारण सूची सही नहीं रह पाती थी। वर्ष 2005 से विवाह प्रत्याशियों का अर्द्ध पृष्ठ वैवाहिक विवरण मय चित्र मात्र 300 रुपये में एक बार प्रकाशित किया जाने लगा जिसका शुल्क 1 अप्रैल 2006 से 500 रुपये कर दिया गया, किन्तु इसे अब बढ़ाकर क्रमशः 750 और 1500 रुपये कर दिया गया है। समाज के बन्धुओं ने जटिल समस्या के लिए इसे एक सकारात्मक कदम बताते हुए इसकी सराहना की।

पत्रिका के श्वेत-श्याम मुख पृष्ठ में सुधार कर बहुरंगी बनाकर जाति के पूर्वज, समाज सेवी, दानवीर व समाज की धरोहर के चित्रों को मुख पृष्ठ पर छापकर नई पीढ़ी को जहाँ जानकारी मिलती है, वहीं पूर्वजों को स्मरण कर उन्हें श्रद्धाँजलि देने का अच्छा प्रयास किया है। पत्रिका को रोचक बनाने के लिए नवम्बर 2005 से सू-डो-कू पहली देना भी आरम्भ किया है और ग्राहक संख्या बढ़ाने के लिए रोचक तथा आकर्षक स्कीम भी चालू की है। किन्हीं कारणों से आर.एन.आई. नं. का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा था, किन्तु काफी प्रयत्न करने के उपरान्त 13.6.2002 को पत्रिका का वही पुराना आर.एन.आई. पंजीकरण नम्बर 4704/2057 प्राप्त हो जाने के कारण, डाक-तार विभाग से पंजीकृत कराकर डी नम्बर मिलने के कारण पत्रिका अब रियायती दर पर पाठकों को निरन्तर समयानुसार प्रेषित की जा रही है।

आजकल पत्रिका दिल्ली से सभा के प्रधान सचिव एवं पत्रिका के प्रधान सम्पादक श्री हीरेन्द्र नाथ (गुड़गाँव), सलाहकार श्री विजय नारायण (दिल्ली) और सह-सम्पादक श्री निहाल (दिल्ली) की देखरेख में सर्वश्री राकेश एवं मुकेश की रैकमो प्रेस में मुद्रित होकर निरन्तर अपने नए-नए कलेवर के साथ पाठकों तक पहुँच रही है।

लगभग 1600 सदस्यों के साथ अब पत्रिका अपने प्रकाशन के 125वें वर्ष में प्रवेश करने को तैयार, समाज में आदान-प्रदान, गतिविधियों एवं सभा के मुखपत्र के रूप में समाज की सेवा कर रही है। इसके प्रथम प्रकाशक से आज तक के समस्त प्रकाशक, सहयोगी सम्पादक, सह-सम्पादक, मुद्रक, प्रबन्धक, लेखक, सलाहकार, विज्ञापनदाता, दानवीर और पाठक आदि को उनके प्रयास, लगन व सहयोग हेतु शत्-शत् नमन।





प्रधान एवं प्रधान सचिव का सचित्र विवरण (1989-2014)

स्व. श्री सुरेश चन्द्र भार्गव, रिवाड़ी

प्रधान मन्त्री, अखिल भारतीय भार्गव सभा 1989-90



आपका जन्म 19.6.1936 को पं. त्रिजुगी नाथ के यहाँ रिवाड़ी में हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के उपरान्त आप पुस्तकों, वैज्ञानिक उपकरण व खेलकूद के सामान के व्यापार में लग गए। 1961 में आपका विवाह श्रीमती राधा से सम्पन्न हुआ। आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन थे। आप कॉलेज की क्रिकेट टीम के कप्तान रहे। आप बैडमिन्टन के भी माने हुए खिलाड़ी रहे।

आप सभा के उत्साही, सक्रिय, शुभचिन्तक, प्रगतिशील तथा कर्मठ कार्यकर्ता रहे। आपकी निष्ठा, निःस्वार्थ सेवा भावना तथा लगन अत्यन्त प्रशंसनीय रही।

(19.6.1936 - 7.3.1993)

भार्गव सभा रिवाड़ी के पाँच वर्ष तक मन्त्री रहे तथा ढोसी मन्दिर उपसमिति के भी अनेक वर्षों तक मन्त्री रहे तथा वहाँ वार्षिक भण्डारा आयोजित करने में विशेष योगदान रहा। रिवाड़ी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण व मोहिनी धर्मशाला को व्यवस्थित करने में आपका योगदान प्रशंसनीय है। आप अखिल भारतीय भार्गव सभा के उप-प्रधान रहे तथा आपकी विशेष सेवाओं के लिए आपको 'राघव नाथ पुरस्कार' से सम्मानित किया गया और 1989 व 1990 में सभा के प्रधान मन्त्री के पद पर भी सुशोभित रहे। आपका निधन अल्प आयु में 7.3.1993 को रिवाड़ी में हो गया।

स्व. डॉ. सुभाष भार्गव, देहली

प्रधान, अखिल भारतीय भार्गव सभा 1990



डॉ. भार्गव का जन्म 2.2.1942 को उज्जैन में श्री प्रकाश नाथ-श्रीमती शकुन्तला के यहाँ हुआ। आपका विवाह 22.12.1968 को श्रीमती मंजू के साथ हुआ।

आपकी प्रारम्भिक शिक्षा उज्जैन में हुई। तत्पश्चात् आपने ग्वालियर के जी.आर. चिकित्सा महाविद्यालय से 1963 में एम.बी.बी.एस. तथा 1967 में एम.डी. (पैथोलॉजी) परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की। वर्ष 1968 में आपने दिल्ली में स्वयं की पैथोलॉजी क्लीनिक प्रारम्भ की और विगत 38 वर्षों तक उसका सफलतापूर्वक संचालन किया। राजधानी में आपकी लैबोरेट्री की पूर्ण प्रतिष्ठा रही। समय-समय पर आपके शोध-पत्र व लेख विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित होते रहे। आपकी दो विवाहित पुत्रियाँ हैं।

(2.2.1942 - 23.11.2007)

डॉ. सुभाष विगत 26 वर्षों में कई समाजसेवी संस्थाओं से सम्बन्धित रहे तथा जनसेवा हेतु समर्पित रहे। समाज में कुरीतियों पर अंकुश लगाना, विधवा, बेसहारा व्यक्तियों की आर्थिक मदद करना और



प्रतिभाशाली छात्रों को क्षमतापूर्ण सब प्रकार की सहायता करने हेतु आप निःस्वार्थ भाव से सेवा में लगे रहे। आप देहली मेडिकल एसोसियेशन एवं इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन देहली शाखा के अध्यक्ष, सचिव तथा कार्यकारिणी सदस्य रहकर जन सेवा करते रहे।

सन् 1981 में आयोजित लॉयन्स क्लब के अधिवेशन में जोनल चेयरमैन एवं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आदि पदों पर कार्य कर चुके हैं। मध्य प्रदेश समाज देहली एवं मालविका ग्रुप हाउसिंग आदि संस्थाओं में आप कार्यशील रहे। आप दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उप-प्रधान भी रहे।

सन् 1980-86 तक भार्गव युवा संघ देहली के अध्यक्ष रहे एवं देहली में आयोजित सभा के अधिवेशनों में आपके नेतृत्व में प्रशंसनीय कार्य हुए। आप 1989 में 1990-91 के लिये भार्गव सभा के प्रधान चुने गए। आप सभा की अनेक उपसमितियों के सदस्य एवं संयोजक तथा ट्रिब्यूनल के सदस्य व रेवाड़ी जायदाद समिति के अध्यक्ष तथा भार्गव समाचार दर्शिका के संरक्षक भी थे।

डी.एम.ए. ने सम्मान देते हुए अपना डायनिंग हॉल डॉ. सुभाष के नाम पर रखा है। इसका नामकरण एवं उद्घाटन करते हुए दिल्ली की मुख्यमन्त्री श्रीमती शीला दीक्षित तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मन्त्री ने उनकी सेवा की प्रशंसा की। आपका निधन 23.11.2007 को हो गया।

श्री बाल कृष्ण भार्गव, दिल्ली

मुख्य संयोजक, तदर्थ समिति 1989-90

श्री बाल कृष्ण सुपुत्र स्व. पं. गोविन्द प्रसाद-शारदा का जन्म 18.3.1938 को झाँसी में हुआ। आपके बड़े भ्राता स्व. डॉ. हरिकृष्ण खतौली डिग्री कॉलेज के प्राचार्य तथा खतौली भार्गव सभा के प्रधान थे। दूसरे भ्राता स्व. श्रीकृष्ण (ग्वालियर) अखिल भारतीय भार्गव युवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे।

आपकी शिक्षा झाँसी में हुई। आगरा विश्वविद्यालय से स्नातक तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से साहित्य रत्न की उपाधि प्राप्त की। यू.पी. सरकार से वैद्यों में सूचीबद्ध हुए। आपका विवाह श्रीमती सन्तोष (सुपुत्री स्व. पं. रामजीलाल-बसन्ती देवी, दिल्ली) के साथ सम्पन्न हुआ। आपकी पत्नी भी भार्गव महिला सभा दिल्ली की अनेक वर्ष तक मन्त्राणी, कोषाध्यक्ष, उप-प्रधान तथा दिल्ली भार्गव सभा की उप-मन्त्राणी व सदस्या रह चुकी हैं।



(जन्म 18.3.1938)

आप भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे। आप परिषद की थ्रेफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी की कार्यकारिणी के भी सदस्य रहे।

आप दिल्ली भार्गव सभा के अनेक वर्ष उपमन्त्री, महामन्त्री, प्रधान जैसे अनेक पदों पर लगभग 20 वर्ष तक सुशोभित रहे। दिल्ली भार्गव सभा शताब्दी समारोह वर्ष 2000 में आप मुख्य संयोजक रहे। वर्तमान में आप न्यायाधिकरण के सदस्य भी हैं। दिल्ली भार्गव परिवारों की प्रथम पॉकेट डायरेक्ट्री के प्रकाशन एवं संकलन का श्रेय आपको ही जाता है। दिल्ली ही नहीं अपितु अखिल भारतीय भार्गव सभा की कार्यकारिणी के भी मन्त्री, संयोजक व कोषाध्यक्ष जैसे पदों पर सुशोभित रहे हैं। आपने 1988 में दिल्ली भार्गव सभा को दिल्ली सरकार से पंजीकृत कराया।

अखिल भारतीय भार्गव सभा के शताब्दी वर्ष समारोह समिति, स्मृति चिह्न, सरला श्रीराम

अखिल भारतीय भार्गव सभा के गत 25 वर्षों (1990-2014) की गतिविधियाँ (61)


कम्प्रोमाइजिंग कमेटी, प्रचार समिति, दिल्ली जायदाद समिति, दिल्ली कल्याण निधि व शिक्षा उपसमिति आदि के सदस्य तथा केन्द्रीय जायदाद कमेटी (1992-93) एवं वित्तीय उपसमिति (2001-2003) के मन्त्री तथा निधि संचालन उपसमिति के संयोजक भी रहे। भार्गव पत्रिका के अनेक वर्षों से सह-सम्पादक रहे हैं तथा समाचार दर्शिका के 25 वर्षों से सह-सम्पादक हैं। राजौरी गार्डन रेसीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अनेक वर्षों तक मन्त्री रहे हैं। राघव नाथ व सभा के कई पुरस्कारों से सम्मानित।

बड़ी सुपुत्री का विवाह श्री संजय सुपुत्र (स्व. श्री सुरेश चन्द्र-श्रीमती आशा, लखनऊ) से, द्वितीय पुत्री शालिनी का विवाह श्री लोकाश (सुपुत्र श्री देव किशोर-श्रीमती राजकुमारी, अजमेर) से, बड़े सुपुत्र श्री विनीत का विवाह श्रीमती अल्पना (सुपुत्री श्रीमती सन्तोष-धीरेन्द्र नाथ, रायबरेली) से हुआ। आपके छोटे सुपुत्र श्री नीरज का विवाह श्रीमती अनिता से हुआ है। बड़े सुपुत्र श्री विनीत भी अपने पिता के पद चिह्नों पर चल दिल्ली भार्गव सभा व युवा संघ के महामन्त्री रह चुके हैं।

1989-90 में श्री बाल कृष्ण अखिल भारतीय भार्गव सभा की तदर्थ समिति के मुख्य संयोजक पद पर भी सुशोभित रह चुके हैं। वंशावली पुस्तिका तथा स्मृति पुस्तिका का प्रकाशन आप ही की देन हैं। वर्तमान में आप अखिल भारतीय भार्गव सभा की 125वीं वर्षगांठ आयोजन समिति की प्रकाशन उपसमिति के मन्त्री हैं।

स्व. श्री राजेन्द्र नाथ भार्गव, कानपुर

प्रधान सचिव, अखिल भारतीय भार्गव सभा 1992-95



(15.1.1922 - 7.5.2008)

श्री राजेन्द्र नाथ जी 'रज्जन' का जन्म मेरठ में 15.1.1922 में हुआ था। माँ का स्वर्गवास हो जाने के कारण लालन-पालन और शिक्षा हेतु उनकी बुआ श्रीमती सुशीला और फूफा पं. नारायण प्रसाद उन्हें ग्वालियर ले आये। पतंग उड़ाने, हॉकी तथा क्रिकेट खेलने में रज्जन जी को बहुत मज़ा आता था।

अपनी प्रखर बुद्धि और लगन से बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी से इलैक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तकनीकी शिक्षा चार वर्षों में पूर्ण कर वह यू.पी. इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में 1942 से कार्यरत हुए। उनका विवाह कानपुर निवासी श्री ताराचन्द की सुपुत्री मनोरमा जी से 11.5.1944 को सम्पन्न हुआ।

1946 में उन्हें विद्युत क्षेत्र में उच्च प्रशिक्षण के लिये कनाडा भेजा गया। इस शिक्षण में आपने सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। 1948 में विदेश से आने के बाद उत्तर प्रदेश विद्युत निगम के अन्तर्गत कई योजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके पश्चात् इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1978 में उत्तर प्रदेश विद्युत निगम के चेयरमैन तथा उत्तर प्रदेश सरकार के पावर सेक्रेटरी पद पर रहे। एक साथ ऐसे दो पद पर पहुँचने वाले वे अकेले व्यक्ति रहे।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उनका योगदान युनाइटेड नेशन्स और वर्ल्ड बैंक के सलाहकार के रूप में श्रीलंका और अफ्रीका के देशों में माइक्रो हाइड्रिल योजनाओं के विकास की ओर रहा।

आपकी सामाजिक कार्यों में रुचि एवं सहयोग भी कम नहीं रहा है। आप कानपुर भार्गव सभा में विभिन्न पदों पर आसीन रहे एवं उसके प्रधान भी रहे। श्री द्वारका प्रसाद भार्गव धमार्थ ट्रस्ट, कानपुर में भी आपने सराहनीय योगदान दिया। समाज के प्रति आपकी लगन एवं सेवा को देखते हुए आपको

अखिल भारतीय भार्गव सभा के गत 25 वर्षों (1990-2014) की गतिविधियाँ

भार्गव सभा के प्रधान सचिव पद के लिये चुना गया, जिस पर आप 1992 से 31.3.1995 तक रहे। उस समय सभा की आर्थिक स्थिति दयनीय थी और सभा को घाटा हो रहा था, आप दो वर्षों में अपनी विद्वता एवं सूझबूझ द्वारा समुचित प्रबन्ध से सभा के घाटे को समाप्त कर प्रगति के पथ की ओर ले गए। भार्गव सभा के प्रबन्धन एवं रिकार्ड आदि में सुधार उन्हीं की देन रही। आप ही के कार्यकाल में रेवाड़ी जायदाद प्रबन्धक समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष रहते हुए महत्वपूर्ण सम्पत्तियों के प्रबन्धन में विशेष योगदान दिया।

उनकी पुत्री रुचि (कोलकाता) और पुत्र राकेश (देहली) में आवासित हैं। आपका निधन 7.5.2008 को कोलकाता में हुआ।

न्यायाधीश सुरेन्द्र नाथ भार्गव, जयपुर

प्रधान, अखिल भारतीय भार्गव सभा 1992-93

आपका जन्म 11.2.1934 को श्री मुकुट बिहारी लाल, अजमेर के यहाँ हुआ। आपके पिता श्री मुकुट बिहारी लाल भार्गव भी एक प्रसिद्धि प्राप्त अधिवक्ता, देशभक्त, स्वतन्त्रता सेनानी, सदस्य सेन्ट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली (1945), संविधान सभा, प्रोविजनल पार्लियामेंट व लोकसभा के तीन बार सदस्य चुने गए। उनकी सेवाओं का सम्मान करते हुए भारत सरकार ने उन पर एक डाक टिकट निकाला था।



(जन्म 11.2.1934)

सुरेन्द्र नाथ जी ने एम.एस-सी. करने के उपरान्त कानून की शिक्षा प्राप्त कर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सदैव उन्नति के शिखर की ओर बढ़ते गए। आप विद्यार्थी जीवन से ही विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हुए अनेक पदों पर सुशोभित हुए। इण्डियन कौंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, जोधपुर के मानसेवी सचिव रहे। रोटरी क्लब अजमेर, जोधपुर तथा जयपुर में विभिन्न पदों पर रहकर अपनी कुशलता प्रदर्शित की। आप राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के सचिव व अध्यक्ष भी रहे। विधि सम्बन्धी 'मारवाड़ रेग्यूलेशन-1987' तथा 'राजस्थान निर्णयों' का प्रकाशन मुख्य है। आप राजस्थान हिन्दी विधि प्रकाशन के संस्थापक सदस्य हैं।

आपका विवाह श्रीमती ऊषा के साथ 7.5.1960 को सम्पन्न हुआ। आप सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ह्यूमन राइट कमीशन फॉर आसाम एण्ड मणिपुर के चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी इण्टरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3050, चेयरपर्सन यूनेस्को राजस्थान, सत्य साई कॉलेज, विद्यास्थली लॉ कॉलेज, इण्डिया इण्टरनेशनल ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूट एण्ड डी.ए.वी. एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट के अध्यक्ष पदों पर आसीन रहे। भार्गव समाज से लगन एवं समाज सेवा अपने पूज्य पिता पं. मुकुट बिहारी लाल जी से विरासत में मिली।


आप 1989-90 में सभा की तदर्थ समिति के को-चेयरमैन तथा वर्तमान में आप सभा के न्यायाधिकरण के सदस्य हैं। दिसम्बर 1991 में निर्वाचित मई 1993 तक अखिल भारतीय भार्गव सभा के प्रधान रहे। इसके अतिरिक्त आप अखिल भारतीय भार्गव सभा की 125वीं वर्षगाँठ आयोजन समिति के सदस्य हैं।

अखिल भारतीय भार्गव सभा के गत 25 वर्षों (1990-2014) की गतिविधियाँ (63)



स्व. पं. कुँवर कृष्ण भार्गव, प्रयाग

प्रधान, अखिल भारतीय भार्गव सभा 1993 जीवनपर्यन्त



आपका जन्म 29.8.1929 को स्वामी चरणदास जी के वंश में श्रीमती गेंदावती-पं. राधाकान्त (स्वतन्त्रता सेनानी) के यहाँ मथुरा में हुआ। आपका विवाह 1951 में श्रीमती शशि प्रभा सुपुत्री दुर्गा प्रसाद (रिवाड़ी) के साथ हुआ। इलाहाबाद में शिक्षा ग्रहण कर 1948 में आप पैतृक व्यवसाय में अपने पिता की छत्रछाया में जुट गए। कई वर्ष तक सरकारी ठेकेदारी का काम किया। 1968 में इलाहाबाद ट्रेडिंग कम्पनी का कार्यभार सँभाला और उसे उच्चतम शिखर पर पहुँचाने का पूर्ण प्रयास किया।

1983 व 1986 में इलाहाबाद भार्गव सभा के उपाध्यक्ष तथा 1984, 1985 व 1987 में अध्यक्ष चुने गए। 1985 में भार्गव सभा के उप-प्रधान व 1993 में प्रधान निर्वाचित हुए और इस पद पर जीवनपर्यन्त रहे। प्रयाग में धर्मशाला बनाने के लिये तन्मयता से जुटे रहे और प्रयाग धर्मशाला के संस्थापक रहे, यह आपके अथक प्रयासों की देन है।

आप टैक्निकल एजुकेशन सिम्पोजियम, अर्थ समिति, संविधान संशोधन उपसमिति व शताब्दी समारोह की कमेटियों आदि में विभिन्न पदों पर आसीन रहे। आप सभा की विभिन्न उपसमितियों के संयोजक तथा सदस्य रहे। आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य व कार्यकर्ता रहे।

आपके एक पुत्र श्री योगेश तथा दो पुत्रियाँ रेखा और रश्मि हैं। श्री योगेश, राधा सेल्स कार्पोरेशन चला रहे हैं। आपका अचानक 12.10.94 को टेन यात्रा में हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया।

स्व. श्री विनय कुमार भार्गव, इन्दौर

प्रधान, अखिल भारतीय भार्गव सभा 1994



(23.9.1940)

आपका जन्म 23.9.1940 को राय साहब बनवारी लाल-श्रीमती गोमती देवी के यहाँ हुआ। आपका विवाह श्रीमती अरुणा के साथ 11.5.1955 को हुआ।

प्रारम्भिक शिक्षा दून स्कूल देहरादून एवं मेयो कॉलेज, अजमेर में हुई। 1957 में अखिल भारतीय प्रतियोगिता में आपका चयन मैरिन इंजीनियरिंग में हुआ। आपने बम्बई एवं कलकत्ता से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। 1962 में मध्य प्रदेश सरकार के निमन्त्रण पर इन्दौर में उद्योग स्थापित किया। इस उद्योग की विशेषता थी कि इसका 95% उत्पादन सैनिक संस्थानों द्वारा क्रय किया जाता था। 1996 में आपने बच्चों के लिये अपने कृषि फार्म पर

(23.9.1940) Environment Friendly Resort आरम्भ किया। जहाँ बच्चों को कृषि एवं ग्रामीण वातावरण से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। 2007 में आपने उद्योग से निवृत्ति ले ली, ताकि अपना सम्पूर्ण समय प्रकृति एवं बच्चों के समीप व्यतीत कर सकें।

श्री विनय कुमार कई वर्षों तक इन्दौर भार्गव सभा से जुड़े रहे और दो बार इन्दौर भार्गव सभा के अध्यक्ष चुने गए। सन् 1993 में अखिल भारतीय भार्गव सभा के उज्जैन अधिवेशन में इन्दौर का भार्गव




समाज काफी सक्रिय रहा। आप अखिल भारतीय भार्गव सभा के उप-प्रधान रहे तथा 1994-95 में कार्यवाहक प्रधान रहे।

आप सभा के उत्साही, सक्रिय, शुभचिन्तक, प्रगतिशील तथा कर्मठ कार्यकर्ता रहे। आपकी निष्ठा, निःस्वार्थ सेवा भावना तथा लगन अत्यन्त प्रशंसनीय रही। आपका निधन हो गया है।

डॉ. ऋषि भार्गव 'ब्राह्मण रत्न', जयपुर

प्रधान, अखिल भारतीय भार्गव सभा 1990-92

आपका जन्म वैद्य पं. मोहन लाल, जयपुर के यहाँ 17.11.1941 को हुआ। आपकी गिनती जाने-माने चिकित्सकों में की जाती है। आपका विवाह डॉ. सुधा के साथ 27.11.1968 को सम्पन्न हुआ। डॉ. सुधा भी अपने पति के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर समाज की सेवा कर रही हैं, वह भार्गव महिला सभा जयपुर, अखिल भारतीय भार्गव महिला सभा की प्रधान रह चुकी हैं और वर्तमान में भार्गव सभा की वरिष्ठतम उप-प्रधान हैं।



(जन्म 17.11.1941)

डॉ. ऋषि 1965 में एम.बी.बी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण कर 1968 तक उच्च चिकित्सा शिक्षा ग्रहण करते रहे और 1968 से ही जयपुर में चिकित्सा महाविद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य आरम्भ किया। प्रोफेसर एवं चर्म रोग, रति रोग तथा कुष्ठ रोग विभाग के अध्यक्ष एवं एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज जयपुर के चिकित्सालय अधीक्षक रहे हैं। आपके अनेक शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए तथा अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भी प्रस्तुत किये गए। इस सम्बन्ध में आपने कई बार विदेश यात्रा की। इण्डियन एसोसिएशन ऑफ डरमेटरोलॉजी, बैनरोलॉजी एवं लेप्रोसी की राजस्थान शाखा के 1979 में संस्थापक मन्त्री बने और 6 वर्ष तक इस पद पर रहे। 1990-92 तक अखिल भारतीय संस्था के अध्यक्ष तथा सार्क देशों की संस्था के अध्यक्ष रहकर काठमाण्डू में सम्मेलन की अध्यक्षता की।

आपके प्रयास से 2000 वर्ग गज भूमि पर स्वामी चरणदास स्मृति न्यास की स्थापना की गयी, जिसके आप कार्यकारी न्यासी हैं। श्री गिरधर हॉस्पिटल रिसर्च सेन्टर जयपुर के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। राजस्थान सरकार द्वारा आपको Cash Merit Award द्वारा सम्मानित किया गया। आपने देश-विदेश में अपने शोध पत्रों को प्रस्तुत किया। आप जयपुर भार्गव सभा के प्रधान व अखिल भारतीय भार्गव सभा के विभिन्न पदों पर रहते हुए, मार्च 1990 और दिसम्बर 1990 में 1991-92 के लिए भार्गव सभा के प्रधान चुने गए। 2008 में सर्व ब्राह्मण सभा ने आपको चिकित्सा जगत में सेवा व उत्कृष्ट कार्य हेतु 'ब्राह्मण रत्न' की उपाधि से विभूषित किया है। आप 1979 और 1980 में अखिल भारतीय भार्गव युवा संघ के अध्यक्ष भी रहे।

आप 'सरला श्रीराम भवन', 174, जोरबाग, नई दिल्ली के पूर्णरूपेण नवीनीकरण हेतु गठित कार्यान्वयन समिति के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त आप अखिल भारतीय भार्गव सभा की 125वीं वर्षगाँठ आयोजन समिति के चेयरमैन हैं।



श्री विजय नारायण भार्गव, दिल्ली/लखनऊ

प्रधान, अखिल भारतीय भार्गव सभा 1995-2001



(जन्म 6.10.1933)

आपका जन्म लखनऊ में 6.10.1933 को श्री बिशन नारायण व श्रीमती चन्द्रकला के यहाँ हुआ। आपका विवाह श्री रामेश्वर नाथ (कानपुर) की सुपुत्री प्रतिमा जी के साथ 21.1.1960 को सम्पन्न हुआ। प्रतिमा जी भी अपने पति की भाँति समाज सेवा में अग्रणी हैं। आप भार्गव महिला सभा दिल्ली की 5 वर्ष तक प्रधान रही।

विजय नारायण जी लखनऊ विश्वविद्यालय से शिक्षा पूर्ण कर 1955 से लखनऊ स्थित पैतृक व्यवसाय 'हिन्दुस्तानी बुक डिपो' में प्रकाशन एवं छपाई इत्यादि में लग गए। 1962 में अपने बहनोई श्री विष्णु कुमार के साथ दिल्ली में विष्णु कुमार एण्ड ब्रादर्स के नाम से जे.के. पेपर मिल्स के प्रमुख वितरक के रूप में काम आरम्भ किया। बाद में एच.बी.डी. पैकेजिंग प्रा.लि. के नाम से दिल्ली/ग्रेटर नोएडा में एक कम्पनी खोली जो दिन-प्रतिदिन नवीन मशीनों के साथ विकास की ओर अग्रसर होते हुए अपना विशिष्ट स्थान रखती है।

समाज के कार्यों में आवश्यकता अनुसार आप अपने माता-पिता के अनुरूप सदा तत्पर रहते हैं। आप 1950 से 1965 तक लखनऊ भार्गव सभा के सक्रिय सदस्य रहे। 1991 से आप भार्गव सभा कार्यकारिणी के सक्रिय सदस्य हैं।

1991 से 1995 तक जातीय बन्धुओं से रुपये 5 लाख एकत्रित कर भार्गव आश्रम हरिद्वार का जीर्णोद्धार कराया। सन् 1994 में आप सभा के प्रधान चुने गए और लगातार इस पद पर मार्च 2001 तक पदासीन रहे।

भार्गव पत्रिका को हानि से उबारा तथा उसके कलेवर व समय पर प्रकाशन में जोर देकर प्रशंसनीय कार्य किया। आपके सहयोग से ही अधिवेशन मार्गदर्शिका का प्रकाशन सम्भव हुआ। स्थानीय नगरों की रिसोर्स भार्गव डायरेक्टरी उन्हीं के स्वप्न का साकार रूप है। विवाह परामर्श समिति के सलाहकार होने के नाते आपने कम्प्यूटर का प्रयोग एवं सम्पूर्ण कार्यप्रणाली में विशेष सुधार किया तथा सचित्र सी.डी. भी निकाली। आजकल आप भार्गव पत्रिका सलाहकार समिति, भार्गव आश्रम एवं गंगा आश्रम हरिद्वार मैनेजमेन्ट कमेटी के प्रधान हैं और आश्रम के पुनः नवीनीकरण की योजना के स्वप्न को साकार रूप आप ही ने दिया है। आपके पुत्र श्री नीरज-पुत्रवधू श्रीमती रीतु तथा तीन पुत्रियाँ श्रीमती नीरा (न्यूजर्सी), नलिनी (इन्दौर) तथा नमिता (जयपुर) हैं।

आप 'सरला श्रीराम भवन', 174, जोरबाग, नई दिल्ली के पूर्णरूपेण नवीनीकरण हेतु गठित कार्यान्वयन समिति के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त आप अखिल भारतीय भार्गव सभा की 125वीं वर्षगाँठ आयोजन समिति के सदस्य होने के साथ-साथ प्रकाशन उपसमिति के प्रधान भी हैं।






श्री मनमोहन कुमार भार्गव, गुड़गाँव/दिल्ली

प्रधान सचिव, अखिल भारतीय भार्गव सभा 1995-2009 (14 वर्ष) एवं

प्रधान 2009-13 (4 वर्ष)

श्री मनमोहन कुमार का जन्म लखनऊ में 4.1.1934 को श्री अनन्तराम तथा श्रीमती त्रिवेणी देवी के यहाँ हुआ। आपका विवाह 16.11.64 को श्रीमती निर्मल के साथ सम्पन्न हुआ। आपके एक सुपुत्र सन्दीप, पुत्रवधू श्रीमती गुंजन तथा उनके दो पुत्र हैं।



(जन्म 4.1.1934)

श्री मनमोहन की प्रारम्भिक शिक्षा दिल्ली में हुई। आपने बी.ए. की परीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से सन् 1956 में पास की। आपने सर्वप्रथम 1951 में अपने फूफा आदरणीय पं. विद्याशंकर के संस्थान सूरज प्रिंटिंग प्रेस में कार्य किया। आपने 27 वर्ष की अल्पायु में ही 'सरिता', 'मुक्ता' आदि विख्यात पत्रिकाओं के प्रकाशक 'दिल्ली प्रेस' में प्रबन्धक के पद पर कार्य किया। सन् 1964 में आपने कुमार प्रिंटर्स के नाम से निजी व्यवसाय प्रारम्भ किया तथा सन् 1968 में निजी प्रैस की स्थापना की। आज कुमार प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड भारत के प्रतिष्ठित तथा अग्रणी प्रैसों में जाना जाता है, जिसके आप चेयरमैन हैं। कुमार प्रिंटर्स में पूर्णतः पैकेजिंग का ही काम होता है जहाँ आधुनिक मशीनों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की पैकेजिंग का निर्माण अनेक बहुराष्ट्रीय उद्यमों के लिये होता है, जो अपने उत्पाद को अनेक देशों में निर्यात के लिये प्रयोग में लाते हैं। आपने विगत वर्षों में अपने प्रतिष्ठान को नवनिर्मित भवन में करोबार बढ़ाकर नयी टेक्नोलॉजी के साथ मानेसर स्थानान्तरित कर लिया है। आप स्वयं व भ्राता श्री निहाल व श्री सतीश तथा सुपुत्र श्री सन्दीप की देख-रेख में प्रेस दिन-प्रतिदिन उन्नति के शिखर की ओर अग्रसर होती जा रही है।

श्री मनमोहन वैसे तो सभा के कार्यों में आरम्भ से ही रुचि ले रहे थे, परन्तु सन् 1972 में भार्गव सभा के वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर स्मारिका के प्रकाशन में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप दिल्ली भार्गव सभा की कार्यकारिणी के सदस्य तथा उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। पिछले 20-22 वर्षों से केन्द्रीय भार्गव सभा के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। सन् 1985 में इलाहाबाद अधिवेशन के समय आप भार्गव पत्रिका सलाहकार समिति के सदस्य मनोनीत किये गए और आपके प्रयासों से पत्रिका के स्वरूप में काफी सुधार हुआ। सन् 1990-91 में आप समाज कल्याण उपसमिति के प्रधान के रूप में कार्य कर चुके हैं। जनवरी 1994 के अधिवेशन में आपका चयन प्रधान सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर हुआ। तब से मार्च 2009 तक आप इस पद पर सुशोभित रहे। इस दौरान सभा के प्रबन्धन एवं आर्थिक स्थिति में प्रशंसनीय परिवर्तन, सुधार एवं प्रगति हुई है।

दिसम्बर 2008 में आपको प्रधान चुना गया और लगातार 4 वर्ष (2009-10 से 2012-13) तक इस पद को शोभायमान किया।


इस सबके अतिरिक्त आप 'सरला श्रीराम भवन', 174, जोरबाग, नई दिल्ली के पूर्णरूपेण नवीनीकरण हेतु गठित कार्यान्वयन समिति के सदस्य हैं तथा अखिल भारतीय भार्गव सभा की 125वीं वर्षगाँठ आयोजन समिति के को-चेयरमैन हैं।





श्री सुरेश कुमार भार्गव, दिल्ली

प्रधान, अखिल भारतीय भार्गव सभा 2001-05



(जन्म 26.6.1952)

आपका जन्म 26.6.1952 को श्री ओंकार नाथ के यहाँ अलवर में हुआ। आपका विवाह श्री रमा शंकर (दिल्ली) की सुपुत्री श्रीमती नीरा के साथ 27.4.1980 को सम्पन्न हुआ। नीरा जी भी अपने पति की भाँति समाज सेवा में संलग्न हैं। आप महिला सभा दिल्ली की प्रधान रह चुकी हैं। वर्तमान में आप भार्गव सभा दिल्ली की प्रधान हैं व एक प्रमुख ज्योतिषाचार्या के रूप में प्रख्यात हैं जो इस कार्य में निःशुल्क सेवा देती हैं।

सुरेश जी स्नातक स्तर तक शिक्षा उत्तीर्ण कर विदेश चले गए थे। अनेक वर्षों तक वहाँ कार्य करने के उपरान्त दिल्ली आकर रियल एस्टेट कन्सलटेन्ट, प्रमोटर एण्ड डेवलेपर के रूप में विख्यात हुए। आप समाज में तन, मन, धन से सेवा करने के लिए सदैव अग्रणी हैं। आपने कई परिवारों को सहयोग एवं नौकरी दिलाकर अपने पैरों पर खड़ा कराया। दिल्ली यूथ कांग्रेस के उप-प्रधान रहकर अन्य क्षेत्र में भी सेवा की।

वर्तमान में आप कनु एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रवीर कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन हैं। एम.एन.सी. एट मिडिल एण्ड ईस्ट अफ्रीका में 1976 से 1986 तक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्जीक्यूटिव के पद पर भी आप आसीन रहे हैं। भार्गव सभा के 1995-2001 तक उप-प्रधान व 2001-2005 तक प्रधान रहे। आपके प्रयास व सूझबूझ के कारण सभा की सम्पत्ति के प्रबन्धन एवं रखरखाव में प्रशंसनीय सहयोग प्राप्त हुआ। आपके प्रथम प्रयासों के कारण 174, जोरबाग अब भार्गव सभा के पूर्ण अधिकार में है। आप ही की अध्यक्षता में 2004 में संविधान संशोधन कर पारित किया गया।

हरिद्वार अधिवेशन में आप चेयरमैन तथा 2006 दिल्ली अधिवेशन में आयोजन समिति के चेयरमैन तथा स्वागताध्यक्ष रहे। सेन्ट्रल प्रोपर्टी कमेटी के चेयरमैन एवं विभिन्न समितियों के सदस्य भी रहे हैं। 2004 से ढोसी मन्दिर में आपका प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग प्रशंसनीय है। आप ही के प्रयास से ढोसी मन्दिर के जीर्णोद्धार की 20 लाख रुपये से अधिक की योजना श्रीमती पुष्पा-नगेन्द्र प्रकाश (दिल्ली) के सौजन्य से कार्यरत है।

आपकी तीन पुत्रियाँ कु. सुनीला, कु. नुपूर, कु. पलक हैं।

आप 'सरला श्रीराम भवन', 174, जोरबाग, नई दिल्ली के पूर्णरूपेण नवीनीकरण हेतु गठित कार्यान्वयन समिति के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त आप अखिल भारतीय भार्गव सभा की 125वीं वर्षगाँठ आयोजन समिति के सदस्य हैं।

डॉ. रवि भार्गव, कोटा

प्रधान, अखिल भारतीय भार्गव सभा 2005-07

आपका जन्म 7.11.1943 को डॉ. शान्ति प्रसाद के यहाँ जयपुर में हुआ। आपके पिता अतिरिक्त पुलिस इन्स्पेक्टर जनरल राजस्थान रहे और आप ही ने 'भार्गव सभा का इतिहास' नामक पुस्तक की रचना की। डॉ. रवि का विवाह श्रीमती चन्द्रमोहिनी (सुपुत्री श्री विद्या चन्द्र प्रकाश, लखनऊ) के साथ





17.11.1967 को सम्पन्न हुआ। आपने MD, F.R.A.C. (Cardiology), Diploma in Hospital Admn. आदि की उच्च शिक्षा देश व विदेश से प्राप्त की और हार्ट स्पेशलिस्ट बनकर ख्याति प्राप्त की। समय-समय पर आपके शोधपत्र व चिकित्सा सम्बन्धी लेख विभिन्न समाचार-पत्रों एवं मैगजीन में प्रकाशित होते रहे। आपने अनक बार विदेश यात्रा कीं।



(जन्म 7.11.1943)

आप एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन्स इण्डिया (राजस्थान) के चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी इन्टरनेशनल, इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रधान, Worshipfull Master Masonic Lodge 243 Chapter तथा कोटा भार्गव सभा के प्रधान जैसे विभिन्न पदों पर आसीन रहे। रोटरी क्लब कोटा के माध्यम से 1996-97 में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, प्रान्त 3050 (राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश) निर्वाचित हुए। 50 वर्ष के हाडौदी रोटरी इतिहास में आप पहले गवर्नर बने।

टेनिस एण्ड बैडमिन्टन में मेडिकल कॉलेज के कप्तान रहे। राजस्थान स्टेट कान्ट्रेक्ट ब्रिज एसोसिएशन के 2003-05 में अध्यक्ष रहे। रोटरी इन्टरनेशनल सर्वोच्च पुरस्कार तथा शारदा शंकर सरन पुरस्कार से सम्मानित आपका कोटा में सामुदायिक भवन एवं होस्टल के निर्माण में विशेष योगदान दिया।

आपकी सुपुत्री श्रीमती शैफाली का विवाह श्री नीरज के साथ हुआ। पुत्र श्री शिखर (अमेरिका) का विवाह श्रीमती कविता (सुपुत्री कैप्टेन एस.पी. भार्गव, गुड़गाँव) के साथ हुआ।

आपके कार्यकाल में ही भार्गव सभा का 116वाँ वार्षिक अधिवेशन हरिद्वार में स्वयं भार्गव सभा ने आयोजित करके सभा की आय बढ़ाई।

समाज के प्रति लगन व सेवा को देखते हुए दिसम्बर 2004 कानपुर अधिवेशन में वर्ष 2005-2007 के लिये भार्गव बन्धुओं ने आपको भार्गव सभा का प्रधान चुना।

वर्तमान में आप ओल्ड एज होम उपसमिति के कोर्डिनेटर हैं। इसके अतिरिक्त आप अखिल भारतीय भार्गव सभा की 125वीं वर्षगाँठ आयोजन समिति के सदस्य हैं।

श्री प्रकाश नारायण भार्गव, लखनऊ

प्रधान, अखिल भारतीय भार्गव सभा 2007-09

आपका जन्म 18.6.1950 को लखनऊ के स्वतन्त्रता सेनानी श्री प्रेम नारायण के यहाँ हुआ। आपका विवाह श्रीमती कल्पना के साथ 16.1.1973 को हुआ। आप लखनऊ के प्रसिद्धि प्राप्त ऑफसेट प्रिंटर हैं। शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त छपाई को अपना व्यवसाय बनाने से पूर्व 16 वर्ष की अल्पायु में विदेश से भी उच्च शिक्षा ग्रहण कर आप यू.पी. के प्रथम प्रिंटिंग इंजीनियर बनकर लौटे।



(जन्म 18.6.1950)

1973 में प्रकाश पैकेजर्स की स्थापना की और आपने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की कि आपको साउथ एशिया प्रिंट कॉन्फ्रेंस के अवसर पर 1996 में 'एक्सीलेन्स इन प्रिंटिंग अवार्ड' द्वारा पुरस्कृत किया गया। प्रथम बार ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस पर हैण्डमेड कागज का सफल प्रयोग कर पर्यावरण के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किया।



अखिल भारतीय भार्गव सभा के गत 25 वर्षों (1990-2014) की गतिविधियाँ



तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा ने आपको इस कार्य के लिए सम्मानित किया। यू.एन.डी. प्रिंटिंग मण्डल में आप सदस्य के रूप में अमेरिका गए। आप लखनऊ भार्गव सभा, जेसीज, रोटरी, German Returnness आदि के अध्यक्ष रहे।

लखनऊ भार्गव सभा द्वारा आपको 'कुलभूषण अवार्ड', उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'लक्ष्मण मेला अवार्ड' तथा ऑल इण्डिया इन्टीलेक्चुअर कॉन्फ्रेंस द्वारा 'उत्तर प्रदेश रत्न अवार्ड' देकर सम्मानित किया गया। लखनऊ भार्गव सभा के आप उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष जैसे अनेक पदों पर रहे।

आप भार्गव सभा में उप-प्रधान तथा समन्वय उपसमिति, शिक्षा समिति के प्रधान तथा संविधान समीक्षा उपसमिति के उपाध्यक्ष, सांस्कृतिक उपसमिति के संयोजक, 116वें हरिद्वार अधिवेशन में प्रकाशित स्मारिका के संयोजक आदि पदों पर रहे। अनेक स्थानों पर भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाना, वंशावली पुस्तिका तथा स्मृति पुस्तिका का प्रकाशन, जनगणना, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, स्वास्थ्य परामर्श शिविर, वेबसाइट का पुनः संचालन उन्हीं के कार्यकाल की उपलब्धि है। समाज सेवा, लगन व आस्था के कारण ही दिसम्बर 2006 दिल्ली अधिवेशन में वर्ष 2007-09 के लिए आप भार्गव सभा के प्रधान निर्वाचित किये गए। आपके सुपुत्र श्री अमित-पुत्रवधू डॉ. प्रियंका (यू.एस.ए.) तथा सुपुत्री श्रीमती श्वेता-डॉ. देव (दिल्ली) में हैं।

आप 'सरला श्रीराम भवन', 174, जोरबाग, नई दिल्ली के पूर्णरूपेण नवीनीकरण हेतु गठित कार्यान्वयन समिति के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त आप अखिल भारतीय भार्गव सभा की 125वीं वर्षगांठ आयोजन समिति के मुख्य संयोजक हैं।

श्री सुरेन्द्र नाथ भार्गव, जोधपुर

वर्तमान प्रधान, अखिल भारतीय भार्गव सभा (2013 से)



(जन्म 11.8.1947)

11 अगस्त 1947 को जोधपुर (राजस्थान) में जन्में स्व. श्री बैनी प्रसाद भार्गव एवं स्व. श्रीमती शान्ति देवी के परिवार में 10 भाई व बहनों में सातवें नम्बर पर थे। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा जोधपुर में ही हुई तथा उच्च अंकों के आधार पर आपको देश की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान बिड़ला इस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस, पिलानी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश मिला। 1968 में इंजीनियरिंग के पश्चात् 1974 तक आपने बंगाल पेपर मिल, रानीगंज के विभिन्न विभागों में सेवाएँ दीं।

प्रारम्भ से ही उनका लक्ष्य अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करना था, जिसे आपने लाइमस्टोन खनन, उच्च गुणवत्ता का लाइम व हाइड्रेटेड लाइम उत्पादन व वितरण के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हुए प्राप्त किया। वर्तमान में आप सिग्मा मिनरल्स लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक हैं जो एक अति प्रतिष्ठित ISO 9001 तथा ISO 14001 सर्टिफाइड कम्पनी है।

व्यवसायिक प्रगति के साथ ही आप समाज सेवा में निरन्तर गतिशील रहे। रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर, जोधपुर इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन एवं अनेक शिक्षण संस्थानों के अध्यक्ष तथा राजस्थान लाइम



मेन्यूफेक्चरर्स एसोसिएशन के फाउण्डर अध्यक्ष के साथ-साथ अनेक सामाजिक संस्थाओं में महती भूमिका निभा रहे हैं।

अनेक वर्षों तक जोधपुर भार्गव सभा के अध्यक्ष रहते हुए पिछले बीस वर्षों से अखिल भारतीय भार्गव सभा में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए 2013-15 में आप प्रधान के रूप में कार्य कर रहे हैं। इन दो वर्षों में एक नई उर्जावान टीम का नेतृत्व करते हुए अनेक दानवीरों द्वारा समाज को दी गई भूमि पर निर्माण कार्य करवाया जिसमें से एक बहुमंजिला भवन 174 जोरबाग, दिल्ली एवं सामुदायिक एवं व्यवसायिक भवन, रेवाड़ी का निर्माण प्रमुख हैं। भार्गव आश्रम हरिद्वार को एक अति-आधुनिक पूर्ण रूप से सुसज्जित करते हुए नवीनीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अखिल भारतीय भार्गव सभा के विभिन्न सामाजिक दायित्वों के निर्वहन हेतु आवश्यक स्थायी आर्थिक स्रोतों का सृजन करने एवं सांस्कृतिक उत्थान व उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ाना आपका ध्येय रहा है।

निवास:- डी-1 कमला नेहरू नगर प्रथम विस्तार, जोधपुर-342009, फोन:- 0291-2750686, मोबाइल: 09314709331, ई-मेल: bhargavasurendra@yahoo.co.in

श्री हीरेन्द्र नाथ भार्गव, गुड़गाँव

वर्तमान प्रधान सचिव, अखिल भारतीय भार्गव सभा (2009 से)

मथुरा में 30 जुलाई 1949 को जन्में स्व. पं. कैलाश नाथ एवं स्व. श्रीमती राजेश्वरी देवी भार्गव के चार पुत्र एवं एक पुत्री में सबसे छोटे पुत्र हैं। आपके परिवार में तीन बड़े भाई - श्री रवीन्द्रनाथ, श्री राजेन्द्रनाथ, श्री वीरेन्द्रनाथ का परिवार 'भार्गव गली' मथुरा में रहते हैं तथा बड़ी बहन श्रीमती पुष्पा तथा बहनोई श्री वीरेन्द्रनाथ गुड़गाँव में ही रहते हैं। आपकी माता आपको 4 वर्ष की अल्प आयु में छोड़कर स्वर्गवासी हो गयी थीं। आपकी 12वीं कक्षा तक की शिक्षा किशोरी रमण इण्टर कॉलेज मथुरा में हुई तथा बी.एस-सी. की डिग्री वर्ष 1967 में धर्म समाज कॉलेज अलीगढ़ से अपने मामा स्व. दीनानाथ एवं स्व. डॉ. ऊषा भार्गव के पास रहकर प्राप्त की। तकनीकी शिक्षा में B.Tech.



(जन्म 30.7.1949)

(Oil Technology) की डिग्री वर्ष 1970 में Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur से प्राप्त की। आपका विवाह श्रीमती अल्का भार्गव (सुपुत्री स्व. रायहरी प्रसाद एवं स्व. श्रीमती पुष्प मालती भार्गव) परभनी (महाराष्ट्र) के साथ 1 मार्च 1979 में हुआ। आपकी दो पुत्री एवं दामाद - श्रीमती ऐश्वर्या-डॉ. अवनीश दिल्ली में तथा श्रीमती यामिनी-श्री अविजित हैदराबाद में निवास कर रहे हैं। आपकी दोनों पुत्रियों से तीन नाती - चिन्मय, प्रगनय एवं अगस्तय हैं। आपकी धर्मपत्नी एम.ए. (हिन्दी) होने के साथ आपकी दोनों पुत्रियों ने एम.बी.ए. तक शिक्षा प्राप्त की। कोलकाता में आप वनस्पति तेल उद्योग की दो कम्पनियों में 8 वर्ष तक कार्यरत रहे। उसके पश्चात् मध्य प्रदेश में रायपुर के पास तेल उद्योग में Production Manager के पद पर रहे तत्पश्चात् भारत सरकार के निदेशालय में मई 1981 से जुलाई 2009 तक कार्य करते रहकर सहायक निदेशक (Class-I) के पद से सेवानिवृत्त

अखिल भारतीय भार्गव सभा के गत 25 वर्षों (1990-2014) की गतिविधियाँ (71)

हुए। कोलकाता की नौकरी के साथ एक साल का PGDBIM का कोर्स वर्ष 1976 में कोलकाता से किया।

कानपुर में तकनीकी पढ़ाई के समय से कानपुर भार्गव सभा की बैठकों में जाते थे तथा कोलकाता में युवा संघ व भार्गव सभा से जुड़े रहे तथा सरकारी नौकरी के दौरान नागपुर, गुड़गाँव, अहमदाबाद में रहकर सभाओं में सक्रिय योगदान देते रहे। वर्ष 1992 से वर्ष 2000 तक गुड़गाँव भार्गव सभा के सचिव तथा वर्ष 2005-07 में प्रधान रहे। गुड़गाँव भार्गव सभा द्वारा अखिल भारतीय भार्गव सम्मेलन के अधिवेशन 1996 के आयोजन सचिव रहे। सभा की समाज कल्याण समिति के 1997-2003 तक सचिव रहे। समाज कल्याण समिति द्वारा सर्वप्रथम वर्ष 1998 में 'वृद्धजन सम्मान' का कार्यक्रम इन्दौर से प्रारम्भ कराया। वर्ष 1998 से 2007 तक 10 वर्ष अधिवेशन आयोजन उपसमिति के सचिव रहे। आपने वर्ष 1998 में अधिवेशन आयोजन हेतु मार्गदर्शिका बनाई। सचिव पद पर रहकर विभिन्न शहरों - इन्दौर, कोटा, मथुरा, आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद, कानपुर में अधिवेशन आयोजन में तन-मन-धन से समर्पित होकर कार्य किया।

समाज कल्याण समिति के सचिव के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2002 में विवाह रीति संग्रह का संशोधित संस्करण 20 वर्ष के अन्तराल के बाद प्रकाशित करवाया। वर्ष 2005-2007 में अखिल भारतीय भार्गव सभा के एक सचिव रहे। सभा के कार्यों के प्रति आपका लगाव तथा जुड़ाव लगभग 40 वर्षों से विभिन्न स्थानीय सभाओं के माध्यम से रहा है।

वर्तमान में 6 वर्ष (2009-2015) तक आप अखिल भारतीय भार्गव सभा के प्रधान सचिव पद पर कार्यरत हैं तथा समाज के प्रति समर्पित होकर तन-मन-धन से समाज सेवा में कार्यरत हैं तथा बखूबी अपने दायित्व को पूरी क्षमता के साथ निभा रहे हैं। आपके कार्यकाल में अखिल भारतीय भार्गव सभा ने विभिन्न क्षेत्रों में चहुँमुखी प्रगति की है।

आपका परिवार छोटा परिवार-सुखी परिवार की परिभाषा में विश्वास रखते हुए समाज के प्रति समर्पित है।

सम्पर्क: 1021, सैक्टर-14, गुड़गाँव-122001, दूरभाष: 0124-4083920, मो.: 09811009294,
ईमेल: herendra_bhargava@rediffmail.com



वर्ष 2014

20.4.2014 को ग्वालियर की कार्यकारिणी में 125वीं वर्षगाँठ आयोजित समिति की बैठक में श्री विजय नारायण ने समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के सामने प्रस्ताव रखा कि इस 125वें वर्ष में समाज के सम्भ्रान्त परिवार, कम से कम 2 से 4 बच्चे, जो गरीब परिवार से हों और पढ़ना चाहते हों, उन्हें पढ़ाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी लें।

सभा के 125वें वर्ष के अवसर पर एक करोड़ रुपये की निधियाँ समाज के कमजोर एवं जरूरतमन्द परिवारों की सहायता हेतु बनाने के आह्वान पर सभा के इतिहास में प्रथम बार लगभग 23 लाख रुपये से अधिक की निधियाँ गठित हो गयी हैं, जिसमें श्री मनमोहन कुमार, श्री विजय नारायण, जस्टिस सुरेन्द्र नाथ और श्री ओम प्रकाश (ओमी जी) द्वारा 174, जोरबाग को दिये गए पाँच-पाँच लाख रुपये के ऋण एवं उस पर वर्षों से अर्जित ब्याज समेत निधियाँ बनाने की घोषणा की।

समिति के चेयरमैन डॉ. ऋषि भार्गव ने विभिन्न कार्यों हेतु वर्तमान एवं पूर्व सभा के पदाधिकारियों तथा अन्य सभी से निश्चित योगदान की अपेक्षा की। इस योजना के अन्तर्गत डॉ. ऋषि ने 50,000 रुपये, डॉ. सुधा भार्गव ने 20,000 रुपये का चेक देकर श्रीगणेश किया। सचिव श्री संजय ने 20,000 रुपये देने की घोषणा की। जस्टिस सुरेन्द्र नाथ गत अक्टूबर 2013 में दो लाख रुपये आयोजन हेतु दे चुके हैं। इस वर्ष निम्न निधियों का भी गठन किया गया।

1. स्व. श्री कुन्दन लाल-स्व. श्रीमती गुलाब देवी (चिकित्सा निधि) - राशि रुपये 51,000
2. श्रीमती सुशीला भार्गव-प्रो. कुन्दन लाल भार्गव, जयपुर (पुरस्कार निधि) - राशि रुपये 1,00,000
3. स्व. श्याम सुन्दर-स्व. श्रीमती सुशीला भार्गव, दिल्ली (छात्रवृत्ति निधि) - राशि रुपये 50,000
4. स्व. कामना प्रसाद-श्रीमती सुशीला भार्गव, नई दिल्ली (चिकित्सा निधि) - राशि रुपये 25,000
5. स्व. श्रीमती मंजू भार्गव, पत्नी श्री कपिल भार्गव, अहमदाबाद (बालिका छात्रवृत्ति निधि) - राशि रुपये 50,000

बैठक में अखिल भारतीय भार्गव महिला सभा की वर्तमान दो दावेदारों को मिलाने हेतु श्रीमती रजनी (आगरा), श्रीमती सरोज (अलवर) तथा श्रीमती नीरा (दिल्ली) को दोनों पक्षों से विचार-विमर्श करने का कहा।

सभा द्वारा लाभान्वित सभी परिवारों को निःशुल्क भार्गव पत्रिका मिले, इसके लिये डॉ. ऋषि भार्गव ने 51,000 रुपये की एक निधि बनाई है ताकि उससे अर्जित ब्याज से उन परिवारों को पत्रिका भेजी जा सके।

श्रीमती पुष्पा-श्री नगेन्द्र प्रकाश (दिल्ली) ने अपने सुपुत्र की स्मृति में ढोसी मन्दिर के रखरखाव हेतु 25 लाख रुपये की 'शिखर-ओम ढोसी मन्दिर निधि' का गठन किया। श्रीमती सुलभा-श्री रमेश कुमार इन्दौर (चिकित्सा निधि) राशि रुपये 1,50,000/- का गठन किया गया।

योजनानुसार 125वें वर्ष के प्रारम्भ से एक करोड़ की निधियाँ स्थापित हो चुकी हैं।

हिन्दू हाई स्कूल, जो 5,000 वर्ग गज भूमि पर है, का अदालत के आदेशानुसार सभा ने कब्जा प्राप्त कर लिया है, 18,000 वर्ग गज का सर्वे करा लिया है।

भार्गव पत्रिका में 1.4.2014 से विज्ञापन दरें बढ़ा दी गई हैं।





31.7.2014 को मथुरा के परिवार की बच्ची की तबीयत अचानक अत्यन्त खराब होने के कारण डॉ. दिनेश भार्गव (अपोलो) व डॉ. अवनीश भार्गव (दीनदयाल हॉस्पिटल) से सलाह के उपरान्त बच्ची का महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, दिल्ली में ऑपरेशन कराना पड़ा। आपातकालीन स्थिति में भार्गव सभा, वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं मथुरा भार्गव सभा के प्रयासों से 1.50 लाख रुपये के इन्तजाम से सब कुछ ठीक हो गया। ऐसी परिस्थिति से निबटने के लिये 'आपातकालीन सहायता कोष' बनाने का निर्णय लिया गया।

तारा संस्थान के मुख्य संरक्षक श्री नगेन्द्र प्रकाश भार्गव (मिडलैण्ड) ने अपने स्व. सुपुत्र श्री शिखर भार्गव की स्मृति में शिखर भार्गव पब्लिक स्कूल का शुभारम्भ 3.7.2014 को हुआ। आठ हजार रुपये देकर एक वर्ष के लिये एक बच्चे की सहायता कर सकते हैं।

जरूरतमन्द, असहाय विधवाओं को वर्तमान सभा अपनी समिति से 1,500 रुपये प्रति माह दे रही है। इसे बढ़ाने के लिये श्री मुकुल भार्गव, सी.ए. कानपुर ने एक प्रस्ताव रख इस योजना का नाम 'आपका सहयोग - आप सभी का सहयोग' रखा है। इसके अन्तर्गत 125वें वर्ष पर 125 सदस्य एक-एक हजार रुपये प्रति माह दान दें।

राष्ट्रीय भार्गव महिला सभा का पंजीकरण 11.8.2014 को हो गया।

15-17 नवम्बर, 2014 को रक्तदान शिविर, देहदान, अंगदान व निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाने का भी निर्णय लिया गया है।

तलाक, परिवार का विघटन आदि समस्याओं को रोकने के लिये यानी आए दिन बढ़ती दाम्पत्य समस्याओं पर विशेषज्ञ के तत्वावधान में कार्यशाला का आयोजन 16.11.2014 को उदयपुर में सम्पन्न होगा।





मान-सम्मान एवं पुरस्कार

बन्धुओं ने अपने प्रियजनों की स्मृति में सभा के आरम्भ से अब तक कुल 322 निधियाँ स्थापित की हैं। यह निधियाँ कभी भी समाप्त नहीं होती हैं, क्योंकि इनकी राशि को कभी भी खर्च नहीं किया जा सकता है। सभा तो केवल निधि से अर्जित ब्याज को ही प्रति वर्ष निधियों के उद्देश्य हेतु खर्च करती है। उपरोक्त 322 निधियों में पुरस्कार व सम्मानार्थ बनायी गयी कुल 50 (भार्गव सभा की छोड़कर) निधियाँ हैं। इन निधियों की कुल राशि 1.4.2013 को 20,92,500 रुपये है।

हमारे भार्गव समाज के गणमान्य तथा विशेष उपलब्धि प्राप्त जाति बन्धुओं को, जिन्होंने अपने कार्य-कलापों से समाज अथवा देश-विदेश में अपना विशेष स्थान बनाया है तथा भार्गव जाति का गौरव बढ़ाया है, अखिल भारतीय भार्गव सभा वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर सम्मानित करती है। विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर से 30 सितम्बर तक प्राप्त उपलब्धि पर पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। विशेष परिस्थिति में गत वर्षों में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्तकर्ताओं पर भी विचार किया जाता है।

सभी विवरण अखिल भारतीय भार्गव सभा के कार्यालय में अन्तिम निर्धारित तिथि 15 अक्टूबर तक निर्धारित प्रपत्र पर प्राप्त हो जाने चाहिये।

इसके अतिरिक्त जिन बच्चों/बन्धुओं का प्रदर्शन तो उत्तम है, परन्तु किसी और के प्राप्तांक अथवा उपलब्धियाँ उससे भी अधिक हैं, तब कम उत्तम वालों को भी भार्गव सभा उनकी उपलब्धि की सराहना करते हुए 'भार्गव सभा विशेष पुरस्कार' देती है। समस्त पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को स्मृति चिह्न व प्रशस्ति पत्र देकर वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर सम्मानित किया जाता है और उन सबके विवरण मय रंगीन चित्र के एक फोल्डर व भार्गव पत्रिका में प्रकाशित किये जाते हैं। इस पर प्रति वर्ष लगभग 2 लाख रुपये का व्यय होता है जो निधियों से प्राप्त ब्याज व सभा द्वारा व्यय किया जाता है। समस्त मान-सम्मान व पुरस्कारों की सूची निम्न प्रकार से है:-

Akhil Bhartiya Bhargava Sabha (Regd.)

Detailed List of Maan-Samman & Puraskar

Sl. No.	Nidhi Name (Year of Establishment), Nidhi Amount & (Award Value)	Puraskar / Award Criteria
1.	Smt. Shakuntala-Sunderlal Bhargava (Delhi) Puraskar (1981), Rs.10,000/- (Rs.800/-)	1. Winner in National Level Sports . Represented State in National Meet. Recognised by State or National Body.
2.	Shri Raghav Nath Bhargava (Delhi) Puraskar (1988), Rs.25,000/- (Rs.2,000/-)	Attained position as V.C. of any recognised University OR Director of National/State Level Body in Education/Research or Industry.
3.	Shri Prithvi Nath Bhargava (Delhi) Puraskar (1989), Rs.15,000/- (Rs.1,200/-)	Best Meritorious Performance in International Level Sports . Recognised by State or National Sports Council





<i>Sl. No.</i>	<i>Nidhi Name (Year of Establishment), Nidhi Amount & (Award Value)</i>	<i>Puraskar / Award Criteria</i>
4.	Smt. Bhuvaneshwari Devi–Parmeshwar Nath Bhargava (Jaipur) Puraskar (1989), Rs.25,000/- (Rs.2,000/-)	1. Meritorious position in the field of medicine incld. Biotech./B.Pharma. 2. State/National Award in the field of medicine or science related subject.
5.	Dr. Sudha–Dr. Rishi Bhargava (Jaipur) Puraskar (1991), Rs.25,000/- (Rs.4,000/-)	University : 1. Maximum marks in one or more subjects in any examination of M.B.B.S., BDS, MDS, 2. 1 st Position in Central/State Pre-P.G. allotment, 3. D.N.B., M.C.H., Ph.D., D.M. in medicine.
6.	Smt. Sharda Shanker Saran (Kota) Puraskar (1992), Rs.35,000/- (Rs.2,800/-)	International achiever/internationally paper presented in a recognized international platform in Any discipline
7.	Shri Suresh Chandra Bhargava (Rewari) Puraskar (1993), Rs.10,000/- (Rs.800/-)	Best Meritorious Performance in State Level Sports . Recognised by State or National Sports Council
8.	Smt. Sarbati Devi–Jagat Narayan Bhargava (Bikaner) Puraskar (1995), Rs.11,001/- (Rs.880/-)	State : Highest Marks in Class-XII examination of Higher Secondary Education Board of Rajasthan, Ajmer
9.	Smt. Kamla Devi–Harihar Lal (Gurgaon) Puraskar (1995), Rs.25,000/- (Rs.2,000/-)	Meritorious Persons in Higher Education Examinations for Chartered Accountants & Company Secretary.
10.	Shri Parmeshwari Dayal–Smt. Indra Devi (Faridabad) Puraskar (1996), Rs.10,000/- (Rs.800/-)	Bringing Laurels to community by getting a national award (other than sports) किसी भी ऐसे कार्य से जिससे जाति का गौरव बढ़ा हो
11.	Smt. Gyanwati–Late Nand Kishore Bhargava (Lucknow) Puraskar (1997), Rs.10,000/- (Rs.800/-)	State : Special Achievements for the community by getting state level award in any fields (other than sports)
12.	Smt. Shanti Devi–Ganeshi Lal Bhargava (Jaipur) Puraskar (1998), Rs.11,000/- (Rs.880/-)	(State or National or International): Special Achievements in Medicine, Engineering, Chartered Accountancy & Computer Science.
13.	Dr. Murari Lal Bhargava (Delhi) Puraskar (1999), Rs.50,000/- (Rs.4,000/-)	Any level : Special Achievements in Education (M.Ed., M.Phil., Ph.D.) in any subject.
14.	Dr. Atri-Prabha Bhargava (Agra) Puraskar (2002), Rs.25,000/- (Rs.2,000/-)	National : Highest grade (SA) in Science with (SA) overall grade in Class X
15.	Dr. Atri-Prabha Bhargava (Agra) Puraskar (2002), Rs.25,000/- (Rs.2,000/-)	National : Highest marks in Physics in Class XII
16.	Shri Parmanand-Smt. Sheela Rani Bhargava (Kolkata) Puraskar (2002), Rs.31,000/- (Rs.2,480/-)	Winner in the Cultural Programme at ABBS Adhiveshan in different events. (to be clubbed with Mahila Bhargava Sabha Awards)
17.	Smt. Shanti Devi–Triloki Nath (Saharanpur) Puraskar (2003), Rs.10,000/- (Rs.800/-)	National : To be awarded MBBS passed student admitted in P.G. Degree (Medical) . Preference to girls.





<i>Sl. No.</i>	<i>Nidhi Name (Year of Establishment), Nidhi Amount & (Award Value)</i>	<i>Puraskar / Award Criteria</i>
18.	Late Shri Gajendra Nath (Jaipur) Puraskar (2003) , Rs.12,600/- (Rs.1,000/-)	Any level : Special Achievements in Computer Engineering .
19.	Late Chandra Prakash-Smt. Nirmala Bhargava (Neemuch) Puraskar (2004) , Rs.11,000/- (Rs.880/-)	Highest grade points in Class X, preference to Madhya Pradesh
20.	Smt. Vidhyawati (Gulab)-Shameshwar Sahai (Rewari) Puraskar (2004) , Rs.25,000/- (Rs.2,000/-)	Highest aggregate marks in Class XII, from any Board other than, Rajasthan Board
21.	Pt. Mukut Bihari Lal Bhargava (Ajmer) Vidhi Puraskar (2005) , Rs.51,000/- (Rs.4,000/-)	National : 1. On being selected in Supreme Court, High Court or the State Judicial Service , 2. For special achievement in Law Exam. , 3. On getting special appointment by virtue of education in law.
22.	Smt. Shiv Kumari-Shri Om Prakash Nidhi (Kishangarh) Puraskar (2005) , Rs.25,000/- (Rs.2,000/-)	National : Outstanding Social Service in our Bhargava community
23.	Late Narayan Swaroop Bhargava (Dhaulpur) Puraskar (2006) , Rs.51,000/- (Rs.4,000/-)	National : Highest marks in Engineering (B.E./B.Tech.) in Final (VIIIth Semester)
24.	Shri Kailash Nath-Smt. Basant Kumari Bhargava Smriti Puraskar Nidhi Delhi (2006) , Rs.1,00,000/- (8,000/-)	State/National/International : 1. Honoured by a reputed institution in the field of Industry and Business. 2. Attaining a high position in Central or State Govt. service in the field of Administration/ Revenue/Judiciary/Armed Services. 3. Important achievement leaving distinctive marks through self made efforts in the field of Industry and Business.
25.	Smt. Kusum-Shri Kailash Bhargava Samman Nidhi, Bikaner (2006) , Rs.25,000/- (Rs.2,000/-)	To the oldest male or female member (seniority on the basis of duly certified birth date) OR Longest surviving Couple , (seniority of awardees should be decided on the basis of date of marriage)
26.	Late Nanni Devi-Late Narayan Swaroop Bhargava (Dhaulpur) Puraskar (2007) , Rs.51,000/- (Rs.4,000/-)	For being conferred Ph.D. degree in Physics or any Engineering faculty .
27.	Shri Uma Shanker-Smt. Sharda Bhargava (Jaipur) Puraskar (2007) , Rs.1,00,000/- (Rs.8,000/-)	To student (female) for scoring highest marks overall in all VIII semesters in engineering examination.
28.	Late Har Kishore-Smt. Shanti Devi (Ajmer) Puraskar (2008) , Rs.25,000/- (Rs.2,000/-)	Highest grade points (SA) in Maths in class Xth of Rajasthan Board
29.	Shri Mathura Prasad - Smt. Prakash Bhargava (Alwar) Puraskar (2008) , Rs.25,000/- (Rs.2,000/-)	Achievement in Management course from a reputed B School or achiever in Exports
30.	Late Sohan Lal-Late Smt. Ratan Devi Bhargava (Alwar) Puraskar (2008) , Rs.25,000/- (Rs.2,000/-)	Associated with Bhargava Patrika with maximum number of articals being published during the year related to religion OR education





<i>Sl. No.</i>	<i>Nidhi Name (Year of Establishment), Nidhi Amount & (Award Value)</i>	<i>Puraskar / Award Criteria</i>
31.	Smt. Pushpa - Shri Dayashanker Bhargava (Jaipur) Puraskar (2008), Rs.25,000/- (Rs.2,000/-)	Being recognized for doing substantial work in remembering Hemu OR highlighting the cause of any ancestors of the community
32.	Shikhar Bhargava Memorial Samman (Delhi), (2008) Rs.3,50,000/- (Rs.28,000/-) 1. Became Head of any organisation with Turn over of Rs. 500 Crore or more. 2. M.D. / C.E.O./Chairman of any autonomous body or Government organisation. 3. Elevated to the position of Secretary at Central Government or Chief Secretary at State level. 4. Chief Justice of High Court or Judge of Supreme Court. 5. Outstanding contribution in research and development in any field at National or International level. 6. Any Achievement comparable to above	National : To the person (preferably between 50 & 65 years) for outstanding achievement in any walk of life. (<i>continued</i>)
33.	Shikhar Bhargava Memorial Puraskar (Delhi), (2008) Rs.2,50,000/- (Rs.20,000/-) 1. Governance of a Limited Company or a Private Limited company., 2. Should have succeeded in turning a sick unit incurring losses for three or more years into a nett profit earner for at least three subsequent years, 3. The unit should have achieved growth rate of 25% or more consecutively for at least three years. (Note: Minimum turnover of the unit should be Rs 5 crore P.A. applicable for above 3 categories), 4. The entrepreneur should have contributed by way of any innovative idea or innovation in product development/processes development or succeeded in procuring patent/s.	National : The person (preferably 40 years or less) should have excelled in any one or more of the following areas and should preferably be a first generation entrepreneur in his field. (<i>continued</i>)
34.	Shri Kapil–Smt Sudha Bhargava Puraskar Nidhi Alwar (2009), Rs.25,000/- (Rs.2,000/-)	National/International : Recognised for outstanding work on Indian Culture , promoting of our religious and moral values, customs & the culture of our society etc. Special emphasis to NRI's in promoting all these values in their place of residence.
35.	Smt Kusum–Capt Kedarnath Bhargava Puraskar Nidhi (2009), Rs.25,000/- (Rs.2,000/-)	Attaining Degree in Physiotherapy , getting Commissioned in the Army
36.	Late Shri Dwarka Nath Puraskar Nidhi (Roorkee) (2009), Rs.25,000/- (Rs.2,000/-)	Highest Marks in Maths class XIIth of CBSE Board
37.	Shri Satya Prakash Bhargava S/o Shri Narayan Swaroop (Dhaulpur) Puraskar (2009), Rs.25,000/- (Rs.2,000/-)	Highest marks in class XIIth History (Humanities) or Commerce (Buisness Studies)
38.	Late Smt. Krishna Memorial (Kolkata) Puraskar (2010), Rs.25,000/- (Rs.2,000/-)	जरूरतमन्द मेधावी छात्र जिसने प्रतिकूल परिस्थितियों में रुचि लेकर अपनी 10वीं या 12वीं कक्षा की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो
39.	Late Smt. Kalawati–Late Shiv Dayal Bhargava (Lucknow) Smriti Puraskar (2010), Rs.50,000/- (Rs.4,000/-)	To reward student of B.Arch. specilizing in Town Planning, Urban Planning and Land scaping.





<i>Sl. No.</i>	<i>Nidhi Name (Year of Establishment), Nidhi Amount & (Award Value)</i>	<i>Puraskar / Award Criteria</i>
40.	Smt Radharani- Shri Prayag Narain Bhargava (Agra) Smriti Puraskar (2010), Rs.30,000/- (Rs.2,400/-)	Bringing Laurels by serving towards our community / किसी भी ऐसे कार्य से जिससे जाति का गौरव बढ़ा एवं अपने समाज के हित में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो
41.	Shri Kishori Raman and Smt. (Late) Raj Dulari (Jaipur) Puraskar (2011), Rs.2,00,000/- (Rs.16,000/-)	जरूरतमंद मेधावी छात्राओं को इंजीनियरिंग अथवा मेडिकल शिक्षा हेतु प्रवेश पाने पर पुरस्कारस्वरूप दी जायेगी।
42.	Smt. Gayatri–Late Satya Narain (Delhi) Puraskar (2011), Rs.51,000/- (Rs.4,000/-)	बैंकिंग क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त व्यक्ति को पुरस्कृत करने हेतु
43.	Late Shri Bhupendra–Smt. Brij Rani (Rewari) Puraskar (2011), Rs.1,00,000/- (Rs.8,000/-)	For honoring a member of the community who excels in the field of research in Bhargava Heritage.
44.	Smt. Preeti–Shri Dinesh Bhargava (Alwar) Puraskar (2012), Rs.25,000/- (Rs.2,000/-)	Highest marks in Class XIIth of ICSE Board
45.	Late Shri Om Prakash–Smt. Indu Bhargava (Delhi) Puraskar (2012), Rs.25,000/- (Rs.2,000/-)	ढोसी मन्दिर या समाज के नाम को रोशन करने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत करने हेतु
46.	Smt. Uma–Late Shri Baijnath Puraskar Nidhi (Ajmer) (2013), Rs51,000/- (Rs.4,000/-)	Highest marks in Class XIIth in Science Stream (Physics, Chemistry and Mathematics / Biology)
47.	Smt. Santosh–Shri Bal Krishna Bhargava (Delhi) Samman (2013), Rs.30,000/- (Rs.2,400/-)	Meritorious student in the field of Journalism & Mass Communication/Fashion Technology/ Designing
48.	Late Smt. Vimla Devi–Late Shri Shyam Sunder Bhargava (Chandausi) Puraskar (2013) Rs.1,25,000/- (Rs.10,000/-)	National/International achiever in Software / Hardware development or being achiever in fashion technology / designing.
49.	Smt. Sushila Bhargava - Prof. Kundan Lal Bhargava (Jaipur) Puraskar (2013) Rs.1,00,000/- (Rs.8,000/-)	To be awarded to 1 male & 1 female student being admitted to an IIT / NIT through JEE / AIEEE with high ranking & also scoring highest marks in class XIIth mathematics.
50.	Smt. Kamlesh Bhargava - Shri Munni Lal Bhargava (Jaipur) Puraskar (2014) Rs.51,000/- (Rs.4,000/-)	To a student (male) for scoring highest marks (aggregate) in final year in any engineering discipline.
51.	Late Priyank Bhargava Memorial Award, Kanpur (2013) Rs.1,00,000/- (Rs.8,000/-)	Best prolific all rounder student (school / college) achievements in music, sports, arts and academic.
52.	Bhargava Sabha Puraskar	State/National (Competitions, Debating, Music, Dance & other Arts etc)
53.	Bhargava Patrika Puraskar	For Promoting the cause of Patrika by inducting new ' Deposit Scheme ' subscribers / advertisements





सभा में स्थापित निधियाँ

आज से अनेक वर्ष पूर्व समाज के शुभ-चिन्तकों, हितैषियों, बुद्धिजीवियों व दानदाताओं ने कुछ विशेष उद्देश्यों व कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु नाना प्रकार की स्थायी निधियाँ व कोष स्थापित किये और उनके दिशानिर्देश एवं सुविधाएँ प्रदान करने के कारण भार्गव समाज सुशिक्षित, सम्पन्न व सभ्य समाजों में माना जाता है।

यह सर्वविदित है कि सभा की आय का मुख्य स्रोत निधियों पर अर्जित ब्याज या प्रोपर्टी से अर्जित आय व अन्य दान हैं। गत 25 वर्षों में महँगाई बढ़ जाने के कारण दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में 10 गुना वृद्धि करनी पड़ी है जो महँगाई को देखते हुए काफी कम है, जिसके लिये सभा को अफसोस व दुःख है। वैसे सभा अपनी आय का अधिकतर भाग समाज कल्याण व शिक्षा पर ही खर्च करने का प्रयास कर रही है, चाहे दूसरे मद से धन लेना पड़े।

विभिन्न कार्यों हेतु अब तक की स्थापित निधियों की संख्या व उनकी कुल राशि पर कुछ अन्तराल पर दृष्टिपात करें:-

क्र. निधियों का उद्देश्य सं	1989-90		2004-05		2012-13		2013-14	
	निधियों की संख्या	निधियों की राशि	निधियों की संख्या	निधियों की राशि	निधियों की संख्या	निधियों की राशि	निधियों की संख्या	निधियों की राशि
1. समाज कल्याण निधि			38	673,742	65	2,297,842	68	2,743,842
2. समाज कल्याण एवं शैक्षणिक निधि			12	88,221	15	169,222	15	169,222
3. शिक्षा छात्रवृत्ति निधि			62	734,584	79	3,489,179	86	5,016,179
4. चिकित्सा एवं तकनीकी शिक्षा निधि	104	641,381	16	437,691	44	7,848,551	44	8,964,309
5. चिकित्सा सहायता निधि			07	44,001	16	1,526,391	22	3,277,391
6. सभा कार्यों हेतु निधि			09	69,848	09	69,848	09	69,848
7. विविध कार्यों हेतु निधि	03	18,000	26	2,277,970	39	3,397,181	44	3,546,277
8. स्थायी कोष	01	83,000			06	159,020	06	159,020
9. पुरस्कार निधि			21	355,000	46	2,092,500	50	2,523,500
10. श्रीमन नारायण कोष निधि					06	304,500	09	555,501
11. सरला श्रीराम निधि					01	1,577,208	01	1,577,208
12. स्थायी कोष समाज	01	17,000						
योग	109	759,381	191	3,981,017	326	22,931,442	354	29,052,297

प्रायः सभी स्थापित निधियों से विशेष रूप से कमजोर व जरूरतमन्द व शिक्षा पर ब्याज से अर्जित आय से कहीं अधिक खर्च सभा कर रही है। समाज हितैषी अपने प्रियजनों की स्मृति को चिर-स्थायी बनाने हेतु सभा के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अपनी इच्छानुसार निधि स्थापित करते हैं और सभा की वित्तीय स्थिति को दृढ़ करते हैं ताकि सभा समाज के कमजोर वर्ग की सहायता कर सके। यह स्थापित निधियाँ कभी समाप्त नहीं होती हैं केवल इसका ब्याज ही सभा खर्च करती है। ऐसा होने से निधि स्थापित करने वाले प्रियजन की स्मृति सदैव के लिये अमर बनाते हैं। गत 25 वर्ष (1989 से 31 मार्च 2014 तक) कुल 245 नई निधियों का गठन हुआ जिनकी कुल राशि रु. 2,90,52,297 है।





भार्गव आश्रम व गंगा आश्रम प्रबन्ध समिति

(1) भार्गव आश्रम, हरिद्वार

यह रामलीला मैदान, बिरला रोड पर स्थित है। इसका निर्माण 1938 में हुआ। उस समय ठहरने के लिये निःशुल्क व्यवस्था थी किन्तु सुविधाएँ नाममात्र को थीं, पर जो भी थीं, वह समयानुसार काफी व सन्तोषप्रद थीं। उस समय श्री मनोहर लाल भार्गव हरिद्वार यूनिनयन म्यूनिसिपल बोर्ड के सचिव थे। वह हरिद्वार आने वाले यात्रियों का विशेषकर भार्गव परिवारों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा करते थे। 1938 में स्वयं आदरणीय मनोहर लाल जी ने अपनी देख-रेख में भार्गव आश्रम का निर्माण पूरा किया। गत 20-25 वर्षों से समय व रहन-सहन के स्तर में परिवर्तन हो जाने के कारण आश्रम में परिवर्तन व नवीनीकरण कर नाना प्रकार की सुविधाएँ जुटाने की योजना बनाई गई। तदनुसार 19वीं सदी के अन्त में लगभग 1997 में आश्रम में दानदाताओं से प्राप्त दान द्वारा नवीनीकरण का कार्य सम्पन्न हुआ और 16 कमरे व शयनागार तैयार कर समाज के प्रयोग के लिये सौंप दिये गए। कई कमरों में बाथरूम व कूलर की व्यवस्था भी की गई।

2012 में समय की पुकार व यात्रियों की इच्छा का ध्यान रखते हुए आश्रम के जीर्णोद्धार की योजना बनाई गई। उस समय योजना को पूर्ण करने के लिये लगभग 70 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान था। जीर्णोद्धार व नवीनीकरण का कार्य 1.4.2013 को आरम्भ किया गया और जून 2014 में पूर्णरूपेण नवीनीकरण कर समाज के प्रयोग के लिये खोल दिया गया। इस योजना पर दानदाताओं द्वारा दिये लगभग एक करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। पूर्ण रूप से आधुनिक साज-सज्जा व सुविधाओं के साथ समस्त वातानुकूलित कमरे, एल.इ.डी. टी.वी., ड्रेसिंग टेबल, चाय व कॉफी मेकर संलग्न शौचालय व स्नानागार, बार्ड रॉव, डबल बेड, स्टडी व सेन्टर टेबल से युक्त डीलक्स व सुपर डीलक्स 14 कमरे हैं। सुविधा हेतु लिफ्ट भी लगाई गई है। ठहरने की वर्तमान दरें इस प्रकार हैं, जिसमें भार्गवों के लिये विभिन्न प्रकार की विशेष छूट का प्रावधान भी है:-

8 डीलक्स कमरे (दो यात्रियों के लिये) रु. 600 प्रति दिन

6 सुपर डीलक्स कमरे (दो यात्रियों के लिये) रु. 800 प्रति दिन

चेक इन टाइम 10 ए.एम. - चेक आउट टाइम 9 ए.एम.

1989 से अब तक जो भी पाँच मैनेजर रखे गए वे सारे भार्गव समाज के ही थे किन्तु इस वर्ष 2014 में इस पद पर विजातीय मैनेजर रखना पड़ा है। यही मैनेजर गंगा आश्रम की भी देख-रेख करते हैं, जिसके लिये उन्हें अलग से राशि दी जाती है।

भार्गवों की धरोहर अब नए रूप में समाज के सामने है जो एक सुखद, स्वच्छ, सुन्दर, सुरक्षित व शान्त वातावरण में ठहरने का एकमात्र स्थान जो रेलवे स्टेशन व हर की पौड़ी से मात्र 750 मीटर की दूरी पर स्थित है।





(2) गंगा आश्रम, हरिद्वार

हरिद्वार को हरि यानी भगवान का द्वार (मार्ग) कहा जाता है। गंगा के किनारे बसे हरिद्वार में एक अन्तराल के बाद अर्ध कुम्भ, कुम्भ व महाकुम्भ का आयोजन होता है। यही कारण है कि सभी इसे एक पवित्र, धार्मिक, लोकप्रिय एवं महत्त्वपूर्ण पर्यटक स्थल मानते हैं। यात्रीगण हर की पौड़ी पर स्नान कर अपने को धन्य समझते हैं। श्रीमती भगवान देवी भार्गव धर्मपत्नी सेठ श्री लक्ष्मी नारायण भार्गव (रेवाड़ी) दोनों ही गंगा के परम भक्त थे। वर्ष 1910 के आसपास वहाँ यात्रियों के लिये सुविधाओं की कमी थी। ऐसी परिस्थिति में सेठजी के मन में हरिद्वार में एक धर्मशाला बनाने की इच्छा जाग्रत हुई किन्तु भाग्य की विडम्बना देखिए कि सेठजी का वर्ष 1911 में स्वर्गवास हो गया। मृत्यु के समय उनका एकमात्र पुत्र अमर नाथ छोटा था किन्तु दुर्भाग्य ने उसे भी नहीं छोड़ा। उस समय लगभग 45 वर्षीय भगवान देवी अकेली पड़ गई, किन्तु फिर भी पति की इच्छा पूर्ण करने के लिये हरिद्वार आती-जाती रहीं। पति की सम्पत्ति मिलते ही भोलागिरि रोड पर लगभग 2900 वर्ग फीट भूमि 90 वर्ष के पट्टे पर खरीदकर सन् 1941 में चार कमरों का निर्माण कर धर्मशाला का आरम्भ किया गया और धर्मशाला के सुचारु रूप से संचालन व प्रबन्धन हेतु पाँच ट्रस्टियों का गंगा आश्रम ट्रस्ट बनाया गया और समय-समय पर इसके ट्रस्टी बदलते रहे।

श्रीमती भगवान देवी आरम्भिक वर्षों में स्वयं गंगा आश्रम में रहकर यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखती रहीं। वर्ष 1948 में उनका स्वर्गवास हो गया। ट्रस्टियों व अन्य दानदाताओं के योगदान से आश्रम तीन मंजिली धर्मशाला के रूप में परिवर्तित हो गया। यही इसका वर्तमान स्वरूप है। ट्रस्टियों ने आश्रम के प्रबन्धन को अखिल भारतीय भार्गव सभा को देने का निर्णय लिया और भार्गव सभा के प्रस्ताव संख्या ए-6/1999 के अनुसार श्रीमती भगवान देई (देवी) धर्मपत्नी सेठ श्री लक्ष्मी नारायण की पारित पंजीकृत ट्रस्ट डीड दिनांक 16.6.1941 के पैरा 10 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार गंगा आश्रम, हरिद्वार की इमारत में साज-सज्जा मय समस्त अधिकारों एवं अपरिवर्तनीय स्वामित्व कर्तव्य तथा पूर्ण उत्तरदायित्व सहित अखिल भारतीय भार्गव सभा प्रबन्ध के लिये अपने अधिकार में ले लें। इसे फ्रीहोल्ड कराने के लिये दो लाख रुपये भी पारित किये गए। उस समय के 6 ट्रस्टियों को भार्गव आश्रम उपसमिति में आजीवन सदस्य के रूप में रखा गया है। भार्गव सभा पैसे जमा कर इसे फ्रीहोल्ड कराने का प्रयास कर रही है। वर्ष 2013-14 में जब भार्गव आश्रम नवीनीकरण हेतु बन्द कर दिया गया था तब यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था गंगा आश्रम में की गई थी। भार्गव आश्रम के मैनेजर ही दोनों आश्रम की देख-रेख करते हैं। यहाँ का एक कमरा अनेक वर्षों से किरायेदार ने घेर रखा है, उसे खाली कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कई कमरे स्थानीय भार्गव के पास हैं, उनसे भी खाली कराने का प्रयास कर रहे हैं।





स्थानीय भार्गव सभाएँ

अखिल भारतीय भार्गव सभा का उद्देश्य है कि समस्त भार्गवों को एक-दूसरे के सम्पर्क में बनाए रखने, एक सूत्र में बाँधने एवं आपस में प्रेम, भाईचारा और सौहार्द की भावना बनाकर समाज व देश में हम जान सकें कि कौन, कहाँ, कैसे और कब से क्या कर रहा है? इसी बात को साकार करने के लिये नगर-नगर की रिसोर्स डायरेक्ट्री एवं स्थानीय भार्गव सभा का नाम 'भार्गव सभा' से पहले नगर का नाम लगाकर गठित की गयी, जैसे दिल्ली भार्गव सभा। इससे पूर्व 'भार्गव सभा' के बाद नगर का नाम लगाकर स्थानीय सभा गठित की जाती थी, जैसे भार्गव सभा दिल्ली। इन सभाओं का कार्यकाल भी अखिल भारतीय भार्गव सभा के कार्यकाल के समान दो वर्ष का होता है और उन्हें चुनाव वर्ष में चुनाव कराकर अपने प्रतिनिधि का नाम मार्च से पूर्व भेजना होता है ताकि उनके प्रधान व प्रतिनिधियों के नाम अखिल भारतीय भार्गव सभा की कार्यकारिणी में सम्मिलित किये जा सकें। स्थानीय सभायें अपने नगर के आजीवन सभासदों की संख्या के आधार पर एक से पाँच तक सदस्यों के नाम भेज सकती हैं और उसी के आधार पर सम्बद्धता शुल्क भेजनी होती है।

समस्त स्थानीय सभाओं में समानता एवं एकरूपता बनाये रखने के लिये 'आदर्श संविधान निर्देशिका' नामक पुस्तक का प्रकाशन भी किया गया है जो दिसम्बर 2012 से प्रभावी है। स्थानीय सभाएँ अपने आप में नाना प्रकार के खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगितायें एवं सन्तोत्सव आदि आयोजित करती हैं। समय-समय पर चुनाव एवं कार्यवाही सम्बन्धी रिपोर्ट सभा को भेजती हैं। अखिल भारतीय भार्गव सभा की चुनाव प्रक्रिया में स्थानीय सभा के सदस्य भी भाग ले सकते हैं किन्तु उनका आजीवन सदस्य होना अनिवार्य है। वर्तमान में अखिल भारतीय भार्गव सभा से लगभग 38 स्थानीय सभायें जुड़ी हैं जिनमें से लगभग 20 सभायें सक्रिय हैं और भार्गव सभा द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेती हैं। वर्ष भर के कार्यक्रमों के आधार पर स्थानीय सभाओं को विभिन्न श्रेणियों में से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सभा का चयन कर प्रशस्ति पत्र एवं नकद राशि देकर वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर प्रोत्साहित किया जाता है।

स्थानीय सभाओं एवं वहाँ के सदस्यों को किसी भी प्रकार की कठिनाई जैसे चिकित्सा सहायता, आर्थिक सहायता, शिक्षा छात्रवृत्ति अपनी सभा के प्रधान एवं मन्त्री के माध्यम से सहायता प्राप्त की जा सकती है। अनेक भार्गव सभाओं के सदस्यों ने सहायतार्थ एवं पुरस्कार हेतु नाना प्रकार की निधियों का गठन किया है। उससे उनके बजट को सहायता मिलती है। कई सभायें अपना शताब्दी वर्ष भी मना चुकी हैं।





अखिल भारतीय भार्गव महिला सभा

पहले भार्गव सभा केवल पुरुषों की सभा होती थी और पर्दा प्रथा होने के कारण उसमें महिलायें भाग नहीं ले सकती थीं। महिलाओं में इस विषय पर काफी चर्चा हुई। भार्गव सभा के वार्षिक अधिवेशन (आगरा) के अवसर पर महिलाओं की 21.12.1980 की बैठक में श्रीमती कामेश्वरी (ग्वालियर) के प्रस्तावानुसार महिला सभा को एक सूत्र में बाँधने एवं एकरूपता लाने तथा नारी उत्थान हेतु एक केन्द्रीय महिला सभा की आवश्यकता आँकी गई। महिलाएँ भार्गव सभा एवं सम्मेलन में आती तो अवश्य थीं किन्तु वे समस्याओं पर स्वतन्त्र रूप से विचार प्रकट नहीं कर सकती थीं।

प्रस्तावानुसार 15 सदस्यों की एक समिति का गठन कर सभा की रूपरेखा, उद्देश्य तथा सम्पूर्ण योजना का निर्णय लिया गया। समिति की अध्यक्ष श्रीमती लीला रामकुमार (लखनऊ) तथा मन्त्राणी श्रीमती सुशीला (कानपुर) चुनी गईं। वर्ष 2005 में सभा ने अपनी रजत जयन्ती अत्यन्त धूमधाम से मनाई। तदुपरान्त 2012 तक सभा सुचारु रूप से चलकर उन्नति के शिखर की ओर बढ़ती रही किन्तु उसके बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि सभा को किसी की नजर लग गई और उसका अस्तित्व दुविधा में पड़ गया। ईश्वर शक्ति दे और उन्हें इस समस्या से उबारें।

अखिल भारतीय भार्गव युवा संघ

युवा शक्ति की सूझ-बूझ एवं उनके अथक प्रयासों से बोये बीज ही युवा संघ हैं, जो एक छोटे-से पौधे के रूप में वर्ष 1971 में इसके संस्थापक प्रधान श्री श्रीकृष्ण (ग्वालियर) तथा संस्थापक मन्त्री श्री विजय 'सनम' (आगरा) के संरक्षण में प्रस्फुटित हुआ। शीघ्र ही फलने फूलने लगा। अधिक सुचारु और सम्पर्क बनाए रखने के उद्देश्य से नगर-नगर में अपनी शाखाएँ खोल दीं ताकि युवाओं और परिवारों में प्रेम, स्नेह और सौहार्द की वृद्धि हो और समाज की जटिल समस्याओं को दूर किया जा सके। कुरीतियों का विनाश तभी सम्भव होगा जब हमारा समाज चतुर्मुखी उत्थान की ओर अग्रसर होगा। युवा संघ का मूल उद्देश्य एवं भावना यही है।

जिस प्रकार नए पौधे की देख-रेख व सिंचन विधि की कमी के कारण पौधा मुर्झा-सा जाता है और सुप्तावस्था में चला जाता है, ठीक उसी प्रकार की स्थिति यहाँ भी उत्पन्न हो गई थी। लगन, सेवा भावना तथा प्रेम की कमी के कारण मुर्झाकर 1993 में सुप्तावस्था में प्रवेश कर गया किन्तु अब इसमें प्रेम, स्नेह व लगन का तड़का लगाकर सौहार्द एवं सेवा भावना रूपी टॉनिक का समावेश कर युवा संघ स्वतः स्वास्थ्य लाभ कर समाज की कुरीतियों को दूर करने का संकल्प लेते हुए उच्चतम शिखर की ओर अग्रसर है। अब नगर में पुनः उसकी शाखाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। नगर-नगर की शाखाओं द्वारा अपने-अपने नगरों में नाना प्रकार के कार्यक्रमों के अतिरिक्त जयपुर में आयोजित भार्गव सभा के अधिवेशन में विभिन्न प्रकार के खेलकूद एवं अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। विवाह प्रत्याशियों को खुला मंच देकर स्वयं परिचय की सफल योजना को आरम्भ किया।





सभा की मुख्य-मुख्य तिथियों की एक झलक

- 1881 : भार्गव सभा, आगरा, रेवाड़ी, जयपुर और मथुरा का गठन।
- 1887 : भार्गव होस्टल आगरा की नींव रखी गई।
- 1889 : भार्गव सभा का रजिस्ट्रेशन 10 अक्टूबर को हुआ।
- 1889 : भार्गव पत्रिका का प्रथम अंक प्रकाशित।
- 1892 : लाला किशोरी लाल (दिल्ली) द्वारा किशोरी रमण शिक्षा संस्थान ट्रस्ट, मथुरा में किशोरी रमण पाठशाला स्थापित की।
- 1892 : विवाह आदि अवसरों पर अनुष्ठित की जाने वाली रीतियों का उर्दू में कोडमरासिम संग्रह प्रकाशित।
- 1893 : ढोसी मन्दिर एवं सड़क का निर्माण।
- 1896 : निराश्रितों को ढाई रुपये प्रति माह सहायता स्वीकृत की गयी।
- 1910 : विधवा बच्चों के पुनः विवाह हेतु प्रस्ताव पारित किया गया।
- 1912 : शिक्षा तथा समाज सुधार उपसमिति का गठन।
- 1913 : महिला सभा का प्रथम सम्मलेन श्रीमती दिलबर देवी की अध्यक्षता में अजमेर में सम्पन्न हुआ।
- 1917 : सिरोंज के बिछुड़े बन्धुओं को समाज में लाने का प्रस्ताव पारित।
- 1926 : विवाह हेतु लड़के व लड़की की आयु 16 व 21 वर्ष की गई।
- 1929 : महिलाओं ने प्रथम बार बिना पर्दे के अधिवेशन में भाग लिया।
- 1935 : भार्गव पत्रिका को सभा का मुखपत्र घोषित किया गया।
- 1939 : सभा की स्वर्ण जयन्ती मनाई गई।
- 1942 : 1 अप्रैल से रेवाड़ी बोर्डिंग हाउस बन्द कर दिया गया।
- 1948 : अधिवेशनों को आयोजित करने वाली स्थानीय सभाओं को सशुल्क भोजन देने की अनुमति प्रदान की गई। भार्गव पत्रिका का आगरा से केवल हिन्दी में प्रकाशन प्रारम्भ हुआ।
- 1964 : टैक्निकल शिक्षा निधि स्थापित की गई।
- 1966 : फरवरी माह में फिनले बोर्डिंग हाउस को आगरा कॉलेज को 1,20,000 रुपये में बेच दिया गया।
- 1966 : कूपन 1 रुपये से 1.5 रुपये तक।
- 1971 : अखिल भारतीय भार्गव युवा संघ का गठन।





- 1976 : सभा व सम्मेलनों के अधिवेशन आयोजित करने वाली स्थानीय सभाओं को आवश्यकतानुसार डैलीगेट्स फीस लगाने को अधिकृत किया गया।
- 1978 : प्रथम बार अधिवेशन के अवसर पर केसरी रंग का ध्वजारोहण किया गया।
- 1980 : अखिल भारतीय भार्गव महिला सभा का गठन।
- 1983 : कॉन्फ्रेंस का आयोजन बन्द हो गया।
- 1983 : सन्त चरणदास जी का द्विशताब्दी निर्वाण दिवस दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की अध्यक्षता में मनाया गया।
- 1989 : भार्गव सभा की शताब्दी का उद्घाटन समारोह आगरा में 1, 2 व 3 जनवरी को सम्पन्न हुआ। भार्गव सभा का 100वाँ अधिवेशन व सभा के शताब्दी समारोह के समापन का आयोजन दिसम्बर 1989 को जयपुर में सम्पन्न हुआ। रेवाड़ी कोर्ट के स्टे के कारण चुनाव सम्पन्न न हो सके तब एक तदर्थ कमेटी का गठन करना पड़ा।
- 1993 : चुनाव एक-एक वर्ष छोड़कर होने लगे।
- 1997 : गंगा आश्रम का पूर्ण मैनेजमेन्ट सभा ने ले लिया और भार्गव आश्रम हरिद्वार का जीर्णोद्धार कराया गया।
- 2004 : 2 से 4 जुलाई में प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय अधिवेशन ओटावा (कनाडा) में सम्पन्न हुआ।
- 2008 : हैरिटेज उपसमिति का गठन।
- 2012 : मई में प्रथम बार भार्गव परिवारों का विदेश (दुबई) भ्रमण।
- 2013 : 174, जोर बाग, दिल्ली भवन का (चार मंजिल) पूर्ण नवीनीकरण का कार्य आरम्भ हुआ।
- 2014 : भार्गव आश्रम, हरिद्वार का पूर्णरूपेण नवीनीकरण हुआ।
- 2014 : सभा की 125वीं वर्षगाँठ 15, 16, 17 नवम्बर को उदयपुर में मनाने का निश्चय।



अखिल भारतीय भार्गव सभा (रजि.) द्वारा स्वीकृत

ईश वन्दना

प्रभो प्राणेश मलहारी, तुम्हीं आनन्द सागर हो।
प्रकाशक देव सविता विश्व नाटक नाट्य नागर हो।
तुम्हारे श्रेष्ठ व्यापक तेज का हो ध्यान नित हमको।
विमलवर बुद्धि दो स्वामी असत सत ज्ञान हित हमको।

वह शक्ति हमें दो दयानिधे,
कर्त्तव्य मार्ग पर डट जावें।

पर-सेवा पर-उपकार में हम,
जगजीवन सफल बना जावें।

हम दीन दुःखी निबलों विकलों,
के सेवक बन सन्ताप हरे।

जो हों अटके भूले भटके,
उनको तारे खुद तर जावें।

छल दम्भ द्वेष पाखण्ड झूठ,
अन्याय से निशि दिन दूर रहे।

जीवन हो शुद्ध सरल अपना,
शुचि प्रेम सुधा रस बरसावें।

निज आन-बान मर्यादा का,
प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे।

जिस देश जाति में जन्म लिया,
बलिदान उसी पर हो जावें।

वह शक्ति हमें दो दयानिधे,
कर्त्तव्य मार्ग पर डट जावें।